खण्ड–491, अंक–3
मंगलवार, 27 कार्तिक शक संवत् 1936
(18 नवम्बर, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2014)

(खण्ड 491 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–107
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल, श्रीमती प्रभा रावत, श्री मंडलेश्वर सिंह, श्री मधुकर दिघे, श्री राजपाल, श्री हरीश चन्द्र गंगवार, श्री कमाल अहमद रिजवी, महंत अवैद्यनाथ, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम शंकर पाल, श्री संजय सिंह, श्री राम सेवक, श्री नेतराम, श्री सैय्यद जकीउद्दीन, श्री मारकण्डेय चन्द्र, श्री डी0पी0 बोरा तथा श्री अनार सिंह दिवाकर	108–115
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	115–116
जनपद शामली स्थित सहारनपुर–दिल्ली मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे चिकन सेन्टरों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
झांसी विकास प्राधिकरण में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116–117
कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड संख्या–54 में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	117–118
जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में महान धनुर्धारी एकलव्य की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	118–119
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत विकास–खण्ड रूदौली व मवई की सभी ग्राम पंचायतों के वृद्धा पेंशन व रानी लक्ष्मीबाई पेंशन के लाभार्थियों को विगत छः माह से पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	119–120

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत ग्राम खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ागांव में पैंटून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	120–121

विषय	पृष्ठ–संख्या
लखनऊ महानगर में रिंग रोड, खुर्रमनगर चौराहे से पिकनिक स्पाट तक के मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	121–123
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	123–124
प्रदेश के गठित जिला योजना समितियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिये जिला योजनाओं में की गई संस्तुतियों को काट छांट कर मनमाने तरीके से धन आवंटित कर संवैधानिक मान्यताओं एवं नियमावली की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	124–126
विधान सभा के मा0 सदस्यों को प्रोटोकाल सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के बावजूद शासन, जनपद एवं मण्डल पर तैनात अधिकारियों द्वारा समुचित सम्मान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	126–127
उप चुनाव वर्ष 2014 में निर्वाचित सदस्य श्री नाहिद हसन का शपथ ग्रहण ...	127–128
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013–2014) का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	128
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013–2014) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)...	128
जनपद लखनऊ स्थित गोमतीनगर के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर, रामासरे पुरवा, छोटा भरवारा, बड़ा भरवारा में नवनिर्मित कालोनियों को नगर निगम में सम्मिलित कराये जाने विषयक श्री एस0के0 मिश्रा आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	128–129
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	129–133
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	134
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	134–136
नियम–56 की सूचनाओं को कल के लिये स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध ...	136–137
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 (पारित)	137–138
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	138–140
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)	140–142

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 (पारित) ... 142—148
नियम—51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... 148—149
नत्थियां ... ... 150—159

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–354

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री बरेली
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
28. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
29. अरूण कुमार, डा0 बरेली
30. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
31. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
33. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
34. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
36. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
38. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
39. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
40. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
41. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
42. आलमबदी, श्री आजमगढ़
43. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
44. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
45. आशीष यादव, श्री बदायूं
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
47. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
48. इकबाल, श्री बिजनौर
49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव

57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कप्तान सिंह, श्री महोबा
66. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
67. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
68. करतार सिंह भड़ाना, श्रीमुजफ्फरनगर
69. काली चरन सुमन, श्री आगरा
70. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
72. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
73. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
74. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
77. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
78. गजराज सिंह, श्री हापुड़
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
81. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
82. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
89. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
91. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
94. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
96. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
97. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
98. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
99. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
100. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
101. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
104. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
105. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
107. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
108. दलजीत सिंह, श्री बांदा
109. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
110. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
111. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
112. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
115. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
119. धर्मराज, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा

123. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
124. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
127. नारद राय, श्री बलिया
128. नाहिद हसन, श्री शामली
129. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
130. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
131. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
133. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
134. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
135. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
136. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
137. पीतमराम, श्री पीलीभीत
138. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
139. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
140. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
141. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
142. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
143. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
144. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
145. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
146. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
147. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
148. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
149. फेरन लाल, श्री ललितपुर
150. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
151. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
152. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
153. बदलू खां, श्री उन्नाव
154. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
155. बाबूलाल, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
157. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
160. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
161. बैजनाथ, श्री मऊ
162. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
163. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
164. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
167. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
168. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
169. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
170. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
171. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
172. मनबोध, श्री देवरिया
173. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
174. मनीष रावत, श्री सीतापुर
175. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
181. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
182. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
183. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
184. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
185. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
186. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
187. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
188. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
189. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
190. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ

191. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
192. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
193. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
194. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
195. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
196. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
197. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
202. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
203. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
204. यासर शाह, श्री बहराइच
205. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
206. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
207. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
208. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रणजीत सुमन, श्री एटा
211. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
213. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
214. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
215. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
216. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
219. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
220. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
221. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
222. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
223. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
224. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
225. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
226. राजिव, श्री सहारनपुर
227. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
232. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
233. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
234. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
235. राधे श्याम, श्री अमेठी
236. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
237. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
238. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
239. राम गोविन्द, श्री बलिया
240. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
241. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
242. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
243. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
244. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
245. राम मगन, श्री बाराबंकी
246. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
247. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
248. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
249. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
250. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
251. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
252. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
253. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
254. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
255. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
256. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
257. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
258. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
259. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
260. लक्ष्मीकान्त उर्फ

पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
261. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
262. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
263. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
264. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
265. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
266. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
267. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
268. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
269. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
270. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
271. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
272. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
273. विजय मिश्र, श्रीसन्त रविदास नगर (भदोही)
274. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
275. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
276. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
277. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
278. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
279. विजय सिंह, श्री रामपुर
280. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
281. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
282. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
284. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
285. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
286. वीरपाल राठी, श्री बागपत
287. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
288. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
289. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
290. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
291. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
292. शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
293. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
294. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
295. शाकिर अली, श्री देवरिया
296. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
297. शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
298. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
299. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
300. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
301. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
302. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
303. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
304. शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
305. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
306. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
307. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
308. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
309. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
310. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
311. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
312. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
313. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
314. संजय कपूर, श्री रामपुर
315. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
316. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
317. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
318. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
319. सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
320. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
321. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
322. सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
323. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
324. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
325. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन

326. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
327. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
328. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
329. सियाराम सागर, डा0 बरेली
330. सीमा, श्रीमती जौनपुर
331. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
332. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
333. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
334. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
335. सुधाकर, श्री मऊ
336. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
337. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
338. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
339. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
340. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
341. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
342. सुरेश राणा, श्री शामली
343. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
344. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
345. सुल्तान बेग, श्री बरेली
346. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
347. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
348. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
349. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
350. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
351. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
352. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
353. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
354. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

नत्थी–क

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति

'01–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा श्री धर्मपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षक नियुक्ति करने की सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जी हां।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–38 के अन्तर्गत उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 प्रख्यापित की गयी है।

उक्त अधिनियम में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार तीस की छात्र संख्या पर 01 शिक्षक नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सभी हमारे आदरणीय सदस्यों को ज्ञान है, पता है कि समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है और आज शिक्षा के प्रति समाज में जागृति भी आई है। आज जिसके पास भी चाहे वह गांव में निवास करता हो, चाहे शहर में, यदि उसके पास थोड़ा भी पैसा है तो वह कोशिश करता है कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाए, लेकिन दुःख का विषय यह है कि गांव में जिस बेसिक शिक्षा के प्रति पहले बहुत विश्वास था, अब धीरे–धीरे उस विश्वास में कमी आई है। जबकि अथक प्रयासों के द्वारा और सरकारी पैसा खर्च किये जाने के बावजूद भी समाज में धीरे–धीरे बेसिक शिक्षा के प्रति जो विश्वास घटा है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एक तो आपने जो मॉडल स्कूलों की स्थापना की, इसका मैं बहुत–बहुत स्वागत करती हूं। इसी से जुड़ा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या सरकार जैसा आपने जिले में अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने का ऐलान किया है कि न्याय पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल स्थापित करेंगे हमारा इसी से जुड़ा प्रश्न है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में जो एक फर्जी पंजीकरण करके विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या दिखाई जा रही है तो

क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था करेगी और इसी से जुड़ा तीसरा प्रश्न है कि ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो सरकार के द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध भ्रष्टाचार करके अध्यापकों की नियुक्ति/स्थानान्तरण कर रहे हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेगी। मान्यवर, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो बेसिक शिक्षा की जो समिति थी ट्रांसफर–पोस्टिंग की, उसकी मैं अध्यक्ष थी और उसमें एक जिला स्तर पर शिक्षा समिति बनी हुई थी और जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में उसकी पोस्टिंग और नियुक्ति की जाती थी। तो क्या वह व्यवस्था लागू की जायेगी क्योंकि पंचायतों का बेसिक शिक्षा में यह जरूरी है कि पंचायत स्तर से भी यह जुड़े। जरूरी है कि वहां पर जो चुने हुये जनप्रतिनिधि हैं, वह भी बेसिक शिक्षा से जुडें। क्योंकि यह सरकारी स्कूल होते हैं और उनमें आज यह आलम हो गया है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी और ए0बी0एस0ए0 हैं, उनकी पूरी मनमानी चलती है और कितना ही कहने के बावजूद भी वहां पर आपके मानक के अनुसार जो पोस्टिंग होनी चाहिये, 30 छात्रों की संख्या पर आपने एक मास्टर की नियुक्ति बताई है, वह नहीं हो पाती है। इन सभी प्रश्नों का माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सा प्रश्न है। आप इतना प्रश्न पूछ ली हैं, मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने प्रश्न के माध्यम से पूरे शिक्षा विभाग के बारे में ही पूछ लिया है। मान्यवर, जो नई शिक्षा नीति चालू हुयी है, उसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और जूनियर हाई स्कूल में 35 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है और जब से यह सरकार आई है, तब से हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि उस मानक को पूरा करें । वर्ष 2012–13 में 3,237 अध्यापकों की भर्ती की गयी। इसी प्रकार 2014–15 में बी0टी0सी0 के अन्तर्गत 10 हजार पद विज्ञापित किये गये थे जिसके सापेक्ष 5030 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी । इसी प्रकार 58,145 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा 72,825 बी0एड0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है और तीन काउन्सिलिंग पूरी हो चुकी हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान, गणित अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 29,333 पद विज्ञापित किये गये थे, इसमें भी 5 काउन्सिलिंग की जा चुकी है, माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त चयन की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार 2012–13 से 2014–15 तक 76,272 अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा 1,02,159 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त बी0टी0सी0 एवं टी0ई0टी0 अध्यापकों की भर्ती हेतु 15,000 पद भरने की अनुमति दी गयी है। इस तरह से इतने अल्पकाल में वर्ष 2012 से लेकर आज तक हमने भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है और हम आशा करते हैं कि वर्ष 2016 तक, जो हमारा मानक है, उस मानक के अनुसार हम टीचरों की नियुक्ति कर देंगे। माननीय सदस्या ने चिन्ता यह भी व्यक्त की है कि लोगों का विश्वास प्राथमिक शिक्षा से घट रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह घट रहा था लेकिन अब लोगों का

इसमें विश्वास बढ़ रहा है इसलिये कि थोड़ा हम लोगों ने भी प्रयास किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अध्यापक लोगों से भी निवेदन किया गया कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके अध्यापक बने हैं और आप लड़कों की जिन्दगी से उनके अभिभावकों की जिदंगी से खिलवाड़ न करें। इसलिये आप नियमित रूप से स्कूल जायें और बच्चों को पढ़ायें। इसमें हमको सफलता भी मिली है इसलिये मैनें पिछले साल कक्षा एक से अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था लेकिन उसमें केवल ए0बी0सी0डी0 का ज्ञान ही कराया जा रहा था, इसलिये मैंने इस बार निश्चित रूप से यह कर दिया है कि कक्षा एक से निश्चित रूप से अंग्रेजी की पढ़ाई हो और केवल बच्चों को ए0बी0सी0डी0 ही न सिखाया जाय। तीसरा विषय, माननीय सदस्या ने कहा उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि मैंने यह भी निर्देश दिया है और अगले सत्र से यह शुरू हो जायेगा कि अभी माडल रूप में हर जिले में कुछ चयनित जूनियर हाई स्कूलों को कक्षा 6,7,8 में पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से कराने का निर्णय लिया गया और मैं यह समझता हूं कि अगर टीचर की कमी पूरी हो जायेगी और यह हमारे माडल स्कूल चालू हो जायेंगे, एक आदर्श स्कूल भी चालू करने के लिये हम लोग प्रयास में हैं कि जिस चहारदीवारी के अन्दर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल दोनों हैं उसको एक इकाई स्कूल मान करके और उसमें सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति करके उनको आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाय तो बेसिक शिक्षा के प्रति अब लोगों का धीरे–धीरे विश्वास बढ़ रहा है इसमें माननीय सदन के सदस्यों का भी सहयोग है। मैंने सहयोग मांगा था पूरे सदन से क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही सभी छात्रों को जीवन–पर्यन्त शिक्षा के लिए दृढ़ करने की एक कड़ी है इसलिए मैंने सदन से भी इस बात के लिए सहयोग मांगा था कि सदन के सभी सदस्य इसमें हमारा सहयोग करें, वह स्कूल में जाएं और शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। मैं धन्यवाद देता हूं सभी मा0 सदस्यों का कि इन लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली और इससे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ेगा। अब वह दिन दूर नहीं कि प्राथमिक स्कूल में पब्लिक स्कूल के लड़के पढ़ने के लिए आयेंगे ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और मा0 मंत्री जी ने जैसा सदन को अवगत कराया कि 2016 तक मानक के अनुरूप शिक्षकों को पूरा कर लिया जायेगा, इसके लिए मा0 मंत्री जी को हम शुभकामनाएं देते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि स्कूलों की व्यवस्था सुधर रही है, प्राइमरी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं प्रदेश के अन्दर खासकर हमारे शाहजहांपुर में जहां एक विद्यालय में एक ही अध्यापक नियुक्त है। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि क्या मा0 मंत्री जी ऐसे विद्यालयों को जहां पर एक ही अध्यापक हैं वहां पर दूसरे अध्यापक की नियुक्ति करने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि

इसके पीछे कारण है कि कभी वह बीमार होते हैं या छुट्टी लेते हैं तो प्रायः वह स्कूल बन्द हो जाते हैं, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि एक अध्यापक और रेगुलर अध्यापक है और एक अध्यापक के साथ दो शिक्षामित्र लगे हुए हैं उनकी गिनती अभी अध्यापक के रूप में नहीं है। एक अध्यापक और दो शिक्षामित्र इस तरह की व्यवस्था की गई है। जब हमारी भर्ती पूरी हो जायेगी, अभी हम जानते हैं कि एक महीने के अन्दर 72 हजार 825 और 29 हजार 323 की स्ट्रेन्थ पूरी हो जायेगी। फिर 15 हजार पद और सृजित कर रहे हैं यह भी पूरी हो जायेगी तो हर स्कूल में कम से कम दो–तीन टीचरों की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्योंकि यह बुनियादी शिक्षा से जुड़ा प्रश्न है, गांव गरीब की भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। हम मा0 मंत्री जी के ज्ञान की परीक्षा न ले करके उन्हें भावनाओं से अवगत कराते हुए कुछ चीजों पर आपके माध्यम से दो–तीन प्रश्न पूछना चाहेंगे। अभी आपने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव है और हम व्यवस्था कर रहे हैं। मा0 मंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ताले लटक रहे हैं अध्यापक नहीं हैं, हम उनके नाम भी आपको बता देंगे। क्योंकि ऐसे विद्यालयों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो शहर के पास हैं वहां मानक से ज्यादा अध्यापक हैं 6–6, 7–7 अध्यापक भरे हैं वह शहरी भत्ता भी ले रहे हैं, सुदूर क्षेत्र के स्कूल ऐसे हैं जहां एक अध्यापक भी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस विसंगति को दूर करें, अध्यापकों के अभाव को दूर करने के लिए आपने कहा कि हम भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं यह मेरा प्रश्न नम्बर–1 है। प्रश्न नम्बर–2 यह है कि अध्यापकों से कोई गैर शिक्षणीय कार्य न लिया जाय ऐसी व्यवस्था क्या आप करेंगे ? प्रश्न नम्बर–3 यह है कि मिड–डे–मील जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनवाते हैं, अधिकांश अध्यापकों का समय मिड–डे–मील में समाप्त होता है, बच्चे थाली–कटोरा बजाते रहते हैं और पढ़ाई होती नहीं है तो क्या मा0 मंत्री जी इस मिड–डे–मील की व्यवस्था को एन0जी0ओ0 अथवा आंगनबाड़ी से कराने का काम करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 वरिष्ठ सदस्य ने जो पहली बात कही थी उसमें कुछ सच्चाई है कि शहर के नजदीक भत्ता अधिक मिलता है तो गुरुजन लोग जो हैं वह अपना जुगाड़ भिड़ा करके शहर के नजदीक स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी जुगाड़ कौन लगाता है इसको बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आने दीजिए, बीच में क्यों खड़े हो जाते हो ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मा0 सदन व हर पोलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता व नेता हमारा साथ दे दें तो हर स्कूल में टीचर हो जायेगा और 06 महीने के अन्दर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है उसे पब्लिक स्कूलों की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दूंगा।

(श्री विक्रम सिंह व श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, क्या तरीका है, जब तक मंत्री जी बोल रहे हैं तो नहीं उठना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने अधिकारियों से प्रयास किया कि जिस प्रकार शहर के नजदीक कार्यरत अध्यापकों को भत्ता दिया जा रहा है क्या उसी प्रकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को दिया जा सकता है या फिर हम इसको खत्म कर दें लेकिन ऐसा प्राविधान बन नहीं पा रहा है, यह नियम पहले से है। जो शहर में रह रहे हैं उन्हें मकान किराये पर लेकर रहना पड़ता है इसलिए उनको दिया जा रहा है। मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं और कई बार मीटिंग भी कर चुका हूं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को भत्ता मिले इसके लिए कोई नियम बनाया जाए जिससे जो शहर के नजदीक वालों को भत्ता मिलता है वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को भी मिले जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर लोगों को कठिनाई न होने पाये। एक मिड–डे–मील के विषय में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही, आपको याद होगा हम लोगों ने 4–5 जिलों में इसको अक्षय पात्र संस्था जो देश व दुनिया की मानी हुई संस्था है उससे हम काम करायेंगे और उनसे हमने यह भी आग्रह किया है कि और प्रदेशों को छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय–स्थल है इसके पूरे प्रदेश को ले लीजिए लेकिन वह धीरे–धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। हमने यह भी छूट दी है कि अक्षय पात्र के समकक्ष कोई और भी एन0जी0ओ0 होगी उस पर भी हम विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप भी भिज्ञ हैं और ज्यादातर माननीय सदस्य देहाती क्षेत्रों से आते हैं। इसको कहने में कोई संकोच नहीं हम लोग भी प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके यहां पहुंचे हैं। जैसा मा0 मंत्री जी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं अगर यह काम हो जाए धरातल पर तो यह अच्छी बात है। प्राथमिक विद्यालयों में मान्यवर, एक तो मिड–डे–मील, दूसरे छात्रवृत्ति यह जो दो योजनायें सरकार ने चलायी उसके तहत बड़ी संख्या में छात्र वहां पर आने का काम करते हैं। एक तो छात्रवृत्ति मिल जायेगी उनको, दूसरे मिड–डे–मील के तहत भोजन की व्यवस्था हो जायेगी। तो मा0 मंत्री जी को यह ज्ञान होगा कि मिड–डे–मील तो चालू है लेकिन आपकी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का वजीफा बंद कर दिया है जब वजीफा बंद कर दिया है तो छात्र संख्या घटेगी ही।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछिये, वैसे जो आपने कहा है यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

पहला सवाल यह है कि क्या छात्र संख्या बरकरार रखने के लिए प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में यह सरकार पूर्व सरकारों की भांति छात्रवृत्ति देने की योजना चलाने का काम करेगी ? दूसरा, मा0 मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि मॉडल स्कूल हम चलायेंगें जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा देने का काम करेंगे। तो बहुत से प्राथमिक विद्यालयों में जो टीचर हैं उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। क्या इस विषय में मा0 मंत्री जी ने कोई योजना, चयन प्रक्रिया बनायी है जिसमें मॉडल स्कूलों में अध्यापक अंग्रेजी की शिक्षा देने का काम करेंगें ऐसी कोई चयन प्रक्रिया बनायी है ? ये दो प्रश्न हैं।

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो जो सवाल इन्होंने किया, सदस्य वेल में आ गये आपने कहा कि एक चुराता है, एक वहां से दूसरे को देता है, दूसरा तीसरें को देता है [गगग, इस तरीके का कोई गिरोह समाजवादी पार्टी में नहीं है, न हमको कोई ऐसी सूचना है। जो आपने कहा मुकदमा आप कैसे कायम कराते हैं। मुकदमा हम ऐसे कायम कराते हैं कि अगर रास्ते में एक मानक है 6 पशुओं से ज्यादा किसी गाड़ी में कोई पशु लेकर जाता है तो उसको अवैध माना जाता है, पुलिस कार्यवाही करती है। दूसरा लोकेन्द्र सिंह जी ने कहा, सवाल किया जमीन का तो हम किसी को जमीन नहीं नपवाते हैं न किसी को कब्जा बेदखल करवाते हैं। लाइसेंसिंग एथारिटी भारत सरकार है, इनको जानकारी है। भारत सरकार में आज प्रधानमंत्री जी आपके हैं, आपकी सरकार है। दो मिनट में पूरे प्रदेश के स्लाटर हाउस को आदेश करा दीजिए बंद कर दें, सख्ती से पालन करते हुए सारे स्लाटर हाउस बन्द हो जायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क कापी–किताब देते हैं, निःशुल्क ड्रेस देते हैं, निःशुल्क दोपहर का भोजन देते हैं। नई शिक्षा नीति में ये स्कालरशिप का प्राविधान लगभग एक से आठ तक का खत्म किया गया है। हमने खत्म नहीं किया है और जो मिड डे मील की इन्होंने बात कही है और दूसरे माडल स्कूल की बात कही है, तो जो हम माडल स्कूल खोलने का प्रयास कर रहे हैं उसमें उन टीचर की व्यवस्था की जायेगी जो अंग्रेजी में ही हर विषय को पढ़ाने में माहिर हो। उन स्कूलों में ऐसे टीचरों को नियुक्त किया जायेगा।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें बीस मिनट हो गये हैं और भी सवाल हैं।

नोट :–[गगग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष एक बहुत ही छोटा प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। चूंकि माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा के प्रति काफी सजग हैं, सावधान हैं, सुधार करने का प्रयास भी कर रहे हैं और उन्होंने अभी अपनी बातों में भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका प्रयास होगा कि अंग्रेजी और पब्लिक स्कूलों के बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में आये। मान्यवर, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, आपने उत्तर दिया है कि तीस छात्र की संख्या पर एक टीचर नियुक्त करेंगे तो मान्यवर, यदि तीस के अनुपात में एक शिक्षक की नियुक्ति करने की आपकी मंशा है, आपका मानक है, तो कुल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अब तक पंजीकृत हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों का अभाव है और उनकी नियुक्ति कब तक आप सुनिश्चित कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आपके पास यह सूचना है ? सूचना हो तो बता दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं इस पर सूचना मंगाकर माननीय नेता विरोधी दल को उपलब्ध करा दूंगा।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए। बीस मिनट से ज्यादा हो गया है। अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में गो–वंश जाति के पशुओं के अवैध कटान को रोकने के उपाय

'02–श्री लोकेन्द्र सिंह तथा श्री सतीश महाना–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो–वंश जाति के पशुओं की अवैध कटान से लगातार हो रही संख्या में कमी होने के कारण दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाकर गो–वंश का अवैध कटान रोकने हेतु कड़ा कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

प्रदेश में गो–वंश की संख्या में कमी नहीं हो रही है, अपितु वृद्धि हो रही है। पशु गणना के अनुसार वर्ष 2003 में गो–वंश की संख्या–185.51 लाख थी, जो वर्ष 2007 में 190.97 लाख तथा वर्ष 2012 में बढ़कर 205.97 लाख हो गयी है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011–12 में दुग्ध उत्पादन 225.568 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2012–13 में 233.293 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2013–14 में 241.939 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

प्रदेश में पूर्व से ही उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 तथा संशोधित 2002 लागू है, जिसके अन्तर्गत गो–वंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों को कड़ाई से लागू करने हेतु समय–समय पर शासन स्तर से जिला अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में मान्यवर, अवैध पशुओं की चोरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

क्या पशु भी अवैध होते हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा आशय अवैध कटान से था। मैं क्षमा चाहता हूं। पशुओं की चोरी और अवैध कटान बहुत जोरों से सरकार के संरक्षण में चल रही है। मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि कई अवसरों पर भैंस चोरी हो जाती है, गाय चोरी हो जाती है उसकी सूचना संबंधित थाने को या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, यह पशु चोरी करने की तीन श्रेणियां हैं, तीन पार्ट हैं इसके। मैं विस्तार से बताना चाहता हूं ताकि सरकार को पता रहे कि हमें भी मालूम हैं। इन्हें तो पता ही है, क्योंकि यह करवा रहे हैं। मान्यवर, पहला तो यह होता है कि वहां से गांव से किसी व्यक्ति को लगाकर, किसी लड़के को लगाकर, वहां से पशु को खोलकर गाड़ी तक पहुंचाने का काम होता है, उसके लिए मान्यवर, उसको अच्छा पैसा दिया जाता है और दस–दस हजार, बीस–बीस हजार रुपये पशु को खोलकर गाड़ी तक पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। वह गाड़ी ले जाकर उन लोगों को सौंप देती है जिन्होंने पशु की कटान करनी है। मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से सही बात बताना चाहता हूं। कानपुर के थाना महराजपुर के अन्तर्गत यह घटना हुई जिसके अन्तर्गत मैंने जानकारी सम्बंधित थानाध्यक्ष को दी, एस0पी0 को दी और आई0जी0 को दी। लेकिन उनकी कोई रुचि पकड़ने में नहीं होती है। रुचि इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनको पता होता है कि अगर कहीं पकड़ लिया तो सरकार की नजर न टेढ़ी हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कर लीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर लेता हूं। मान्यवर आप बड़े अच्छे हैं।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेई जी आपका सवाल है आप कहां भागे जा रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह अवैध कटान बहुत जोरों पर है। माननीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया सा उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने सारा उत्तर तो दे दिया है। अब कुछ बचा नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं है शासनादेश जारी करने के अलावा। मान्यवर, वर्ष 2003 में 185.51 लाख की संख्या उत्तर में दी गई है। मान्यवर, इन 10 सालों में ह्यूमन पापुलेशन इससे ज्यादा बढ़ गई है। पशुओं की आबादी 10 प्रतिशत भी नहीं बढ़ी इनके हिसाब से उसके बाद यह कहते हैं कि अवैध कटान नहीं हो रहा है। मान्यवर, एक गाय और एक भैंस पशुधन जो होता है उनके 10–15 सालों में 10–12 प्रजनन होते हैं। उसके प्रतिशत के हिसाब से उनकी संख्या नहीं बढ़ी। इन्सानों की संख्या बढ़ गई है। यह कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि पशुओं की चोरी के बारे में उत्तर प्रदेश के थानों में कई बार उसकी रिपोर्ट लिखाई गई पशु कटान के कारण कई बार प्रदेश का साम्प्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ा। उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुधन की चोरी हो रही है उनका अवैध कटान हो रहा है, हो रही है तो बताएं कि क्या जानकारी है।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी इनको पता नहीं हमारी सरकार के आने के बाद पशुओं की संख्या बढ़ गई दुग्ध उत्पादन बढ़ गया। कामधेनु डेरी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में इसके पहले जितने बड़े पैमाने पर पशुओं की कटान हो रही थी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के पहले जिस तरह से दुग्ध की किल्लत थी आज हमने कामधेनु डेरी योजना दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अध्यक्ष जी आज की डेट में इस सरकार में 30 हजार लीटर दूध इस सरकार ने एक्स्ट्रा पैदा करना चालू किया है। जो हमने कामधेनु योजना के तहत किया है। आपने कहा कि कार्यवाही नहीं हो रही है हो सकता है कि विधायक जी आपको पता न हो जिस तरीके से हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनका निर्देश होता है और लगातार पशु कटान को रोकने के लिए भयंकर रूप से छापेमारी होती है और जो भी लोग उसमें पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाई होती है। केवल वर्ष 2014 में ही 2032 मुकदमें हमने कायम कराए हैं। इसके साथ साथ 3512 अभियुक्त इसमें मुल्जिम बने हैं और 22, 514 पशुओं को हमने बचाया है। अगर कोई विशेष सूचना आपके पास हो कि

यहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप बताइए सख्त से सख्त कार्यवाही हमारी सरकार करेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं तारांकित प्रश्न–3 ले रहा हूं। अब आप लोग बैठें पूरा उत्तर आ गया है।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर आ गया है अगर आप हुड़दंग ही करना चाहते हैं तो अलग बात है।

(वेल से)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

हमारे गांव औरंगपुर सांभी में हमारे परिवार की भैंसें चोरी हो गई और स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री सतीश महाना–

सरकार ने यह स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इसको इशू बनाना चाहते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आपको जो कहना है वहां अपनी सीट से बोलिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप अवसर तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, सीट पर जाइये। भदौरिया जी, उपेन्द्र जी, अपनी सीट पर चलिये। पूरा उत्तर आ गया है, पता नहीं कितना सवाल करेंगें। तमाम लोगों के सवाल लगे हैं। एक–एक सवाल पर इतना समय लेंगे। चलिये, उपेन्द्र जी, अपनी सीट पर चलिये, बहुत योग्यता न प्रदर्शित करिये।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने अनुपूरक में जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, आप बैठिये, लोकेन्द्र जी को पूछने दीजिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो मैंने पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आ गया है। अब उत्तर आपके हिसाब से आयेगा कि मंत्री जी जो उत्तर देंगे वह सुनेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले इसमें लिखा है कि कुछ अवैध कटान नहीं हो रहा है। फिर लिखा है कि इतने लोग पकड़े गये, इतनों के खिलाफ कार्यवाही हुई। मान्यवर, उत्तर स्वयं में कन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। पहले कह रहे हैं कि हो नहीं रहा, फिर कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को पकड़ा। जब हो नहीं रहा है तो आपने कैसे पकड़ा ? जब हो नहीं रहा है तो आपने उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे की।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, आप क्यों उस पर भाषण कर रहे हैं। लोकेन्द्र जी अब आप पूछ लीजिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पशुओं का अवैध कटान हो रहा है गाय और भैंसों का। गाय पर तो पूर्णतया प्रतिबंध है। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं अध्यक्ष जी कि पिछली सरकारों में धन और दौलत की लूट और डकैती होती थी लेकिन इस सरकार में गाय, भैंस और पशुओं की लूट और उनकी डकैती हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ना।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने नियम–51, नियम–301 में और नियम–56 में भी इस विषय को उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मैंने प्रार्थना और निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मैं चार बार व्यक्तिगत रूप से मिला। जो मै0 उमर इन्टरनेशनल ग्राम याकूबपुर पो0 सहर्षपुर में जो यांत्रिक स्लाटर हाउस बना है, यांत्रिक बूचड़खाना यह इतने ताकतवर लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लूट खसोट डकैती डाल रहे हैं पशुओं की। यह आम का बाग, अमरूद का बाग, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ यह सारे पेड़ काटने के बाद और यहां तक कि जो सरकारी सम्पत्ति है, जो सरकारी जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करने के बाद उस पर अतिक्रमण किया और उस पर स्लाटर हाउस बनाया सहर्षपुर के अंदर और वन विभाग के द्वारा..

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो पूछिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई चिंगारी उठती है तो उस पर पानी डालने का काम करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, गुजरे दिनों के अंदर चिंगारी कैसे उठती है, पानी डालने का काम आप कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि यह गम्भीर विषय है चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां कितनी बड़ी घटना हुई। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लूट हो रही है पशुओं की। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं जो भू–खण्ड याकूबपुर में 40, 45, 56, 48, 49, 50, 51, 55, 101, 102, 112 पर जो माडर्न पशु वधशाला का निर्माण किया गया है। अवैध रूप से जो माडर्न पशु वधशाला का निर्माण किया गया है तो क्या सरकार उसको ध्वस्त कराने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, हो गया सवाल।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो जो सवाल इन्होंने किया, सदस्य वेल में आ गये आपने कहा कि एक चुराता है, एक वहां से दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है तो यह संगठित गिरोह कहीं आप ही का तो नहीं है। हमको तो लगता है कि आप लोगों का है। इस तरीके का कोई गिरोह समाजवादी पार्टी में नहीं है, न हमको कोई ऐसी सूचना है। जो आपने कहा मुकदमा आप कैसे कायम कराते हैं। मुकदमा हम ऐसे कायम कराते हैं कि अगर रास्ते में एक मानक है 6 पशुओं से ज्यादा किसी गाड़ी में कोई पशु लेकर जाता है तो उसको अवैध माना जाता है, पुलिस कार्यवाही करती है। दूसरा लोकेन्द्र सिंह जी ने कहा, सवाल किया जमीन का तो हम किसी को जमीन नहीं नपवाते हैं न किसी को कब्जा बेदखल करवाते हैं। लाइसेंसिंग एथारिटी भारत सरकार है, इनको जानकारी है। भारत सरकार में आज प्रधानमंत्री जी आपके हैं, आपकी सरकार है। दो मिनट में पूरे प्रदेश के स्लाटर हाउस को आदेश करा दीजिये बंद कर दें, सख्ती से पालन करते हुए सारे स्लाटर हाउस बन्द हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे बोलने दीजिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने चूंकि संसदीय कार्य मंत्री का जिक्र किया था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। खन्ना साहब, आप बाद में पूछ लीजियेगा। मैंने सदन में पहले भी कहा, अब भी कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम पशु, जो प्रतिबन्धित

हैं, और सरकार ऐसे पशुओं के कटान पर न सिर्फ रोक लगाती है, अगर ले जाते हैं लोग तो उन पर सख्त कार्यवाही होती है। लेकिन यह बड़ा वैचारिक प्रश्न है, आपने कहा कि फलां–फलां सख्स ने नाम भी बताया। आपने चिंगारी पर पानी भी डालने की बात कही। मैंने कल भी कहा था कि महाना जी बात तो कर रहे है, कानून व्यवस्था की लेकिन कुछ शर्मिंदा से लग रहे है, बात में खनक नहीं थी, आवाज में दम नहीं था, इसलिए नहीं था कि दामन दागदार था और गिरेबान में मैल लगा हुआ था क्योंकि हत्यारा यह कहे कि हत्या बुरी चीज है तो बात अच्छी नहीं लगती। मुजफफरनगर, सहारनपुर, कांठ के बारे में अगर सच्चाई नहीं मालूम है, अभी तक तो सच्चाई मालूम करने की आज भी जरूरत है, क्योंकि देश उसकी बड़ी कीमत चुका रहा है। मैंने सदन में पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि प्रतिबन्धित पशुओं का कटान प्रतिबन्धित है और रहेगा, लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया वह उससे ज्यादा बड़ा प्रश्न है हरे–भरे पेड़ काट दिये गये और वहां बड़े बूचड़खाने लगा दिये गये, ये बूचड़खाने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के रहने वालों के लिए, नंगे–भूखे लोगों के लिए नहीं हैं गरीबों को उसका गोश्त नहीं मिलता है। ये गोश्त विदेशों को जाता है और उससे आपको फारेन एक्सजेंज मिलता है। 05 महिने हो गये आपकी सरकार आये। गुलाबी क्रान्ति का वादा किया गया था। गुलाबी क्रान्ति की पहली शर्त यह थी कि विदेशों को जाने वाला गोश्त बन्द कर दिया जाये। हमने सदन में कहा था कि हमसे शिकायत करने के बजाये यह होना चाहिए कि गोश्त का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया जाये। जिस दिन गोश्त का एक्सपोर्ट बन्द कर दिया जायेगा, ये सारे कारखाने बन्द हो जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) जहां तक हमारा व्यक्तिगत सवाल है, हम उसूली तौर पर इस बात को मानते है कि ट्रक के अन्दर जानवरों को लाने में भी मानवता होनी चाहिए। बोरों की तरह रखकर लाना अमानवता है। पशुओं के साथ अमानवता करना भी जायज नहीं है और उसे सही नहीं कहा जा सकता। एक दिन हम साल में ऐसा मनाते है, जिसमें दुकानों पर गोश्त नहीं आना चाहिए, पशु वध नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दिन जबकि दुकानों पर गोश्त नहीं आता है और कही कोई पशु का कटान नहीं होता है, उस दिन भी देश के तमाम पांच सितारा होटलों में जिन्दा गाय ले जायी जाती है और मेन्यू पर लिखा होता है कि गाय की प्लेट की कीमत कितनी है। इसलिए मैंने सदन में मांग की थी कि बात सिर्फ कह देने से पूरी नहीं हो जाती, करने से साबित होती है। पांच सितारा होटल में गाय का गोश्त बिकेगा, गाय की प्लेट बिकेगी और आप यहां पर यह प्रश्न उठायेंगे इसलिए कहिये कि गाय का वध पांच सितारा में भी गैर कानूनी है और किसी मोहल्ले में भी गैर कानूनी है। किसी छोटे होटल में भी नहीं बिकेगा और पांच सितारा होटल में भी नहीं बिकना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास तशरीफ लायें, मैं आपको पत्रावली पर यह आदेश दिखाऊंगा कि प्रतिबन्धित है और यह प्रतिबन्ध पांच सितारा होटल में भी लागू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे की कार्यवाही चलायी जाये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब देना चाहूंगा हम इस बात के लिए शर्मिंदा हैं प्रदेश में हम गाय कटवा रहे है इसके लिए हम शर्मिंदा हैं।

(कई सदस्यों के बोलने के कारण व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खॉ–

आप एक्सपोर्ट के नाम पर पशुओं का वध करा रहे हैं, 05 महीने हो गये, आपकी सरकार को आए, गोश्त का एक्सपोर्ट बन्द कराइये ताकि यह वधशालाएं बन्द हो जायें, एक्सपोर्ट बन्द कराइये। बन्द कराइये, एक्सपोर्ट, हम चाहते हैं कि यह एक्सपोर्ट बन्द हो।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के साथ–साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग शान्त होइये, आगे की कार्यवाही चलायी जाए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा नाम लिया है, मुझे उत्तर देने दीजिए। यह मेरे से सम्बन्धित बात है, मुझे उत्तर देने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पांच महीने आपकी सरकार आए हुए हो गए, गुलाबी क्रान्ति आना चाहिए, एक्सपोर्ट बन्द कराइये, पशु के नाम पर बजट नहीं, पशु के नाम पर पैसा नहीं। आप करा रहे हैं, पांच महीने हो गए हैं, गुलाबी क्रान्ति को।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के साथ–साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिए। खन्ना जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ? खन्ना जी बताइये।

श्री सतीश महाना–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सदन में प्रस्ताव लाइये, हम उसका समर्थन करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वाह–वाह, यह प्रस्ताव हम लायें और केन्द्र की सरकार आप चलायें ? गुलाबी क्रान्ति आप लायें, प्रस्ताव हम लायें ? यह हमारा प्रस्ताव ही है।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं, अगर प्रस्ताव यहां से आता है तो प्रस्ताव अकेले एक चीज का नहीं आयेगा। जूतों का भी प्रस्ताव आए और जो मेडिकल और दवाइयों में इस्तेमाल होता है, उसका भी प्रस्ताव आए और फिर आप लोग तय करना कि यह चीजें कहां से बन करके आयेंगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम सदन में आपसे वायदा करते हैं, यह एक्सपोर्ट बन्द होगा और इसके लिए कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, अकेले केन्द्र सरकार इसे बन्द करने में सक्षम है और यह बन्द होगा, मान्यवर,यह बन्द होगा।

श्री अध्यक्ष–

तब फिर लड़ाई किस बात की है? बन्द कराओ। खन्ना जी, अभी बहुत से सवाल और जवाब है, बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह मुजफ्फरनगर के कमजोर लोग नहीं हैं, यह देश की राजनीति है, इण्टरनेशनल पोलिटिक्स है, यह मुजफ्फरनगर के कमजोर लोग नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह बन्द होगा और हर हालत में बन्द होगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 खन्ना जी, आपने कह दिया, बन्द होगा, बात खत्म हुई, अब आगे बढ़ने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक बात मा0 पशुधन मंत्री जी ने सदन में कही, आप कार्यवाही देख लें।

(श्री सतीश महाना तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य साथ–साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले अपने नेता को तो बोलने दीजिए। आप लोग तय कर लीजिए कि पहले कौन बोलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, आप कार्यवाही देख लें, मा0 पशुधन मंत्री ने एक बात कही कि उस गिरोह में कहीं आप लोग तो नहीं हैं ? मान्यवर, हम इस बयान की निन्दा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब देने का तरीका नहीं है, यह सच्चाई को छिपाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए, प्रश्न सं0–3 लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से पूरी बात आई है, मेरी भी पूरी बात आने दीजिए, हमें पूरा जवाब देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा तो है, नहीं, बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप मंत्री जी से कहिए कि वह अपने शब्द वापस लें। आप कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष–

हम कार्यवाही देख लेंगे, अगर असंसदीय होगा तो उसे निकाल देंगे। अब आप बैठिए। मैं उसे कार्यवाही में देख लूंगा, अगर असंसदीय होगा तो कार्यवाही से निकाल दूंगा।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती करने हेतु शर्तें एवं मार्ग दर्शन के सम्बन्ध में

'03–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती करने हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कुछ शर्तें/मार्ग–दर्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह शर्तें/मार्ग–दर्शन क्या हैं और इसके अन्तर्गत वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 में क्या शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी–कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार नियमावली, 2011 (प्रथम संशोधन) तथा उ0प्र0 अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 (19वां संशोधन) निर्गत किया गया है तथा इससे सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2014 व संशोधित शासनादेश दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा कतिपय शर्तें/मार्ग–दर्शन दिये गये हैं। सम्बन्धित शासनादेश की प्रति संलग्न† है,जिसके अन्तर्गत वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 में शिक्षा–मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मित्रों द्वारा दूरस्थ विधि से दो वर्षीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शासनोदश दिनांक 19–6–2014 के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर लगभग 58145 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–03 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

---

† ¼ nsf[k;s uRFkh d vkxs i`"B&150&154 ij ½

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का टाइम दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप कार्यवाही देख लीजिये, मान्यवर।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरशराबे के कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए ना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी हमें पूरा जवाब देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा तो है नहीं, प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इनसे कहिए कि यह शब्द वापस लें। आप कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष–

हम कार्यवाही देख लेंगे, अगर कुछ असंसदीय होगा तो कार्यवाही से निकाल देंगे। बैठिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। सवाल कहीं का होता है और जवाब मुजफ्फरनगर और कहीं और पहुंच जाता है इस सदन की चाहे नियमावली देख लें चाहे इस सदन की परम्परा देख लें जवाब सुसंगत आना चाहिए। इस बात को कहकर कि मुजफ्फरनगर, आजम भाई हम तो आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उधर बैठे हो, आप बोले रहो और हमारा वोट बढ़ता रहे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वोटो के लिए इंसानों को मारते हो, वोटो के लिए घर जलाते हो, वोटो के लिए बस्तियां उजाड़ते हो। मुबारक हो आपको यह तख्तोताज। इंसानों की लाशों पर सरकारें मुबारक हों आपको। मुबारक आपको, मुबारक मुजफ्फरनगर।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान जारी रहा, घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब आगे बढ़िए।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा अगर असंसदीय होगा तो कार्यवाही से निकाल दूंगा। अब बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इनके जो मन में आएगा बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता, डिप्टी लीडर दोनों लोग इसी पर अड़े हुए हैं आगे बढ़ने दीजिए बहुत–से सवाल हैं उन सवालों के माध्यम से प्रदेश का लाभ होगा। आप जो कहना चाहते थे पूरी बात कह लिए और माननीय मंत्री जी से जवाब भी आ गया अब आगे बढ़ने दीजिए। खन्ना साहब बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी यह शब्द जो इन्होंने कहें हैं ये वापस लें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारेबाजी करते हुए कि 'गौ हत्या बंद करो' सदन के वेल में आ गए जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे परिवार से दो भैंस और एक पाड़ा चोरी हो गए मेरे परिवार का मामला है।

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे कि 'गौ हत्या बंद करो, बंद करो, कटती गऊ करे पुकार बंद करो यह अत्याचार' जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग अपनी सीटों पर चलें आपका इतना विरोध हो गया। आप चलिए, आपका कुछ लिखा तो जा नहीं रहा है न कार्यवाही का अंग बनेगा। इसलिए अब बोलने से क्या फायदा अब आप अपनी सीटों पर चलिए। अब आप लोग चलें हो गया अरे कुछ अब लिखो मत अब लिखा नहीं जाएगा।

(घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य, श्री सतीश महाना सहित कई मा0 सदस्यों के वेल से एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, सीटों पर चलिये। आप सीटों पर जाओ न। आप जाइये। अब इतना बहुत हो गया। आगे बढ़ने दीजिए। नहीं मानते हैं। आप लोग अपने–अपने स्थान पर जायें। थक जाओगे आप बैठे रहेंगे ऐसे ही चार बजे तक, चलिये। अरे रघुनन्दन सिंह भदौरिया, गाय वाय रखे हो। सेवा करो, खिलाओ, पिलाओ अब जाओ। हो गया। आप लोग जो बोल रहे हैं यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जाएगा। चलो। राणा साहब आगे चलो। अभी सवाल हैं दो–एक और आ जायें। आपका विरोध हो गया। आप लोग नहीं जायेंगे। अब मैं सदन को 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

'04–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

खदिनांक 17–11–2014 को तारां प्र0सं0–10 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान हेतु संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहालों हेतु पेयजल एवं शौचालय की बुनियादी व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

'05–डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान पर अत्यधिक धनराशि खर्च करने के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नौनिहाल पेयजल एवं शौचालय की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्थायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्रदेश में कुल 159483 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 3637 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था तथा 7171 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय सुविधा नहीं है।

जी हां।

- प्रदेश में कुल 7171 शौचालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014–15 में 3318 शौचालयों के निर्माण हेतु रु0 23.226 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जिसे जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है तथा जनपद स्तर पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। अवशेष 3853 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से लगभग 800 विद्यालय किराये के भवनों में

' तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

संचालित हैं, जिनमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान नहीं होने के कारण शौचालय निर्माण सम्भव नहीं है। 1845 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से कराया जा रहा है तथा शेष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराने हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

- प्रदेश में कुल 3637 पेयजल सुविधा विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014–15 में 3257 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि मैदानी क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति इकाई रु0 41,000/–तथा पठारी क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति इकाई लागत रु0 53,000/– की दर से पेयजल सुविधा हेतु धनराशि की मांग की गयी थी, किन्तु भारत सरकार द्वारा रु0 15,000/– की दर से रु0 4.885 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें पेयजल व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से अनुरोध किया गया है, किन्तु अद्यतन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत निजी बेसिक शिक्षा पब्लिक स्कूलों में जुलाई, 2014 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश पाने वाले छात्रों की जानकारी

'06–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत निजी बेसिक शिक्षा पब्लिक स्कूलों में कितने बच्चों का प्रवेश जुलाई, 2014 में निःशुल्क लिया गया है ? यदि नहीं, तो इस योजना के अन्तर्गत बच्चों का प्रवेश न हो पाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जुलाई, 2014 में कुल 08 बच्चों द्वारा प्रवेश लिया गया है।

लगभग सम्पूर्ण प्रदेश परिषदीय/राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों से सेवित है तथा परिषदीय/राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटों का अभाव नहीं है।

प्रदेश के उन गांवों में जहां गरीब अधिक हैं, को चिन्हित करने उन्हें रोजगार प्रदान करने की सरकार की योजना

'07–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे गांव जहां गरीबी अधिक है या प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है, को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध

कराने सम्बन्धी किसी योजना पर सरकार विचार करेगी जिससे गांवों से ग्रामीणों का पलायन भी रुके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में प्रति व्यक्ति कम औसत आय के आधार पर ग्रामों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। सरकार प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान हेतु कतिपय योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू–गर्भ जल स्तर रोकने का सरकार का उपाय

'08–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–गर्भ जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो उसके स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां। प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भू–जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' निर्गत की गयी है।

समग्र नीति के अन्तर्गत अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भू–जल की स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज के कार्य कराये जाने पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू–गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें चेक डैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, आन फार्म हार्वेस्टिंग आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के अराजी लाइन विकास खण्ड के जनसा गांव में मंजू पटेल की कुपोषण से मृत्यु ऐसी घटनाओं को रोकने की सरकार की योजना

'09–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सही देख–रेख के अभाव में कुपोषण से बच्चों व माताओं को राहत प्रदान करने का पूरा कार्यक्रम विफल हो रहा है और वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुपोषण से मौत की घटनायें घटित हो रही हैं ? क्या यह सही है कि जनपद वाराणसी के आराजी लाइन विकास खण्ड के

जनसा गांव में दिनांक 30 अगस्त, 2014 को मन्जू पटेल की 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग को और अधिक संवेदनशील बनाने व ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद के आराजी लाइन विकास खण्ड के जनसा गांव में मन्जू पटेल की बच्ची की मौत नियत समय से पूर्व (गर्भ के 07 माह) प्रसव होने तथा जन्म के समय गम्भीर रूप से अल्पवजन (1.1 किग्रा0) होने के कारण हुई है।

कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण को कम करने हेतु विभागीय योजनायें संचालित हैं। आई0सी0डी0एस0 योजना को पूरे प्रदेश के सभी जिलों की सभी बाल विकास परियोजनओं को मिशन मोड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए उ0प्र0 राज्य में राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है, जो कार्यशील है। राज्य पोषण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। पोषण मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

'10–श्री मनीष असीजा–

ख्युनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में दुधारू जानवरों की चिकित्सा हेतु व्यवस्था की मांग

'11–श्री संजय कपूर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुधारू जानवरों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है और इनकी संख्या बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में कितने चिकित्सालय व पशु प्रसार केन्द्र चिकित्सक व स्टाफ की कमी से बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती कर पशुओं की सुरक्षा एवं दुधारू पशुओं को बचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

दुधारू पशुओं की चिकित्सा हेतु प्रदेश में 2200 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र तथा 268 'द' श्रेणी औषधालय कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने हेतु प्रजनन योग्य पशुओं को उन्नत नस्ल के पशुओं के अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन

की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश में कामधेनु योजना एवं मिनी कामधेनु योजना भी चलायी जा रही है।

यद्यपि वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 1982 पदों के सापेक्ष 528 पद रिक्त हैं। किन्तु इसके बावजूद वर्तमान में प्रदेश में कोई भी पशु चिकित्सालय व पशु प्रसार केन्द्र बन्द नहीं है। जिन पशु चिकित्सालयों/सेवा केन्द्रों पर पशु चिकित्सक एवं स्टाफ की नियमित तैनाती नहीं है, वहां निकटस्थ कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ को पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु तैनात किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद के चयन हेतु 196 पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष 182 अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई है। बैकलाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा 65 पदों के सापेक्ष 47 पदों पर चयन हेतु संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें से 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश दिनांक 21–10–14 को जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16–5–2013 को 192 पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त 1297 पदों के सापेक्ष 1198 पदों पर नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। सेवा निवृत्ति, त्याग–पत्र, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु आदि कारणों से पद रिक्त होते रहते हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही समय–समय पर सरकार द्वारा की जाती है। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

'12–डा0 अरूण कुमार–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'13–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में पत्राचार बी0टी0सी0 अभ्यर्थी का घोषित परिणाम एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में

01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डायट से प्रशिक्षण प्राप्त पत्राचार बी0टी0सी0 अभ्यर्थी जिनका परिणाम वर्ष 2006 में ही घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी नियुक्ति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

परीक्षा परिणाम दिनांक 21–05–2008 को घोषित हुआ है।

जी नहीं।

पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों के लिए है। अतः इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के भोजपुर को डार्क जोन रहित करने की मांग

02–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ब्लाक भोजपुर को क्रिटिकल श्रेणी में रखते हुए दिनांक 15–05–2012 को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है जिसके कारण नये नलकूपों के निर्माण न हो पाने के कारण पानी के अभाव में किसानों की फसल सूख जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गाजियाबाद स्थित भोजपुर ब्लाक का पुनः सर्वे कराकर डार्क जोन रहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

भू–जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 31–03–2009 के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर, जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत ब्लाक भोजपुर को शासनादेश दिनांक 15–05–2012 द्वारा क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

भारत सरकार की भू–जल आंकलन समिति–1997 (जी0ई0सी0–1997) की मेथोडोलाजी के अनुसार 31–03–2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भू–जल संसाधनों का विकास खण्डवार नीवन आंकलन किया गया है, जिसमें जनपद–गाजियाबाद के विकास खण्ड–भोजपुर को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। विकास खण्डों के इस नीवन वर्गीकरण से सम्बन्धित सूची शासनादेश सं0–5/1373/62–1–2014–04 आर/2009, दिनांक 10–10–2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के दुर्गा प्रसाद इण्टर कालेज खसौरा के सेवानिवृत्त सहा0 अध्यापक श्री रामसुमेर बाजपेई के देयकों का भुगतान कराये जाने की मांग

03–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसुमेर बाजपेयी, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, दुर्गा प्रसाद इण्टर कालेज, खसौरा, जनपद हरदोई के बकाया देयकों के भुगतान विषयक श्री आशुतोष मौर्य, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 14–08–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

जी नहीं।

श्री रामसुमेर बाजपेई, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, दुर्गा प्रसाद इण्टर कालेज, खसौरा, जनपद हरदोई के अवशेष की अनुमन्यता निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में टंकियों को चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

04–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्थापित की गयी 750 (टी0टी0एस0पी0) छोटी पानी की टंकियों को अभी तक चालू नहीं किया गया है जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों को चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप–

जनपद–हाथरस में निम्नानुसार (टी0टी0एस0पी0) छोटी पानी की टंकियां वर्ष 2009–10 से 2010–11 में स्वीकृत/निर्मित हुई हैं :–

क्र0सं0	योजना	स्वीकृति की वर्ष	कुल स्वीकृति	कुल निर्मित	चालू	बन्द
1	2	3	4	5	6	7
1	57 बस्ती टी0टी0एस0 पी0 योजना	2009–10	57	51	08	43
2	89 बस्ती टी0टी0एस0 पी0 योजना	2010–11	89	80	26	54
3	100 बस्ती टी0टी0एस0 पी0 योजना	2010–11	100	54	03	51
4	122 बस्ती टी0टी0एस0 पी0 योजना	2010–11	122	95	21	74
1	2	3	4	5	6	7
5	138 बस्ती टी0टी0एस0 पी0 योजना	2010–11	138	90	71	19
6	62 बस्ती टी0टी0एस0	2010–11	62	39	23	16

	पी0 योजना					
	योग		**568**	**409**	**152**	**257**

उपरोक्तानुसार जनपद–हाथरस में वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में कुल 568 नग टी0टी0एस0पी0 स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 06 नग टी0टी0एस0पी0 वेदई ग्राम पेयजल योजना में निर्मित हो जाने के कारण निर्मित नहीं की जानी है। इस प्रकार 562 नग टी0टी0एस0पी0 का निर्माण होना था, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 409 नग टी0टी0एस0पी0 निर्मित किये जा चुके हैं तथा शेष 153 नग टी0टी0एस0पी0 का निर्माण कार्य माह मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना है। उपरोक्त निर्मित 409 नग टी0टी0एस0पी0 में से 152 नग टी0टी0एस0पी0 चालू हैं तथा 257 नग टी0टी0एस0पी0 विभिन्न कारणों से बन्द हैं। बन्द 257 नग टी0टी0एस0पी0 में से 97 नग टी0टी0एस0पी0 को माह मार्च, 2015 तक चालू कराकर ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा तथा शेष 160 नग बन्द टी0टी0एस0पी0 को माह मार्च तक चालू कराकर ग्राम पंचायतों को रख–रखाव एवं संचालन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कतिपय ब्लाकों के स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

05–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर, रूदौली, सल्टौआ गोपालपुर के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में कितने पद अध्यापकों के सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष कितने अध्यापक नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जुलाई, 2014 तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर, रूदौली, सल्टौआ, गोपालपुर के प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुल 1216 अध्यापकों तथा जूनियर हाई स्कूलों हेतु 360 अध्यापकों की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालयों के 1216 पदों के सापेक्ष 631 तथा जूनियर हाईस्कूल के 360 पदों के सापेक्ष 245 अध्यापक नियुक्त हैं। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में 585 तथा जूनियर हाई स्कूल में 115 पद रिक्त हैं।

नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनवाये जाने की मांग

06–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी प्रख्यापित नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमावली बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप–

जी हां।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की भर्ती एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सामान्य मार्ग निर्देश दिनांक 17 मार्च, 1994 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त प्रस्तर–2 के अनुसार।

प्रदेश के विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या एवं इसके नियंत्रण हेतु कार्यवाही की मांग

07–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विभिन्न सरकारी/सहायता प्राप्त असरकारी/मान्यता प्राप्त असहायतित विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या सही न होने के संदर्भ में सूचनायें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

छात्र/छात्राओं की संख्या सही न होने के संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण।

प्रदेश में स्वीकृत माडल स्कूलों में भवनों का निर्माण एवं उसमें पढ़ाई व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

08–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में प्रदेश में स्वीकृत माडल स्कूलों में से कितने स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा कितने स्कूलों का निर्माण कार्य अवशेष है ? क्या सरकार सभी स्वीकृत माडल स्कूलों का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा कराकर पढ़ाई शुरू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा 45 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2013–14 में 81 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 45 मॉडल स्कूलों के सापेक्ष 42 मॉडल स्कूल भवन का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर है और दो विकास खण्डों में स्थल परिवर्तन सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को संदर्भित है तथा एक विकास खण्ड का स्थल परिवर्तन सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद से अप्राप्त है। वर्ष 2013–14 में स्वीकृत 81 मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु धनराशि राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ को शासनादेश संख्या–1272/15–7–2013–1/(98)/2010, दिनांक 20–10–2014 द्वारा रू0 8666.667 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

वर्ष 2012–13 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण कार्य पूरा करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र 2015–16 से पढ़ाई शुरू कर दी जायेगी। वर्ष 2013–14 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों में शैक्षिक–सत्र 2016–17 से पढ़ाई शुरू की जायेगी।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी फीस वसूलने व पढ़ाई करने की व्यवस्था लागू करने की मांग

09–डा0 अरुण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी फीस तय दुकानों से मंहगी कापी किताबें तथा स्कूली ड्रेस खरीदने को अभिभावकों को मजबूर किये जाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन निजी स्कूलों में फीस का निर्धारण तथा एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबों से पढ़ाई करने की व्यवस्था लागू करने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1719/15–7–09–10(107)/2006, दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा निजी स्कूलों पर फीस नियंत्रण/फीस निर्धारण एवं नियमन की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रचलित पुस्तकों के माध्यम से विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों के माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित कराने की नीति शासन द्वारा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा क्रय व विक्रय दूध के सम्बन्ध में जानकारी

10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा फुल क्रीम दूध कितने रुपये में बेचा जा रहा है और किसानों तथा दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों से कितने रुपये में खरीदा जा रहा है ? क्या यह सही है कि पैकिंग दूध बाजार में सप्लाई के दिन उत्पादन की तिथि से एक दिन बाद की तिथि अंकित करके बेचा जा रहा है जिससे उपभोक्ता दूध के खराब होने से परेशान हैं ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

विभिन्न कम्पनियों की फुल क्रीम दूध की उपभोक्ता दरें निम्नवत् हैं :–

ब्राण्ड का नाम	उपभोक्ता दरें प्रति लीटर
पराग	48.00
अमूल	48.00
ज्ञान	48.00
मदर डेरी	48.00
नमस्ते इण्डिया	48.00
जे0के0 मिल्क	48.00
परम	48.00
पारस	48.00
गोपाल जी	48.00
आनन्दा	48.00
सुधा	48.00
पदम श्री	48.00

वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों तथा दुग्ध व्यवसाय से जुड़े दुग्ध उत्पादकों से पी0सी0डी0एफ0 द्वारा संचालित दुग्ध संघों के माध्यम से निर्धारित मानक पर माह सितम्बर, 2014 में पश्चिमी क्षेत्र में रु0 35.00 से रु0 37.00 प्रति कि0ग्रा0, मध्य क्षेत्र में रु0 30.00 से रु0 35.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं पूर्वी क्षेत्र में रु0 30.00 से रु0 33.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से दूध का क्रय किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबिलिंग) विनियम–2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ पर ''तारीख तक उपयोग'' (यूज बाइ डेट) उल्लिखित किये जाने का प्राविधान है। इस तिथि तक खाद्य पदार्थ के गुणवत्तापरक बने रहने का दायित्व सम्बन्धित खाद्य करोबारकर्ता का है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा

उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार इसके उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

जनपद बस्ती में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का पारिश्रमिक का भुगतान शिक्षकों को कराये जाने की मांग

11–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 2014 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का पारिश्रमिक का भुगतान शिक्षकों को अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनके पारिश्रमिक का कब तक भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां, जनपद बस्ती में वर्ष 2014 की बोर्ड परीक्षा हेतु चार मूल्यांकन केन्द्र बनाये गये थे, जिनमें से दो मूल्यांकन केन्द्रों पर धनराशि की कमी के कारण शिक्षकों के पारिश्रमिक का आंशिक भुगतान ही हो सका है।

यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोहिया आवास दिये जाने की नीति

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया आवास दिये जाने की नीति क्या है ? क्या लोहिया आवास उन्हीं ग्रामों में दिये जाने हैं जिन ग्रामों का चयन लोहिया ग्राम के रूप में हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो ग्राम लोहिया ग्राम के रूप में चयनित नहीं हुए हैं उनके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में गरीब पात्र लोगों को भी लोहिया ग्राम की भांति उक्त लाभ दिये जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह श्गोपश–

लोहिया ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के परिवार (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) जिनकी वार्षिक परिवारिक आय रु0–36000/– से कम है तथा वर्ष 2002 में तैयार की गयी बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने के कारण इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं, को निःशुल्क लोहिया आवास से लाभान्वित कराया जाता है।

योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन प्रथमतः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अधीन चयनित ग्रामों से किया जाना प्राविधानित है। चयनित समग्र ग्रामों को संतृप्त करने के बाद अवशेष धनराशि की सीमा तक अन्य ग्रामों में लोहिया आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद गोरखपुर में मध्याह्न भोजन न बनने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

13–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के 15 विद्यालयों में बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच में यह जानकारी आई कि 18 जुलाई, 2014 तक पूरे 17 दिन एक भी दिन मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद गोरखपुर के 46 विद्यालयों में 01 जुलाई, 2014 से 17 जुलाई, 2014 तक मध्याह्न भोजन बाधित रहा।

इस सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों/अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी बी0टी0सी0 कालेजों में फीस तय करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

14–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के सभी निजी बी0टी0सी0 कालेजों की फीस तय करने के लिये किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो उस समिति की रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01–08–2014, 19–08–2014 तथा 29–08–2014 को आहूत की गई। समिति की रिपोर्ट के अनुसार शासनादेश संख्या–1441/15–11–2014, दिनांक 10–09–2014 द्वारा बी0टी0सी0 तथा एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों से शुल्क रु0 41000/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र शैक्षिक सत्र, 2014–15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों हेतु निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना

15–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के सृजित पदों में से वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में सम्प्रति शारीरिक शिक्षा के पद सृजित नहीं हैं, किन्तु परिषदीय विद्यालयों में बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 उपाधिकारी शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षा हेतु नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक 5 कि0मी0 की परिधि में एक हाई स्कूल की स्थापना की नीति

16–डा0 अरुण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक 5 कि0मी0 की परिधि में एक हाई स्कूल की स्थापना नीति के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कितने हाई स्कूल खोले जाने हैं ? क्या सरकार ने इस कार्य हेतु धन आवंटित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार द्वारा नवीन राजकीय हाई स्कूल खोले जाने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति का निर्णय

17–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति करने हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूल खोलने तथा उसका संचालन उत्तर प्रदेश बोर्ड से न कराकर सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध करने विषयक

18–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में जो माडल स्कूल खोलने जा रही है, उनका संचालन उत्तर प्रदेश बोर्ड से न कराकर सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध कराने जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधारित योजनान्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर माडल स्कूल स्थापित किये जाने की योजना लागू की गई है। मॉडल स्कूल की संरचना और सुविधायें उसी स्तर की प्रस्तावित हैं जो केन्द्रीय विद्यालयों में होती हैं।

प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जून/जुलाई, 2013 से कार्यरत अनुदेशकों को अगस्त, 2013 में लागू रिजवी कमेटी की अनुशंसा के अनुसार वेतन व अन्य सुविधायें दिया जाना

19–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जून/जुलाई, 2013 से कार्यरत अनुदेशकों को अगस्त, 2013 में लागू रिजवी कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप वेतन तथा अन्य सुविधायें दे दी गयी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19 एवं 25 की अनुसूची के अनुसार ''विद्यालय के मान और मानक'' के क्रम संख्या–1(ख) के बिन्दु संख्या–3–11 तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 31–01–2013 के अनुसार 100 से ऊपर छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु0 7000/–प्रतिमाह की दर से शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा एवं कार्य शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों को संविदा पर तैनात किया गया है।

संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में रु0 7000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय हेतु बजट अनुमोदित किया गया है। अतः अंशकालिक अनुदेशकों को अनुशंसा के अनुरूप वेतन तथा अन्य सुविधायें दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक परिवारों की बालिकाओं के लिये चयनित ब्लाकों में छात्रावास उपलब्ध कराने विषयक

20–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक परिवारों के 14 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिये केन्द्र तथा राज्य के सहयोग से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका छात्रावास योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 2010–11 में उपरोक्त योजना के लिये प्रदेश के 42 जिलों के 141 ब्लाकों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित किन–किन ब्लाकों में छात्रावास की योजना शुरू की गयी है तथा उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत प्रदेश के 42 जिलों के 141 ब्लाकों में चयनित बालिका छात्रावासों की सूची संलग्न४ है तथा उनके निर्माण के संबंध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद की रुदौली क्षेत्र के विकास खण्ड मवई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैदपुर में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना

21–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली वि0 ख0 मवई अन्तर्गत ग्राम पंचायत सैदपुर में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार 10,000 से ऊपर वाली इस ग्राम पंचायत के सभी मजरों में पेयजल की उपलब्धता हेतु शासन की नीति के अनुसार पेयजल पाइप योजना प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के 90 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों को पाइप द्वारा पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है, जिसके प्रथम चरण के अन्तर्गत ग्राम

---

४ (देखये नत्थी श्खश आगे पृष्ठ–155–158 पर)

पंचायत–सैदपुर के सभी मजरों को सम्मिलित करते हुए पाइप पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को लोकतंत्र सेनानियों की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में

22–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10430756/2014, जो आपातकालीन अवधि में मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सुविधाएं दिये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

जी हां।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की आख्यानुसार जनपद बुलन्दशहर में मात्र श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश दिनांक 28–01–1976 को मु0अ0सं0–48 धारा–33/36 डी0आई0एस0आई0आर0 के अन्तर्गत थाना लाल कुर्ती मेरठ से जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध हुये थे तथा मा0 न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ के आदेशानुसार दिनांक 28–02–1976 को कारागार से रिहा हुये थे। श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश द्वारा स्वयं को लोकतंत्र सेनानी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अपना आवेदन दिया गया था, जिसे शासनादेश संख्या–800 जेड/6–सा–1–2012–55जी/90, दिनांक 14–09–2012 के अन्तर्गत पात्रता में न पाये जाने के कारण आदेश दिनांक–19–6–2014 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है।

प्रकरण से सम्बन्धित जनपदों से विस्तृत आख्या प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिये सरकार की नीति

23–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिये सरकार कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना/नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हित तथा दुग्ध क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई दखल की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा स्वरूप

संघ को आधुनिक तकनीक के उपकरण एवं अवस्थापना आदि की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम मूर्ति वर्मा–

उ0प्र0 में सहकारी दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु दुग्ध नीति बनायी गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण सहकारिताओं को सहायता, एकीकृत डेरी विकास योजना, चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के कतिपय ग्रामों को क्रिटिकल श्रेणी से बाहर करने विषयक

24–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या लघु सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा को क्रिटिकल श्रेणी में कर दिया गया है जबकि विकास खण्ड खुर्जा के कुछ ग्राम पंचायतों में ही जल सतह कम है ? क्या सरकार इस विकास खण्ड की जिन ग्राम पंचायतों में माप के अनुसार जल स्तर कम नहीं है उन ग्राम पंचायतों को क्रिटिकल श्रेणी से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति–1997 के मार्ग निर्देशों के अनुसार भूगर्भ जल विभाग द्वारा 31 मार्च, 2011 के आंकड़ों के आधार पर विकास खण्डवार भूजल संसाधनों का आंकलन किया गया है, जिस पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त प्रदेश के विकास खण्डों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जनपद–बुलन्दशहर का विकासखण्ड–खुर्जा क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत है। भूजल आंकलन का कार्य जी0आई0सी0–1997 की मेथोडोलाजी के आधार पर किया जाता है, जिसमें भूजल आंकलन की इकाई विकास खण्ड/वाटरशेड रखी गयी है। ग्राम पंचायत स्तर पर भूजल संसाधनों के आंकलन हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आपातकालीन राजनैतिक बन्दियों को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमावली को संशोधन करके लिये गये निर्णय की जानकारी

25–श्री जय प्रताप सिंह––

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आपातकालीन राजनैतिक बन्दियों (डी0आई0आर0/मीसा) को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–05–2012 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 2006 के नियमावली के नियम–9 को संशोधित करते हुए क्या–क्या सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है ?

श्री राजेन्द्र चौधरी–

रिट याचिका संख्या–11590/2010 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–05–2012 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 14–09–2012 को उ0प्र0 लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि नियमावली 2012 निर्गत की गयी है, जिसमें दिनांक 2012 निर्गत की गयी है, जिसमें दिनांक 01–04–2012 से सम्मान राशि तथा आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सहयोगी सहित राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधा बहाल कर दी गयी है।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा हथसरा, विकास खण्ड करछना में वर्ष 2002 की स्थाई पात्रता सूची के पात्र व्यक्तियों की इन्द्रा आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

26–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हथसरा, विकास खण्ड करछना, जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2002 की स्थाई पात्रता सूची के पात्र व्यक्तियों को अभी तक इन्द्रा आवास नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थाई पात्रता सूची में शामिल सभी पात्र व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह श्गोपश्–

ग्राम पंचायत हथसरा, विकास खण्ड–करछना, जनपद–इलाहाबाद में इन्दिरा आवास हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची मे कुल 16 परिवार सामान्य श्रेणी तथा 01 परिवार अनुसूचित जाति श्रेणी का है। अनुसूचित जाति के परिवार को इन्दिरा आवास दिया जा चुका है। गैर अनुसूचित जाति के 16 परिवारों में से 08 परिवार को गत वर्षों में आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। 01 परिवार मृतक है। 07 परिवार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवास उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद हाथरस के ब्लाक हाथरस में खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु ठोस नीति

27–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हाथरस में खारे पानी की समस्या व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक में व्याप्त खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस में क्रमशः बेरगांव, चिन्तापुर बदन, मल्है, रुद्रपुर एवं त्रिलोकपुर ग्राम खारे पानी की समस्या से चिन्हित हैं।

जी हां।

खारे पानी की समस्या से चिन्हित गांवों में शुद्ध पेयजल हेतु पाइप पेयजल योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को विषय विशेषज्ञों की तरह एल0टी0 ग्रेड के रिक्त पदों पर समायोजन का प्रकरण

28–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू किये जाने के बारे में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने वर्ष 2012 में लवकुश पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य 2012 वाल्यूम एक, एडीजे, पैरा 414, इलाहाबाद के द्वारा आउट सोर्सिंग पर पूर्णतया रोक लगाते हुये उसे संविधान के अनुच्छेद–14, 16, 19 एवं 39–डी का उल्लंघन माना है और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उसकी बनाई नियमावली में यह प्राविधान है कि विद्यालय का लाभ किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी संगठन को नहीं दिया जा सकता है इसके बावजूद राज्य सरकार विद्यालय का लाभ कम्पनियों को दे रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को विषय विशेषज्ञों की तरह एल0टी0 ग्रेड के रिक्त पदों पर समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

केन्द्र पुरोनिधानित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) योजना भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स की शर्तों के अनुसार चयनित एजेन्सियों से अनुबन्ध निष्पादित कर वर्ष 2009–10 से संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एड0 योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

29–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने के उद्देश्य से बी0पी0एड0 योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 2007–08 में बी0पी0एड0 शिक्षकों की भर्ती की गयी थी, जो बाद में समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उनकी स्थाई नियुक्ति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

वर्ष 2007–08 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु बी0पी0एड0 प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। चयनोपरान्त उन्हें 8 माह का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्रदान कर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो जाने के उपरान्त बी0पी0एड0 उपाधिकारी अभ्यर्थियों का चयन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश में स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्थाई व्यवस्था

30–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब से कार्यान्वित किया गया है ? क्या यह सही है कि पाठ्य पुस्तकों की छपाई का ठेका निविदा के आधार पर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पाठ्य पुस्तकों की छपाई में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और उनकी आपूर्ति विलम्ब से की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्थायी व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2005–06 से कार्यान्वित है।

जी हां।

आंशिक रूप से पाठ्य पुस्तकों की छपाई में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है एवं आंशिक पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति विलम्ब से हुई है।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

दोषी मुद्रकों/प्रकाशकों की भुगतान धनराशि एवं जमानत राशि से कटौती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की विधान सभा क्षेत्र पनियरा के प्राथमिक विद्यालय शोमपुर (तुलसीराम) में बच्चों की बढ़ी हुई संख्या दिखाने के लिये प्राइवेट बच्चों के नाम दर्ज करने की जांच कराकर कार्यवाही की मांग

31–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पनियरा जनपद महराजगंज प्राथमिक विद्यालय शोमपुर (तुलसीराम) में बच्चों की बढ़ी हुई संख्या दिखाने के लिये प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों के नाम अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय में दर्ज कर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री सुदेश शर्मा–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

33–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्ाले गुरुवार के अता0प्र0सं0–78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बस्ती में विद्यालयों की मान्यता का प्रकरण

34–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विद्यालयों के मान्यता सम्बन्धी बनी समिति की कोई बैठक विगत 3 वर्षों से न होने से नये विद्यालयों को मानक पूर्ण होने के बावजूद भी मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है ? यदि हां तो क्या सरकार जिन विद्यालयों के मानक पूर्ण हैं, को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

मानक पूर्ण करने वाले प्राथमिक स्तर के कुल 63 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 51 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम वालेडीहा में स्थित जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण तथा अध्यापकों की नियुक्ति का प्रकरण

35–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम वालेडीहा में स्थित जूनियर हाई स्कूल जिसका निर्माण वर्ष 2004–05 में हुआ था, का फर्श टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है तथा छत कमजोर हो गयी है ? क्या यह भी सही है कि मानक के अनुरूप इस विद्यालय में 3 शिक्षकों की स्वीकृति है परन्तु मौके पर मात्र 2 ही शिक्षक तैनात हैं तथा विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर समस्या का निस्तारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती की आख्यानुसार जूनियर हाईस्कूल, वालेडीह, विकास क्षेत्र सल्टौआ, गोपालपुर बस्ती का वर्ष 2004–05 में निर्माण हुआ है। विद्यालय की फर्श कुछ जगह टूट गयी है। विद्यालय ग्राम शिक्षा निधि से फर्श की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विद्यालय की छत कमजोर नहीं है।

विद्यालय में 03 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विद्यालय में 03 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय की भूमि पर चहारदीवारी बनी हुई है तथा यहां कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वनों के नजदीक चल रहे विद्यालयों के छात्रों में वनों के प्रति जागरुकता पैदा करने की योजना

36–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के नजदीक चल रहे विद्यालयों के छात्रों में वनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु वृक्षारोपण जैसा कार्यक्रम वृहद स्तर सम्पादित किये जाते हैं। पाठ्यक्रम के रूप में भी पर्यावरण विज्ञान के अन्तर्गत वनों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था संचालित है।

प्रदेश में 12वीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने की सरकारी प्रभावी कार्यवाही

37–श्री सुरेश राणा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 12वीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

शासनादेश संख्या–1719/15–7–09–10(107)/2006, दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में फीस निर्धारण एवं नियमन की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों द्वारा बनाये गये मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षण कार्य न किये जाने की शिकायत

38–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा बनाये यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अध्यापन का कार्य कतई नहीं किये जाने से छात्र एवं छात्राओं का बहुत नुकसान हो रहा है एवं शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट भी आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु पुलिस की तरह शिक्षकों के संगठन को समाप्त करके शिक्षण कार्य में रुचि लेकर शिक्षक अध्यापन ही कराये ऐसा सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों द्वारा बनाये गये मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जाता है।

जी नहीं।

ये पदाधिकारियों प्रदेश के वृहद संख्या में कार्यरत अध्यापकों की कठिनाइयों को विभाग/शासन के संज्ञान में लाने का कार्य करते हैं। यदि सभी अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासन/विभाग के सम्मुख अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया जायेगा, तो इससे अत्यन्त कठिनाइयां उत्पन्न होगी एवं इससे शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जनपद जौनपुर के क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में लोहिया ग्राम के चयन हेतु स0वि0स0 (प्रश्नकर्ता) के प्रस्तावों की स्वीकृति की जानकारी

39–श्रीमती सीमा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया ग्राम के चयन करने का अधिकार सदस्य, विधान सभा को है ? यदि हां, तो क्या जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रश्नकर्ता के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2014–15 से शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा की गई व्यवस्थानुसार जनपद को आवंटित ग्रामों की संख्या के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवरोही क्रम में तैयार की गई तीन गुना कटआफ सर्वे सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को ग्रामों के चयन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इस सूची में से जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य, विधान परिषद् से विचार–विमर्श करने के उपरान्त ही इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाता है।

जनपद जौनपुर में वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत कुल 45 ग्रामों का चयन हुआ है जिनमें विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के 02 ग्राम वाल्हामऊ एवं भोलनापुर चयनित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड–नूरपुर को क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत करने के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की जानकारी

40–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर जल संचयन की दृष्टि से विगत तीन वर्ष से डार्क जोन में शामिल होने के कारण सिंचाई हेतु निजी नलकूपों का विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या किसानों को सिंचाई में हो रही भारी कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए सरकार सिंचाई की किसी अन्य योजना के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

31 मार्च, 2009 के आंकड़ों के आधार पर किये गये भूजल संसाधनों के आंकलन में जनपद–बिजनौर के विकास खण्ड–नूरपुर को क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें शासनादेश दिनांक 03 मई, 2013 द्वारा 31 मार्च, 2013 तक निर्मित निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण छूट प्रदान की गयी थी तथा 31 मार्च, 2013 के उपरान्त निर्मित निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। पुनः 31 मार्च, 2011 के आंकड़ों के आधार पर किये गये भूजल संसाधनों के आंकलन में उक्त विकास खण्ड को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिसमें इस शासनादेश के निर्गम की तिथि 13–10–2014 के पश्चात निर्मित निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर प्रतिबन्ध है।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद–बिजनौर के विकास खण्ड–नूरपुर में शुद्ध बोया क्षेत्रफल 28727 हेक्टेयर है, जिसके सापेक्ष शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 24051 हेक्टेयर है, जो लगभग 84 प्रतिशत है। इस प्रकार की सिंचाई हेतु वैकल्पिक योजना की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमन्य सुविधा दिये जाने विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का पत्र संख्या–बे0शि0प0/ 8185–86–07–08, दिनांक 01–01–2008 एवं पत्रांक–बे0शि0प0/ 950/2014–15, दिनांक 22–05–2014 जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

था, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं है। अतः सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के उक्त पत्र दिनांक 01–01–2008 में उल्लिखित स्व0 फूलचन्द्र सिंह, आशुलिपिक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय नहीं है।

उक्तवत्।

इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र में स्थित सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन समिति (2008) ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से जारी संस्तुतियों का लाभ दिया जाना

42–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र में स्थित सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश सं0–वे0आ0–2–665 ;प्प्द्ध/दस–54 (एम) 2008 टी0सी0, दिनांक 26–09–2013 द्वारा वेतन समिति (2008) ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से जारी संस्तुतियों का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन–किन विद्यालयों के कर्मचारियों को ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा निदेशक (बेसिक), से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात पात्र सहायक अध्यापकों के प्रोन्नति का मामला

43–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात कितने पात्र सहायक अध्यापकों को वर्ष 2013 में प्रोन्नत कर प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद पर तैनात किया गया है एवं कितने पात्र सहायक अध्यापक प्रोन्नति से वंचित रह गये हैं ? क्या उक्त प्रोन्नति से वंचित पात्र सहायक अध्यापकों को भी वर्ष 2013 में की गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत कर प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों/सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद पर तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद–लखनऊ के 95 नगर क्षेत्र तथा 299 ग्रामीण क्षेत्र के पात्र सहायक अध्यापकों को वर्ष 2013 में प्रोन्नति कर प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पद पर तैनात किया गया है नगर क्षेत्र के 43 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 45 शिक्षकों के काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने के कारण तथा अनुपस्थिति हेतु कोई उपयुक्त कारण लिखित रूप से उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ये पदोन्नति से वंचित रह गये।

जी नहीं।

प्रदेश में गाय एवं गोवंश की वृद्धि के लिये नस्ल संरक्षण एवं सुधार की योजना

44–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समृद्धि का आधार गाय एवं गो–वंश की वृद्धि के लिये कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

गाय एवं गोवंश की वृद्धि के लिए नस्ल संरक्षण एवं सुधार कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान योजना, बांझपन निवारण योजना, कामधेनु/मिनी कामधेनु डेयरी योजना, रोग निवारण हेतु टीकाकरण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013–2014 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों की गड़बड़ी का प्रकरण

45–श्री दलवीर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013–2014 की बोर्ड परीक्षा में फार्मों की गड़बड़ी की शिकायत प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

शिकायत की जांच हेतु शासन द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। जांच आख्या अप्राप्त है।

उक्तवत्।

जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम गंजौरा में उत्तर टोला खलिहान से पूरब एवं पश्चिम मेन सड़क तक जाने का रास्ता बनाने विषयक

46–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर के ग्राम गंगौरा में उत्तर टोला खलिहान से पूरब एवं पश्चिम मेन सड़क जाने का कोई रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

गंगौरा में उत्तर टोला खलिहान से पूरब एवं पश्चिम मेन सड़क जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खलिहान है जो भूमिधरी जमीन है। राजस्व अभिलेखों में मार्ग दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ ग्राम–कटरा, रिठौरी में बी0पी0एल0 2002 सूची में चयनित लाभार्थियों का आवास देने के सम्बन्ध में

47–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 06–08–2014, जो जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़, ग्राम–कटरा रिठौरी में बी0पी0एल0 2002 सूची में चयनित 06 लाभार्थियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच खण्ड विकास अधिकारी, खेरागढ़ से कराई गयी। खण्ड विकास अधिकारी, खेरागढ़ की जांच आख्या दिनांक 29–10–2014 में अवगत कराया गया कि बी0पी0एल0 सर्वे सूची 2002 में चयनित प्रश्नगत 06 लाभार्थियों में से श्री भगवान सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री राजकुमार, श्री भगवन एवं श्री मांगे लाल इन्दिरा आवास हेतु अपात्र पाये गये हैं, क्योंकि सभी लाभार्थियों के आवास पक्के बने हैं। श्री दीवान सिंह सम्बन्धित ग्राम में निवास नहीं करते हैं।

प्रदेश में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना

48–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हैण्डपम्प की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा धन बन्द कर देने से ग्रामीण अंचल में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प के विकल्प के रूप में स्थाई रूप से पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्रामीण अंचलों में टंकी का निर्माण करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सितम्बर, 2014 तक 25.66 लाख नग इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प विभिन्न कार्यक्रमों में अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। 150 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प के निर्धारित मानक के सापेक्ष प्रदेश में प्रति 67 व्यक्तियों (औसतन) पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

केन्द्र पुरोनिधिानित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्रति विकास खण्ड 100–100 हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के 90 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों को पाइप द्वारा पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति

49–श्री दीपक पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला साक्षरता समिति द्वारा वर्ष 2012–2013 में चयनित प्राथमिक पाठशालाओं एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद की सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद इलाहाबाद में कोई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नवत्।

इलाहाबाद में विधायक निधि से प्रस्तावित विद्युतीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने विषयक

50–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विधायक निधि से प्रस्तावित विद्युतीकरण का कार्य जो सम्पन्न नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (विधायक निधि) से प्रस्तावित विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 15 फरवरी, 2015 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहाराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत दिगितपुरवा के मजरा ककरहवा में सम्पर्क मार्ग निकलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत दिगितपुरवा के मजरा ककरहवा में सम्पर्क मार्ग निकलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री के सचिवालय के पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10476073/2014, पर दर्ज प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत दिगितपुरवा के मजरा ककरहवा में सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु मजरा ककरहवा की आबादी जनपद के कोरनेटवर्क के अनुसार मात्र 90 है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–2.1 के अनुसार मैदानी क्षेत्र के प्रदेशों में (नक्सल प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त) किसी बसावट को योजना के अन्तर्गत सर्वश्रतु सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिये उसकी न्यूनतम आबादी 500 होनी आवश्यक है। चूंकि मजरा ककरहवा की आबादी मात्र 90 है। अतः उसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत पयागपुर के प्रा0वि0 सहसरावां में श्रीमती प्रियदर्शिनी पत्नी अनूप कुमार को महिला शिक्षा मित्र के पद पर समायोजित करने विषयक प्रश्नकर्ताओं का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के के ग्राम पंचायत पयागपुर के प्रा0वि0 सहसरावां में श्रीमती प्रियदर्शिनी पत्नी अनूप कुमार को महिला शिक्षा मित्र के पद पर समायोजित करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0–क–5–नं0–232409/7242, दिनांक 18 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुख्य मंत्री के सचिवालय के पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–502297/2014, दिनांक 26–08–2014 पर दर्ज सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच से उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा अपने पत्र दिनांक 01–11–2014 में निम्न आख्या प्रेषित की गयी :–

1– श्रीमती प्रियदर्शिनी पत्नी श्री अनूप कुमार का प्रा0वि0 पयागपुर द्वितीय के (अनारक्षित महिला पद) पद चयन शैक्षिक सत्र 2005–2006 में किया गया था।

2– इस चयन के विरुद्ध श्रीमती उषा पत्नी श्री पवन कुमार पाठक के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट संख्या 7841/2006 योजित की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21–09–2006 के द्वारा याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश जिलाधिकारी, बहराइच को दिया गया।

3– जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा याची के प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या–5150/2006–07 दिनांक 02–02–2007 के द्वारा श्रीमती प्रियदर्शिनी का शिक्षा मित्र पद पर चयन निरस्त कर दिया गया क्योंकि उनका आवेदन पत्र विज्ञप्ति दिनांक 27–10–2005 के अनुसार सचिव, ग्राम शिक्षा समिति या एन0पी0आर0सी0 के पास जमा नहीं हुआ था। जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा पूर्व चयन कार्यवाही को निरस्त करते हुए नये शिक्षा सत्र में नये सिरे से चयन की कार्यवाही करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को निदेशित किया गया।

4– जिलाधिकारी, बहराइच के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय, पयागपुर द्वितीय के रिक्त अनारक्षित महिला शिक्षा मित्र के पद पर नये सिरे से चयन की कार्यवाही की गयी। श्रीमती प्रियदर्शिनी, श्रीमती उषा पाठक आदि 09 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया। श्रीमती उषा द्वारा अपने आवेदन–पत्र में प्राथमिक विद्यालय

भैरमपुर, जनपद–गोण्डा में शिक्षा मित्र पद पर कार्य करने तथा ग्राम पंचायत–पयागपुर जनपद–बहराइच में शादी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।

5– शासनादेश संख्या 1073–79–5–2007–282/98 दिनांक 15–06–2007 के बिन्दु संख्या–7 में उल्लेख है कि ''अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों का विवाह किसी अन्य ग्राम सभा के अन्तर्गत होता है तो उन्हें पद से हटाया जाना आवश्यक होगा, किन्तु परिवर्तित ग्राम सभा के अन्तर्गत पद रिक्त होने पर वे आवेदन कर सकती है और इस स्थिति में उन्हें प्रथम वरीयता दी जायेगी, अर्थात यदि पद रिक्त है और वह शिक्षा मित्र हेतु निर्धारित अन्य समस्त अर्हतायें पूरी करती है तो उनको ही नियुक्त किया जाये।''

अतः ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय पयागपुर द्वितीय के अनारक्षित महिला शिक्षा मित्र के पद पर श्रीमती उषा पत्नी श्री पवन कुमार पाठक को प्रस्तावित किया गया।

6– प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा श्रीमती उषा पाठक को प्राथमिक विद्यालय पयागपुर द्वितीय में दिनांक 01–07–2008 को शिक्षण कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। तब से अद्यतन श्रीमती उषा पाठक कार्यरत हैं।

7– ग्राम पंचायत, पयागपुर में स्थित अन्य प्राथमिक विद्यालय सहसरावां में कार्यरत महिला शिक्षा मित्र श्रीमती कान्ती मिश्रा की मार्च, 2013 में मृत्यु होने से एक शिक्षा मित्र का पद रिक्त है किन्तु शासनादेश दिनांक 02 जून, 2010 के द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन तत्काल प्रभाव से रोक दिये जाने के कारण श्रीमती प्रियदर्शिनी का चयन शिक्षा मित्र के पद पर किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला इलाहाबाद की श्रीमती कुसुमा देवी आदि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मा0 नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र सं0–340/ने0वि0द0/2014, दिनांक 12–6–2014 जो जिला इलाहाबाद की श्रीमती कुसमा देवी आदि को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

उक्त पत्र स्व0 श्री फूलचन्द्र सिंह, आशुलिपिक बेसिक शिक्षा परिषद् चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं है। अतः सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् के उक्त पत्र में उल्लिखित स्व0 फूलचन्द्र सिंह, आशुलिपिक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय नहीं है।

उक्तवत्।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित जनपद बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

54–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09–06–2014 प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित जनपद बस्ती की सड़कों की क्षतिग्रस्तता के संदर्भ में दिया गया था, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों के अतिरिक्त अन्य आवास विहीन निर्धनों को देने की योजना

55–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों के अतिरिक्त अन्य आवास विहीन निर्धनों को आवास दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

शासनादेश संख्या–107/38–4–2013 05(बजट)/2012, दिनांक 20–2–2013 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार जो आवासविहीन व जिनका नाम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं है एवं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु0 36000/– की सीमा तक है, उन्हें क्रमशः चिन्हित करते हुए आरोही क्रम में (सबसे कम वार्षिक आय वाले आवासविहीन पात्र व्यक्ति को प्रारम्भ करते हुए आय के बढ़ते क्रम में) से लाभान्वित किये जाने हेतु लोहिया ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में वर्ष 2012–13 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में ग्राम श्रीनगर, बझेड़ा, संकहा एवं तिहारखेड़ा में विकास कार्य शुरू कराने विषयक

56–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में वर्ष 2012–13 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में गांव श्रीनगर, बझेड़ा, संगहा एवं तिहार खेड़ा में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास कार्य शीघ्र सम्पन्न करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)–

जी नहीं। तहसील जलालाबाद के वर्ष 2012–13 में चयनित ग्राम श्रीनगर, बझेड़ा, संगहा एवं तिहार खेड़ा को योजनान्तर्गत संचालित 33 विकास कार्यक्रमों में से 01 कार्यक्रम (आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण) को छोड़कर शेष कार्यक्रमों को योजनान्तर्गत संतृप्त कर दिया गया है।

ग्राम संगहा एवं तिहार खेड़ा में लक्ष्य के सापेक्ष 01–01 आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करा दिया गया है तथा ग्राम श्रीनगर एवं बझेड़ा महुआ डाडी में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान में प्रश्नकर्ता का स्वीकृत ग्रामों के विकास हेतु डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लिया जाना

57–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत क्या सरकार प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर ग्राम राजेरायपुर, विकास खण्ड, मिर्जापुर ग्राम ओइलाथाथर मई, दिऊरा, मानोरथपुर, सहसो बारी चौक, शेरपुर चिखुरी विकास खण्ड जलालाबाद एवं जखिया, खजुरी विकास खण्ड कलान शाहजहांपुर को उक्त योजना में शामिल कर विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के चयन का अधिकार शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को प्रदान किया गया था। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 में यह व्यवस्था की गई कि जनपद को आवंटित ग्रामों की संख्या के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवरोही क्रम में तैयार की गई तीन गुना कटआफ सर्वे सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को ग्रामों के चयन हेतु उपलब्ध कराई जाए। इस सूची में से जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य, विधान परिषद् से विचार–विमर्श करने के उपरान्त ही इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाता है। जनपद

शाहजहांपुर से प्राप्त सर्वेक्षण सूची के अनुसार वर्ष 2012–13 में 23, वर्ष 2013–14 में 30 एवं वर्ष 2014–15 में 30 ग्रामों का चयन हुआ है। उक्त सर्वेक्षण सूची में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के प्रश्न में उल्लिखित ग्राम राजेरायपुर, विकास खण्ड–मिर्जापुर, ग्राम–ओइलाथाथर मई, दिऊरा, मनोरथपुर, सहसोबारी चौक, शेरपुर चिखुरी विकास खण्ड जलालाबाद एवं जखिया, खजुरी विकास खण्ड कलान शामिल नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के माधौगढ़ क्षेत्र के मोहन से माधौगढ़ तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराना

58–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गोहन से माधौगढ़ तक लगभग 8 किलो मीटर रोड प्रधान मंत्री योजना से बनी है, जो मानक के अनुरूप नहीं बनी थी, क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2014–15 में पुनः मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में माधौगढ़ कुठौन्द मार्ग (मोहन से माधौगढ़ मार्ग) जिसकी कुल लम्बाई 12.00 किमी0 है, के 8.00 कि0मी0 भाग का उच्चीकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 में कराया गया है। मार्ग के शेष 04 कि0मी0 भाग पर लोक निर्माण विभाग की विभागीय निधियों से कार्य कराया गया है। कार्य के पूर्ण होने की तिथि दिनांक 23–01–2010 है और दिनांक 24–01–2010 से 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है। उच्चीकरण कार्य के दौरान मार्ग का निरीक्षण नेशनल क्वालिटी मानीटर्स तथा स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा विभिन्न तिथियों में किया जा चुका है और उनके द्वारा मार्ग की गुणवत्ता को संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये उस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। अनुबन्धानुसार उक्त मार्ग दिनांक 23–01–2015 तक 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है। नियमित आवागमन एवं यातायात के कारण मार्ग में स्वाभाविक क्षतिग्रस्तता आ जाती है, जिससे अनुरक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठीक कर दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में भी उक्त मार्ग का अनुरक्षण कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण दिनांक 10–10–2014 को स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 में उक्त मार्ग के अनुरक्षण पर कुल रु0 2.56 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग का नियमित अनुरक्षण कराया जा रहा है, जो दिनांक 21–01–2015 तक (अनुबन्ध अवधि तक) किया जायेगा। तत्पश्चात् मार्ग के अनुरक्षण की कार्यवाही निर्धारित नीति के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर में प्राथमिकता तथा जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना

59–डा0 अरुण कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में ऐसे कितने प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल हैं, जहां पर पेयजल के लिये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार ऐसे स्कूलों में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली की आख्यानुसार बरेली महानगर में 13 प्राथमिक विद्यालय तथा 01 जूनियर हाईस्कूल में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है।

उक्त विद्यालय किराये के भवन में संचालित है, जिनमें बजट की उपलब्धता के आधार पर हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था करना

60–डा0 अरुण कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में ऐसे कितने प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था है ? क्या सरकार बरेली महानगर के उन प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल में जहां लड़के व लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालयों की कमी है, में अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली की आख्यानुसार बरेली महानगर में 110 प्राथमिक विद्यालयों तथा 24 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लड़के–लड़कियों के लिये अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था है।

लड़के–लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय विहीन 24 प्राथमिक विद्यालय तथा 02 उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं। शेष 01 प्राथमिक विद्यालय में पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग के सहयोग से शौचालय निर्माण कराने की कार्यवाही गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2012 व 2013 में मृतक आश्रित श्री दानिश खां पुत्र स्व0 अब्दुल समद तथा अन्य मृतक आश्रितों की नियुक्ति का प्रकरण

61–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने वाले के शाहजहांपुर जनपद में कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या मा0 मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन अध्यापकों की मृत्यु वर्ष 2012 व वर्ष 2013 में हुई थी, के आश्रितों श्री दानिश खां पुत्र स्व0 अब्दुल समद का अभी तक अनिस्तारित है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद शाहजहांपुर में कुल 04 प्रकरण लम्बित हैं।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा श्री दानिश खान पुत्र स्व0 श्री अब्दुल समद का प्रकरण निस्तारित करते हुए प्रबन्धक, शिशु निकेतन जू0हा0 स्कूल नगर क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम जकदाशाही ग्राम को समग्र गांव योजना में शामिल करने हेतु भेजा गया पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम एवं मत्स्य मंत्री को सम्बोधित समग्र गांव योजना में ग्राम जकदा शाही के चयन विषयक दिनांक 31–5–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

ग्राम जमकदाशाही के चयन विषयक मा0 सार्वजनिक उद्यम एवं मत्स्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 31–05–2014 प्राप्त नहीं हुआ है, वरन मा0 प्रभारी मंत्री जी, बस्ती मण्डल बस्ती को सम्बोधित मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 31–05–2014 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र में ग्राम जमदाशाही का चयन समग्र ग्राम हेतु किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में जनपद बस्ती से प्राप्त सर्वेक्षण सूची के अनुसार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपद बस्ती के 31 ग्रामों का चयन हुआ है, किन्तु जनपद स्तर पर तैयार की गई तीन गुना कटआफ सर्वे सूची से बाहर होने के कारण उक्त ग्राम जमदाशाही का चयन नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर में जैन इण्टर कालेज (अल्पसंख्यक अनुदानित संस्था) सिकन्द्राबाद की प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन इण्टर कालेज (अल्पसंख्यक अनुदानित संस्था) सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की प्रबन्ध समिति ने अपने कालेज में अध्यापक के स्वीकृत पदों को भरने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर से अनुमति मांगी है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इसी विषय से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–06–2014 व 04–08–2014 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ मण्डल के अन्तर्गत अल्पसंख्यक अनुदानित इण्टर कालेजों में स्वीकृत अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने विषयक

64–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल के अन्तर्गत कुल कितने अल्पसंख्यक अनुदानित इण्टर कालेज हैं, उनमें अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार ने रिक्त स्वीकृत पदों को भरने हेतु सम्बन्धित कालेजों की प्रबन्ध समितियों को स्वीकृत दे दी है ? यदि हां, तो किन–किन कालेजों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां, मेरठ मण्डल में अल्पसंख्यक अनुदानित इण्टर स्तर के 26 एवं हाईस्कूल स्तर के 10 विद्यालय संचालित है। इनमें निम्नवत् श्रेणीवार पद स्वीकृत है एवं उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्नवत् श्रेणीवार पद रिक्त है :–

प्रधान पद		प्रवक्ता		स0आ0	
स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
35	07	222	21	579	102

संस्था प्रबन्ध समिति के आवेदन के सापेक्ष रिक्त पदों को भरने हेतु अधिनियमित व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त अनुमति विभाग द्वारा दी गई है।

1–मुस्लिम इण्टर कालेज, असारा, बागपत।

2–श्री शान्ति सागर दिगम्बर जैन कन्या इं0का0, छपरौली।

3–जैन स्थानकवासी कन्या इं0का0, बड़ौत।

4–जैनमति उजागरमल इं0का0, कविनगर, गाजियाबाद।

5–इन्ग्राहम इं0का0, गाजियाबाद।

6–ए0एस0के0आर0ए0 इं0का0, खुर्जा, बुलन्दशहर।

7–मुश्लिम इं0का0, बुलन्दशहर।

8–एस0वाई0एम0 ई0का0 शेखपुर, चौढेरा, बुलन्दशहर।

कतिपय विद्यालयों में विवाद होने के कारण अनुमति अद्यतन प्रदान नहीं की जा सकी है।

जनपद बस्ती के रूदौली क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कराने विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–5–2014 प्रमुख सचिव, ग्राम विकास ख्मंत्रालय,, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में जनपद बस्ती की निम्नलिखित 04 सड़कों को निर्मित कराने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी थी–

(1)–भानपुर बजेखर–तेनुआ–असनहरा मार्ग

(2)–मेहदावल–हवेलिया मार्ग।

(3)–मेहदावल–तेलियाडीह मार्ग।

(4)–अहिरौली मार्ग।

उक्त मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अनुबन्धानुसार उक्त मार्गों को पूर्ण करने के लिये रु0 1381.19 लाख अपेक्षित है, जिसके सापेक्ष रु0 260.49 लाख की धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि न मिल सकने के कारण कार्यों की प्रगति सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावित हुयी है और इसी कारण जनपद बस्ती में भी कार्यों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के सृजित पदों पर नियुक्ति करने विषयक

66–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के सृजित पदों के विरुद्ध कितने अध्यापक वर्तमान समय में तैनात हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों मे सम्प्रति शारीरिक शिक्षा के पद सृजित नहीं है, किन्तु परिषदीय विद्यालयों में बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 उपाधिकारी शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षा हेतु नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा में पेयजल समस्या के निजात हेतु इण्डिका मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना कराने की मांग

67–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा को क्रिटिकल श्रेणी में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए विकास खण्ड खुर्जा के गांवों में 250 नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विकास खण्ड खुर्जा में 126 राजस्व ग्राम है, जिनकी वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 284024 है। 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प के निर्धारित मानक के अनुसार उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त करने हेतु आवश्यक 1894 नग हैण्डपम्पों के सापेक्ष कुल 3005 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। अतः मानकानुसार उक्त सभी ग्राम हैण्डपम्प से संतृप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र खुर्जा के अरबिया मौजपुर के मजरा नगला हरबजन में पशुचिकित्सालय स्थापित करने विषयक

68–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अरबिया मौजपुर के मजरा नगला हरबजन एवं ग्राम धराऊ के लगभग सात किलोमीटर क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में पशु चिकित्सालय बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं। जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अरबिया मौजपुर के मजरा नगला हरभजन से ''द'' श्रेणी औषधालय कलंदरगढ़ी 4 किमी0 दूरी पर स्थापित है। ग्राम धराऊ पशु चिकित्सालय, खुर्जा से 8 किमी0 व पशु चिकित्सालय चाला से 6 किमी0 दूरी पर स्थित है।

लागू नहीं।

''क'' अंश के उत्तर में वर्णित कारणों से।

जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत खण्डासा वि0 ख0 अमानीगंज, तहसील–मिल्कीपुर के समस्त अग्नि पीड़ितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत खण्डासा वि0 ख0 अमानीगंज, तहसील–मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद के समस्त अग्नि पीड़ितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके द्वारा कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10475656 पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–104745856 / 2014, दिनांक 09–07–2014 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के संदर्भित पत्र में 23 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त 23 व्यक्तियों में से 05 लाभार्थियों के पास पक्का मकान होने तथा 17 लाभार्थियों का नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने के कारण इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार आवास हेतु पात्र नहीं पाया गया है। 01 लाभार्थी श्री देवतादीन पुत्र बुधई का नाम बी0पी0एल0 सूची में पाये जाने के कारण पात्र पाते हुये इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है।

प्रदेश में निजी पब्लिक स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की वर्ष 2014 में कोटे के आधार पर एडमीशन का लाभ मांग के आधार पर किये जाने सम्बन्धित

70–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी पब्लिक स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा दिनांक 03–12–2012 से लागू है ? क्या यह सही है कि वर्ष 2013–14 में प्रदेश में मात्र 60 बच्चे ही इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश पा सके। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2014 जुलाई में कितने बच्चों ने प्रवेश पाया ? क्या सरकार ऐसे बच्चों को अधिक संख्या में प्रवेश का लाभ दिलाने हेतु इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

शासनादेश दिनांक 03–12–2012 द्वारा यह योजना प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गयी है।

जी हां।

वर्ष 2014 में माह जुलाई में 08 बच्चों द्वारा प्रवेश लिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लगभग सम्पूर्ण प्रदेश वर्तमान में परिषदीय/राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों से सेवित है तथा परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटों का अभाव नहीं है

जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्राम पैतापुर व ग्राम रज्जब नगर वाली सड़क का कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धित

71–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0जी0एस0वाई0 में जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत ग्राम पैतापुर व ग्राम रज्जब नगर वाली सड़क का कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

ग्राम पैतापुर को जोड़ने के लिये स्वीकृत मार्ग–नेशनल हाई–वे 24 से ग्राम पैतापुर का कार्य 90 प्रतिशत तथा ग्राम रज्जबनगर को जोड़ने के लिये स्वीकृत मार्ग–ग्राम बेहटा से रज्जबनगर मार्ग का कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। उक्त दोनों मार्गों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु भारत सरकार से आवश्यक धनराशि प्रतिक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा जैन इण्टर कालेज, सिकन्द्राबाद (अनुदानित अल्पसंख्यक संस्था) का मुख्य मंत्री को पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10475275, दिनांक 09–07–2014 दर्ज है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा जैन इण्टर कालेज, सिकन्द्राबाद (अनुदानित अल्पसंख्यक संस्था) के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कतिपय ग्रामों की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में भेजे गये पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्रीमती उमाकान्ती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड क्रमशः जालौन महेबा कदौरा, कुठौन्द एवं माधौगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के शून्य से लेपन स्तर तक एवं ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्यों को कराने हेतु विकास खण्ड की अलग–अलग सूची प्रेषित करके मुख्य मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री एवं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 24–12–2012 द्वारा अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन में कुल 31, विकास खण्ड महेवा में 53 मार्ग, विकास खण्ड कदौरा में 47 मार्ग, विकास खण्ड कुठौन्द में 63 मार्ग तथा विकास खण्ड माधौगढ़ में 02 मार्ग नव–निर्माण/मरम्मत हेतु संस्तुत किये गये थे। नव–निर्माण हेतु संस्तुत मार्गों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत परीक्षण कराये जाने पर उन्हें योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त मरम्मत हेतु संस्तृत किये गये मार्ग भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित न होने के कारण उनका योजना की निधियों से अनुरक्षण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद स्थित किसान इण्टर कालेज विद्यानगर चोला में साइंस तथा कामर्स की मान्यता विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

74–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10476701, दिनांक 10–07–2014 जो जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद स्थित किसान इण्टर कालेज विद्यानगर चोला में साइंस तथा कामर्स की मान्यता देने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–सी0एम0–277/15–7–2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 द्वारा शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के साक्षर भारत अभियान के तहत नियुक्त किये गये प्रेरकों को कार्य करने के बावजूद विगत दो वर्षों का मानदेय दिये जाने की मांग

75–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के साक्षर भारत अभियान के तहत नियुक्त किये गये प्रेरकों को कार्य करने के बावजूद विगत दो वर्षों से मानदेय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें मानदेय भुगतान की समय–सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां। विगत दो वर्ष से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है।

जनपद बस्ती के प्रेरकों के माह नवम्बर व दिसम्बर, 2012 एवं जनवरी व फरवरी, 2013 (कुल 04 माह) के मानदेय मद में रु0 1,67,52,000.00 (एक करोड़ सरसठ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि रि–अथराइज की गयी है। प्रेरकों के मानदेय हेतु उक्त धनराशि ब्लाक लोक शिक्षा समितियों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

अवशेष मानदेय की धनराशि हेतु भारत सरकार से मांग की जा चुकी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान किया जायेगा।

उक्तवत्।

जनपद बस्ती में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त स्थानों के भरा जाना

76–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में खण्ड विकास अधिकारियों (बी0डी0ओ0) की कमी के कारण कई–कई ब्लाकों के चार्ज एक ही खण्ड विकास अधिकारी के अधीन हैं जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त स्थानों को कब तक भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों की कमी है, लेकिन कार्य प्रभावित न होने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तर के अन्य अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे के रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित है। संस्तुति प्राप्त होने पर यथास्थिति रिक्त पदों पर तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर निगम की सीमा में आने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को शासनादेश के अनुसार नगर सीमा में शामिल कर उसी आधार पर अध्यापकों को वेतन दिया जाना

77–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–6452/9/7/2006/ 67ज/95, दिनांक 30–11–2006 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–2 के खण्ड (45–क) के अनुच्छेद–243–त के खण्ड (ग) के अनुपालन में आगरा नगर निगम की सीमा में आने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नगर सीमा में सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापकों को नगर निगम सीमा के शिक्षकों की भांति समान वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खण्ड (45–क) के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ग) के अनुपालन में नगर निगम की सीमा में आने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नगर सीमा के शिक्षकों की भांति समान वेतन दिया जा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद उन्नाव के बीघापुर तहसील के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

78–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के बीघापुर तहसील के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण बिना सरिया के कराये जाने की जानकारी जिला प्रशासन एवं शासन स्तर पर होने के बाद उनको गिराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे शौचालयों का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालय, कटररा दीवानखेड़ा–2, बीघापुर के शौचालय निर्माण कार्य में दोषी श्रीमती रन्नो देवी (ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत कटरा दीवानखेड़ा तथा पंचायत राज विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों, श्री विनय राज पाल (सचिव), ग्राम पंचायत तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालय कटरा दीवानखेड़ा–2 की इंचार्ज/सहायक शिक्षिका सुश्री नुजहत जहां द्वारा पुलिस थाना, बीघापुर में दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को पृष्ठ संख्या 0460 पर मुकदमा अपराध संख्या 500/014 अन्तर्गत धारा 409/304 आई0पी0सी0/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। श्री विनय राज पाल (सचिव), ग्राम पंचायत कटरा दीवान खेड़ा को कार्यालय जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के पत्रांक 1868/स्था0–2 दिनांक 12–09–2014 के द्वारा निलम्बित

किया गया है। निदेशक, पंचायत राज, उ0प्र0 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्रांक 2/1918/2014–2/59/2014 दिनांक 15 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मौर्या, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उन्नाव को जिलाधिकारी उन्नाव के पत्रांक 1140/पंत्रा0/2014–15 दिनांक 2–9–2014 के क्रम में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल की समस्या के निदान हेतु हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

79–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में जल स्तर काफी नीचे होने के कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। जनपद–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में भू–गर्भ जल 5.00 से 5.50 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है, जबकि अधिष्ठापित किये जा रहे सामान्य हैण्डपम्पों की गहराई 35 से 40 मीटर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के प्र0वि0 कर्री क्षेत्र खैया में कार्यरत अध्यापिकाओं का अगस्त 2012 का वेतन भुगतान का प्रकरण

80–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के प्र0वि0 कर्री क्षेत्र खैया में कार्यरत अध्यापिकाओं का अगस्त 2012 का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार चित्तौड़ सभापति प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति विधान परिषद्, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 22–08–2014 निदेशक, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जनपद आगरा के प्राथमिक विद्यालय कर्री, क्षेत्र खैया में कार्यरत अध्यापिकाओं में से सुश्री किमिता सिंह, स0अ0 को छोड़कर समस्त का अगस्त, 2012 का वेतन भुगतान किया जा चुका है। सुश्री किमिता सिंह, स0अ0 का अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र प्राप्त

होने पर माह अगस्त, 2012 का वेतन भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से कोषागार से किया जा चुका है।

उक्तवत्।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा बरावं के मजरा बोधो का पूरा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

81–श्री दीपक पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा बरावं के मजरा बोधो का पूरा में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की स्वीकृत जिला साक्षरता समिति द्वारा प्रदान की गई व धन का आवंटन भी कर दिया गया तथा भूमि का हस्तानान्तरण भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद की आख्यानुसार वर्ष 2011–12 में जिला शिक्षा समिति इलाहाबाद जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा बरावं के मजरा बोधो का पूरा में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के पश्चात् जिलाधिकारी, इलाहाबाद के सत्यापन कराये जाने पर चयनित मजरा बोधो का पूरा विद्यालय स्थापना हेतु निर्धारित मानक 01 कि0मी0 से कम पाया गया। अतः प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मजरा बोधो का पूरा, 900 मीटर की दूरी पर स्थित निकटतम प्राथमिक विद्यालय कौआ, विकास खण्ड करछना से सेवित होने के कारण प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा लौदा वि0खं0 नियामताबाद में पेयजल हेतु पानी टंकी का लगाया जाना

82–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम सभा लौदा वि0खं0 नियामताबाद में जिसकी आबादी 20 हजार हिरामपुर ख्यतागढ़ को मिलाते हुए हैं तथा उक्त ग्राम सभाओं की स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी लगवाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5एन–321879 दिनांक 23–07–2014 अधिशासी अभियन्ता जल निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ग्राम सभा लौदा ख्यालगढ़ एवं हिरामनपुर की कुल आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 4933 है। सम्प्रति शासन की प्राथमिकता वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10000 से अधिक आबादी के ग्रामों, गुणवता प्रभावित ग्रामों एवं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पाइप पेयजल उपलब्ध कराये जाने की है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राममनोहर लोहिया समग्र गांवों का चयन स्थानीय सम्बन्धित मा0 विधायकों की संस्तुति पर करने के बाद विकास किया जाना

83–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा सदन में घोषणा की गयी थी कि प्रदेश के डा0 राममनोहर लोहिया समग्र गांव का चयन स्थानीय विधायकों की संस्तुति के पश्चात किये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप वर्ष 2014 से डा0 राममनोहर लोहिया समग्र गांवों का चयन स्थानीय सम्बन्धित मा0 विधायकों की संस्तुति पर किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

ही हां

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बरर, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुये वर्ष 2014–15 से शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा की गई व्यवस्थानुसार जनपद को आवंटित ग्रामों की संख्या के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवरोही क्रम में तैयार की गई तीन गुना कटआफ सर्वे सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को ग्रामों के चयन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इस सूची में से जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य, विधान परिषद् से विचार–विमर्श करने के उपरान्त ही इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के पात्र इन्दिरा आवास लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान

84–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली जनपद के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा महेवां वि0खं0 नियामताबाद में पात्र इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि देकर दुसरी किश्त की धनराशि न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 नं0–140859

दिनांक 19–08–2014 मुख्य विकास अधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 19–08–2014 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत–महेवा के दो लाभार्थियों यथा श्रीमती चिन्ता देवी पत्नी श्री दूधनाथ एवं श्रीमती मन्नो देवी पत्नी स्व0 शम्भू जिन्हें प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थीं, उन्हें द्वितीय किश्त उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त दोनों लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा आवास भी पूर्ण करा लिया गया है।

मिनी कामधेनु डेरी योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के पशुपालकों को लाभान्वित करने का प्रकरण

85–श्री अभय नरायन सिंह पटेल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मिनी कामधेनु डेरी इकाइयों की ब्याजमुक्त स्थापना की योजना प्रदेश में लागू हैं ? यदि हां, तो जनपद आजमगढ़ की तह0 सगड़ी में कितने लोगों को इस योजनान्तर्गत से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

मिनी कामधेनु योजना वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह योजना राज्य योजना के माध्यम से संचालित की जा रही है।

मिनी कामधेनु डेरी योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के पशुपालकों को लाभान्वित करते हेतु चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी विकास खण्ड पसगवां व ईसानगर में पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुसार दवायें तथा डाक्टर की तैनाती करने विषयक

86–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी विकास खण्ड पसगवां व ईसानगर के पशु चिकित्यालयों में मानक के अनुरूप डाक्टर व दवायें उपलब्ध नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात कर दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं।

जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगवां व ईसानगर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय पसगवां, उचौलिया, बरबर, मैगलगंज, खमरिया एवं ईसानगर स्थापित है। उक्त सभी पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप डाक्टर तैनात है तथा उपलब्ध विभागीय बजट के अनुसार पशु चिकित्सालयों में दवायें भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के सभी विकास खण्डों में पानी में आर्सेनिक तत्व के पाये जाने के कारण शुद्ध पानी पीने हेतु गहरी बोरिंग करके इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित कराने विषयक

87–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सभी विकास खण्डों में पीने के पानी में आर्सेनिक जहर पाया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त पानी पीने से बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शुद्ध पानी पीने हेतु गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–लखीमपुर खीरी के कुल 05 विकास खण्डों क्रमशः पलिया निघासन, रमियाबेहड़, धौरहरा एवं ईशानगर के कतिपय ग्रामों के भू–गर्भ जल में आर्सेनिक की मात्रा पेयजल हेतु अनुमन्य सीमा से अधिक पाई गयी है।

जनपद की कुल ग्रामीण बस्तियों के सापेक्ष चिन्हित आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों का प्रतिशत 3.46 है।

बीमारी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

आर्सेनिक प्रभावित चिन्हित ग्रामों में अत्यधिक गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का हैण्ड.प हैण्डपम्पों अथवा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के ऐसे कार्मिकों को शासनादेश के अन्तर्गत संशोधित वेतनमान तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने का प्रकरण

88–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति वर्ष 1999 में हुई थी 6वें वेतन आयोग की संस्तुति पर उन्हें वेतनमान

9300–34800 तथा ग्रेड पे 4800/– प्राप्त हुआ और 10 वर्ष की सेवा के बाद 2009 में उन्हें प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में 15600–39100, ग्रेड पे 5400/– दिया गया तथा वर्ष 2011 में सम्बन्धित कार्मिकों के पद का प्रारम्भिक वेतनमान ही संशोधित होकर 15600–39100 ग्रेड पे 5400 हो गया, व वर्ष 2012 में उन कार्मिकों की प्रथम प्रोन्नति 15600–39100, ग्रेड पे 6600/– में हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कार्मिकों का उसके पद का प्रारम्भिक वेतनमान संशोधित हो जाने के कारण कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 7600 दिय जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे कार्मिकों को द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे–7600/– देने पर विचार करेगी ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, यदि प्रश्न में उल्लिखित नियुक्ति का आशय अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति से नियुक्ति का हो और संबंधित पदधारक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों की पूर्ति करता हो।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना में भुण्डा पेयजल योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

89–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना में भुण्डा पेयजल योजना अन्तर्गत ग्राम सेमा मडवा एवं मंदौली में पाइप लाइन पिछले कई वर्षों पूर्व बिछायी गई थी परन्तु उक्त पाइप लाइन से अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

भुण्डा पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1989–90 में किया गया था। प्रारम्भ के वर्षों में प्रश्नगत गांवों में जलापूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराते समय पाइप सड़क के नीचे दब जाने एवं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के 90 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों को पाइप द्वारा पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरखूटा का लोहिया ग्राम चयन होने के कारण विकास कार्यों को पूर्ण किया जाना

90–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर वि0खं0 ब्रहमपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरखूटा सन 2012 में लोहिया ग्राम के अन्तर्गत चयन किया गया था परन्तु उक्त क्षेत्र में शौचालय का अधूरा कार्य किया गया, परन्तु बिजली पानी एवं सड़क का कार्य हुआ ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास कार्यों की जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरखूटा का वर्ष 2012 में नहीं वरन वर्ष 2013–14 में चयन हुआ था। उक्त ग्राम सभा में 200 शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 100 शौचालय पूर्ण रूप से निर्मित हैं तथा 100 शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य के सापेक्ष शौचालय निर्माण की शतप्रतिशत पूर्णता ससमय समग्र ग्राम खैरखूटा के जलप्लावित क्षेत्र होने के कारण बाधक रही।

उक्त ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य अनुबन्ध पर कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में अनुबन्धित फर्म मेसर्स अरावली, इन्फ्रा पावर लि0, नई दिल्ली को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल गोरखपुर, जो कि उक्त कार्य कराने हेतु अधिकृत किये गये हैं, द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कार्य प्रारम्भ करते ही सर्व प्रथम जनपद में चयनित योजनान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया जाय। वर्तमान में उक्त फर्म द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है एवं माह नवम्बर, 2014 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

ग्राम खैरखूटा में कुल 26 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं। ग्राम के लिये पहुंच मार्ग पूर्व में पिच कोड से निर्मित हैं, परन्तु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। धनराशि की उपलब्धता पर उक्त मरम्मत कार्य कराया जायेगा। इस प्रकार उक्त विकास कार्यों हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका करछना कौधियारा के विभिन्न गांवों में ''स्व जल धारा योजना'' के अन्तर्गत जलापूर्ति की व्यवस्था कराना

91–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका करछना कौधियारा के विभिन्न गांवों में ''स्व–जल धारा योजना'' अन्तर्गत किन–किन गांव का चयन किया गया ? क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त विकास खण्डों के बहुत से गांवों में मात्र बोरिंग कराकर उसको अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं में चयनित विभिन्न

गांव/मजरों में टंकिया बनवाकर तथा पाइप लाइन बिछाकर जल आपूर्ति प्रारम्भ कर इस योजना को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से स्वजलधारा परियोजना बन्द कर दी गयी है। जनपद में अवशेष धनराशि ब्याज सहित भारत सरकार को वापस किये जाने से दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को रु0 5,18,01,857.00 (रुपये पांच करोड़ अट्ठारह लाख एक हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) वापस कर दिया गया है।

अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 नियामताबाद व चन्दौली में हैण्डपम्पों को रि–बोर करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 नियामताबाद व चन्दौली में हैण्डपम्पों को रि–बोर करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख 5 नं0 321860 व 321862 दिनांक 17–07–2014 को अधिशासी अभियन्ता जल निगम चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

माननीय सदस्य के पत्र पर कार्यवाही करते हुये 16 नग हैण्डपम्पों को रि–बोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत मधुपुर के 10 लाभार्थियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धित

93–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मधुपुर ग्राम सभा वि0खं0 नियामताबाद चन्दौली को 2014–15 समग्र ग्राम लोहिया में चयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में 10 व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, की जांच करवाकर आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321884 दिनांक 16–08–2014 मुख्य विकास अधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

जी हां।

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र में ग्राम पंचायत मधुपुर के 10 लाभार्थियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त सम्बन्ध में इन लाभार्थियों के पात्रता का परीक्षण किए जाने हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चन्दौली द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, सदर–चन्दौली से जांच कराई गई। जांच आख्यानुसार उक्त समस्त लाभार्थी आवास की पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र की वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में हैण्ड पम्प स्थापित करने विषयक

94–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कठौरी वि0खं0 नियामताबाद का चयन 2014–15 में समग्र ग्राम लोहिया में किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा की जनता की मांग पर कुल 8 स्थानों पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5नं0 321886 दिनांक 16–08–2014 जिलाधिकारी चन्दौली को प्राप्त हुआ है , यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत चयनित ग्राम कठौरी में 18 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें मा0 विधायक जी के पत्र में इंगित 08 स्थलों में से 04 स्थल हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त पाये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम कठौड़ी में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य को पूरा करना

95–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कठौड़ी विखं0 नियामताबाद जो कि समग्र ग्राम लोहिया में 2014–15 में चयनित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामवासियों के प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त ग्राम सभा में नाली, सी0सी0 रोड एवं खड़ंजा लगवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321885 दिनांक 16–08–2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य–

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम कठौड़ी में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्य की कार्ययोजना स्वीकृत है। धनावंटन के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज के जर्जर भवन की मरम्मत कर पुनर्निर्माण कराया जाना

96–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज का भवन जर्जर होने के कारण उसका अध्यापन कार्य/संचालन सामुदायिक केन्द्र रसूलाबाद में हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इण्टर कालेज के भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना की सड़कों के खराब होने के कारण प्रत्येक छःमाही अनुरक्षण धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

97–श्री मनीष असीजा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना की सड़कों के अनुरक्षण की धनराशि समय से अवमुक्त न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को टूटी–फूटी सड़कों पर चलने पर मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कों के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक छःमाही में समयानुसार धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप–

जी नहीं।

अनुक्षण हेतु धनराशि जनपदों की मांग के अनुसार उन्हें नियमित रूप से उपलब्ध करायी जा रही है। कुछ स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का कारण ठेकेदारों द्वारा अनुरक्षण कार्यों में रुचि न लिया जाना है, जिसके सन्दर्भ में यथोचित कार्यवाही अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। धनराशि के अभाव में अनुरक्षण कार्य बाधित नहीं है।

वर्ष 2014–15 में राज्य के आय–व्ययक में अनुरक्षण कार्यों के लिये रु0 76.67 करोड़ प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष प्रथम छःमाही की 50 प्रतिशत धनराशि रु0 38.335 करोड़ अवमुक्त कर जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। द्वितीय छमाही हेतु अवशेष रु0 38.335 भी जनपदों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के क्षेत्र फेफना में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2013–14 में गड़वार–सुखपुरा मार्ग फेफना गड़वार मार्ग सहित मार्गों के मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही जानकारी

98–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र फेफना में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2013–14 में गड़वार–सुखपुरा मार्ग फेफना गड़वार मार्ग सहित 12 मार्गों के मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–08–2013 मुख्य विकास अधिकारी बलिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नकर्ता द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 की धनराशि से फेफना विधान सभा के अन्तर्गत गड़वार–सुखपुरा मार्ग, फेफना मड़वार मार्ग सहित 17 मार्गों के मरम्मत हेतु ईंट का टुकड़ा व राविस की खरीद हेतु प्रस्ताव दिया गया।

प्रश्नकर्ता द्वारा ईंट का टुकड़ा व राविस की खरीद हेतु दिया गया प्रस्ताव विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अनुमन्य नहीं होने के कारण प्रश्नकर्ता को परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बलिया के पत्र संख्या–2371 / डी0आर0डी0ए0 / वि0म0 क्षे0वि0नि0यो0 / 2013–14, दिनांक 19–10–2013 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया कैमरी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज की छात्रों के अनुरूप अध्यापक व स्टाफ की तैनाती का प्रकरण

99–श्री संजय कपूर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में छात्रों की संख्या दो हजार से भी अधिक है पर शिक्षकों तथा स्टाफ की संख्या कम होने के कारण छात्र उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए

राजकीय इण्टर कालेज केमरी में शिक्षक व स्टाफ की तैनाती मानक के अनुरूप करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जनपद रामपुर की टाउन एरिया कैमरी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या 978 है एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 02 है।

जी हां।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड के शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है। प्रवक्ता के रिक्त पदों पर तैनाती लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में रोजगार सेवकों का नियमितीकरण किये जाने का प्राविधान

100–श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार सेवकों का नियमितीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत में की गयी है। मनरेगा अधिनियम–2005 में मनरेगा संविदा कार्मिकों को विनियमित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत रतौली से बरैचा वाया चक वरैचा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

101–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0खं0 निगोही के अन्तर्गत रतौली से बरैचा वाया चक बरैचा तक कच्चा मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द्र कुमार सिंह 'गोप'–

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 07–03–2014 को अनुबन्ध हो चुका है। इस मार्ग को दिनांक 31–03–2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

102–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

श्री राममूरत त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, कन्या प्राथमिक विद्यालय मेंहदावल, जिला सन्त कबीर नगर की सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन भुगतान सम्बन्धी मामला

103–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राममूरत त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, कन्या प्राथमिक विद्यालय, मेंहदावल, जिला सन्त कबीर नगर दिनांक 30–06–2009 को सेवानिवृत होने के पश्चात दिनांक 01–07–2009 से पेंशन पाने के हकदार हैं, जिनका तत्समय 10 माह का औसत मूल्य वेतन रु0 16,690/– तथा अन्तिम माह का वेतन रु0 23,196/– था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि श्री त्रिपाठी को दिनांक 01–07–2009 से पेंशन का भुगतान न करके मनमाने ढंग से श्रीमती कैलाश त्रिपाठी, पत्नी श्री राममूरत त्रिपाठी के नाम रु0 3,390/– प्रतिमाह पेंशन निर्धारित कर भुगतान किया गया जिसे पुनः दिनांक 10–12–2010 को मनमाने तरीके से बढ़ाकर रु0 8,345/– कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर श्री राममूरत त्रिपाठी की पेंशन का पुनः निर्धारण कर दिनांक 01–07–2009 से पेंशन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

दिनांक 01–07–2009 से पेंशन पाने के हकदार है, किन्तु इनका तत्समय 10 माह का भुगतानित औसत वेतन रु0 11204/– तथा अंतिम माह जून, 2009 का भुगतानित वेतन रु0 18260 है न कि कथनानुसार रु0 16690/– एवं रु0 23196/– है।

श्री राममूरत त्रिपाठी भवन निर्माण कार्य हेतु 40,000/– आहरित करके निर्माण का कार्य न कराने के आरोपी थे और जेल में निरुद्ध थे। उनकी दिनांक 01–12–2005 से 27–06–2007 तक उपस्थिति/कार्य प्रमाणन के अभाव में वेतन आहरित नहीं हुआ था। श्री त्रिपाठी के दिनांक 30–6–2009 को सेवानिव्त्त होने पर उन्हें नियमानुसार 3390/– प्रतिमाह पेंशन निर्धारित की गयी। पेंशन स्वीकृति के उपरान्त माह जुलाई, 2010 की पेंशन भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेंहदावल में स्थित उनके खाता संख्या–11059510921 में भेजी गयी थी, किन्तु लिपिकीय/टंकण त्रुटिवश माह जुलाई, 2010, अगस्त, 2010 एवं सितम्बर, 2010 की पेंशन देयक में श्री राममूरत त्रिपाठी के स्थान पर श्रीमती कैलाशपति त्रिपाठी पत्नी श्री राममूरत त्रिपाठी अंकित हो गया था किन्तु

पेंशन इनकी पत्नी के खाते में कभी नहीं गयी। पेंशन की राशि श्री राममूरत त्रिपाठी के ही खाते में भेजी गयी थी। नाम की त्रुटि को माह अक्टूबर, 2010 के पेंशन देयक में ठीक कर दिया गया था। श्री त्रिपाठी के पेंशन बकाये का भुगतान भी उनके ही खाते में किया गया है।

श्री राममूरत त्रिपाठी की पेंशन दिनांक 01–01–2006 से छठें वेतन आयोग के पुनरीक्षण के आधार पर आगणन रु0 8345/– पेंशन निर्धारित हुई थी जो कि नियमानुसार पेंशन संशोधन की कार्यवाही है, संशोधनोपरान्त यही पेंशन श्री त्रिपाठी को प्राप्त हो रही थी, परन्तु कालान्तर में श्री राममूरत त्रिपाठी को शासनादेश दिनांक 23–12–2011 के क्रम में अंतिम माह जून, 2009 के वेतन रु0 17660/– के 50 प्रतिशत के आधार पर रु0 8830/– पेंशन निर्धारित की गयी, जिसकी स्वीकृति आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संतकबीरनगर के पत्र दि0 07–06–2012 द्वारा निर्गत की गयी, जो कि नियमानुसार सही है। इस प्रकार श्री त्रिपाठी को माह नवम्बर, 2012 तक बेसिक शिक्षा परिषद् से एवं दिसम्बर, 2012 से कोषागार, संतकबीरनगर से नियमित पेंशन रु0 8830/– का भुगतान किया जा रहा है, न कि रु0 8385/– की दर से भुगतान किया जा रहा है।

इस प्रकार वर्तमान में श्री राममूरत त्रिपाठी को पेंशन का भुगतान सही हो रहा है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद से रामपुर तक बनायी जा रही सड़क पर स्थित ग्राम सभा–महुवारी, डेरी, सड़वा में पाइप लाइन के टूट जाने से बाधित जलापूर्ति को सुनिश्चित कराना

104–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से रामपुर तक सड़क चौड़ीकरण के परिणाम स्वरूप उक्त रोड पर स्थित ग्राम सभा–महुवारी, डेरी, सड़वा, में पाइप लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण उपरोक्त गांव की जल आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की पाइप लाइन को दुरुस्त कराकर जल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से आगणन की स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरुस्त कराकर शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने की सरकार की योजना

105–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 की अनुसूची ''विद्यालय के मान और मानक'' के प्रस्तर–1 (ख) (3) (ष्) एवं इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 31–01–2013 के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को संविदा पर तैनात किया गया है। अतः अंशकालिक अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाना संभव नहीं है।

जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा अमोघपुर में ग्राम सभा की जमीन पर विधायक निधि से बारात घर बनाये जाने का प्रकरण

106–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा–अमोधपुर में ग्राम सभा की जमीन पर विधायक निधि से बारात घर बनाये जाने विषयक प्रस्ताव ग्राम प्रधान के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–339335, दिनांक 03–12–2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती का प्रकरण

107–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कौन–कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं मात्र शिक्षामित्र के द्वारा संचालित है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि इनमें से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करते हुए भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

विद्यालय	शिक्षक विहीन	एकल	शिक्षा मित्र	अनुदेशक
प्रा0 वि0	142	2207	82	–
उ0प्रा0वि0	226	439	–	48

सूची पटल कार्यालय पर उपलब्ध है।

उक्त विद्यालयों में से 09 प्राथमिक विद्यालय, 07 उच्च प्राथमिक विद्यालय नदी में कट जाने के कारण भवन विहीन हो गये थे, किन्तु उनमें से 14 विद्यालयों को निकट के सेवित क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है उनमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। 02 विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है।

14 विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है तथा शेष 02 विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय, मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन करने विषयक

108–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आँगनवाड़ी स्तरीय, मानीटारिंग एवं समीक्षा समिति का गठन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त समितियों का गठन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय, ब्लाक और आंगनबाड़ी स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों को और अधिक गतिशील करने तथा इसकी उपयोगिता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अलग से भी निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में माह सितम्बर, 2014 तक भूकम्प रोधी प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जाना

109–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में माह सितम्बर 2014 तक कितने भूकम्प रोधी प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद बस्ती में माह सितम्बर, 2014 तक कुल 255 भूकम्प रोधी प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया है।

जी हां।

सूची पटल कार्यालय पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में किसान फीडिंग स्टेशन के पास स्थापित हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना

110–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0–मऊ में किसान फीडिंग स्टेशन मऊ के पास लगा हैण्ड पम्प खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान फीडिंग स्टेशन मऊ के समीप लगा हैण्डपम्प प्राइवेट है। यहां से लगभग 60 मीटर की दूरी पर सरकारी हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जो क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम कोटवामाफी क्षेत्र पंचायत मऊ के प्राथमिक विद्यालय के पास लगा हैण्डपम्प को रि–बोर कराने विषयक

111–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के ग्राम कोटवामाफी क्षेत्र पंचायत मऊ के प्राथमिक विद्यालय के पास लगा हैण्डपम्प खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम कनियाढ़ क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री तेजबहादुर सिंह पुत्र राजा सिंह के घर के पास लगा हैण्डपम्प रि–बोर कराने का मामला

112–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के ग्राम कनियाढ़ क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री तेजबहादुर सिंह पुत्र राजा सिंह के घर के पास लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कूमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम कोटवामाफी क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री बृजभान सिंह के पुरवा में लगा हैण्डपम्प ठीक कराने विषयक

113–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के ग्राम कोटवामाफी क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री बृजभान सिंह के पुरवा में लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चित्रकूट के ग्राम–कोटवामाफी, क्षेत्र पंचायत–मऊ में श्री बृजभान सिंह के पुरवा में लगे हैण्डपम्प का स्थलीय सत्यापन में यह पाया गया कि वहां पर कोई आबादी निवास नहीं करती है।

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम नांदिन कुर्मियाना क्षेत्र पंचायत रामनगर में श्री जय सिंह पुत्र श्री छेदीलाल के घर के पास लगा हैण्डपम्प ठीक कराने विषयक

114–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नांदिन कुर्मियान क्षेत्र पंचायत रामनगर में श्री जय सिंह पुत्र छेदीलाल के घर के पास लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी/सहायता प्राप्त/सहायातित मान्यता प्राप्त/अन्य शैक्षणिक संस्थानों सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0ई0 से संचालित निजी विद्यालयों में घटने वाली घटनाओं हेतु प्रक्रिया व नीति निर्धारण करने विषयक

115–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के विभिन्न सरकारी/सहायता प्राप्त/असाहयतित मान्यता प्राप्त /अन्य शैक्षणिक संस्थानों सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0ई0 से संचालित निजी विद्यालयों में, छात्र–छात्राओं के साथ होने वाले अपव्यवहार/दुर्व्यवहार पर नियंत्रण करने हेतु कोई नीति तथा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों से लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों तक विभिन्न स्तरों पर वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में शासन को ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुयी है ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1466/15–7–2007, दिनांक 09–10–2007 द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस प्रकार की कुल तीन घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। दो घटनाएं मेरठ मण्डल एवं एक घटना वाराणसी मण्डल से सम्बन्धित है।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबों की संख्या का आंकलन तथा गरीबी उन्मूलन हेतु नीति की जानकारी

116–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या का कोई आंकलन कराया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आर्थिक रूप से गरीब लोगों की कितनी संख्या है ? क्या सरकार की गरीबी–उन्मूलन हेतु कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2013 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्र में 479.35 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 118.84 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित हुये।

जनपदवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने अनेक नई एवं महत्वाकांक्षी योजनायें प्रारम्भ की हैं। विकास की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था बनायी गयी है। योजनाओं को पारदर्शी व्यवस्था से संचालित करने का उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, नौजवानों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों तथा किसानों को मिले तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम गिरधारा पुरवा मजरा अगरहुडा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री राम सवारे के घर के पास लगा हैण्डपम्प ठीक कराने की मांग

117–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के ग्राम गिरधारा पुरवा मजरा अगरहुडा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री रामसवारे के घर के पास लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम अमचुर नेरूवा क्षेत्र पंचायत की नई बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय पर लगा हैण्डपम्प ठीक कराने का प्रकरण

118–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अमचुर नेरूवा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में नई बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय पर लगा हैण्ड पम्प पूर्णतः खराब होने से छात्र–छात्राओं/क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम गजरी, मजरा गढ़वा क्षेत्र पंचायत मऊ में अम्बेडकर पार्क पर लगा हैण्डपम्प ठीक कराने विषयक

119–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गजरी मजरा गढ़वा क्षेत्र पंचायत मऊ में अम्बेडकर पार्क पर लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब होने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम–गढ़वा, क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री नर्वदा प्रसाद पाल के दरवाजे के पास तथा दुर्गामन्दिर के पास लगे हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

120–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गढ़वा क्षेत्र पंचायत मऊ में श्री नर्वदा प्रसाद पाल के दरवाजे के पास तथा दुर्गा मंदिर के पास लगा हैण्ड पम्प पूर्णतः खराब हेाने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त स्थानों पर लगे खराब हैण्ड पम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उल्लिखित हैण्डपम्प क्रियाशील हैं एवं स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है।

जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

121–डा0 मो0 अयूब–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0 310608, 310609, 310610, दिनांक 11–10–2012, पत्र संख्या–ख–5 नं0 310628, 310629, दिनांक 18–10–2012, पत्र संख्या–क–5 नं0 120235, क–5 नं0 120236, क–5 नं0 120237, क–5 नं0 120238, पत्र संख्या–ख–5 नं0 202613, ख–5 नं0 202616 दिनांक क्रमशः 15–11–2012 व 07–02–2013 तथा पत्र संख्या–ख–5 नं0 202618, दिनांक 14–02–2013 तथा पत्र संख्या ख–5 नं0 202752, ख–5 नं0–202753, दिनांक 11–04–2013 परियोजना निदेशक, सन्त कबीर नगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के संदर्भगत पत्रों में उल्लिखित लाभार्थियों को इन्दिरा आवास अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में पात्रता की जांच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से करायी गयी। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा संस्तुत कुल 273 लाभार्थियों में से विकास खण्ड बघौली में 12 लाभार्थी एवं विकास खण्ड सेमरियांवा में 03 लाभार्थी अर्थात् कुल 15 लाभार्थियों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में पाया गया है। उक्त 15 लाभार्थियों में से 01 लाभार्थी श्रीमती जनतुननिशा पत्नी अनवर, ग्राम बेला (आटा कला) को वित्तीय वर्ष 2013–14 में इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है तथा शेष 14 लाभार्थियों को वर्ष 2014–15 में इन्दिरा आवास आवंटित कर दिया गया है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा जफरपुर समग्र ग्राम लोहिया के गरीबों, असहायों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

122–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–नियामताबाद के ग्राम सभा–जफरपुर समग्र ग्राम लोहिया के गरीबों असहाय 6 लोगों को सरकारी आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0 321872 दिनांक 26–07–2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के संदर्भगत पत्र दिनांक 26–07–2014 में उल्लिखित 06 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु उनकी पात्रता के परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया है कि श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री लक्ष्मण सोनकर, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री लल्लू सोनकर, श्रीमती लीलावती देवी पत्नी स्व0 प्यारेलाल एवं श्रीमती तेतरा देवी पत्नी श्री शिव नारायण के पास पक्का आवास होने के कारण आवास हेतु पात्र नहीं है। श्री भाई लाल चौहान पुत्र स्व0 राम नरेश की पत्नी श्रीमती समदेई को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोहिया आवास तथा श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री रामवृक्ष को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम चुरेह केशरूवा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री रामविशाल पुत्र श्री जगदेश के केशरूवा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री जगदेश के घर के पास लगा हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना

123–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चुरेह केशरूवा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री रामविशाल पुत्र श्री जगदेश के घर के पास लगा हैण्डपम्प पूर्णतः खराब हो गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2009–10 में मनरेगा योजना के तहत पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2009–10 में मनरेगा योजना के तहत पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5/195059, दिनांक 15–9–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 15–09–2014 में आच्छादित सभी 16 पुलियों का स्थलीय सत्यापन किया गया, जिसमें 04 पुलियों का एप्रोच क्षतिग्रस्त एवं 01 पुलिया का एप्रोच बना नहीं पाया गया। शेष 11 पुलिया एवं इनके एप्रोच गुणवत्तापूर्ण पाये गये।

उपरोक्तानुसार 05 पुलियों के क्षतिग्रस्त/अपूर्ण एप्रोच को तत्काल पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सादुल्लाहपुर में परिषदीय प्राइमरी पाठशाला खोले जाने का प्रकरण

125–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सादुल्लाहपुर में विद्यालय न होने से छोटे–छोटे बच्चों को दूर के विद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सादुल्लाहपुर में परिषदीय प्रा0 पाठशाला का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती की आख्यानुसार राजस्व ग्राम सादुल्लाहपुर, ग्राम पंचायत आदमपुर में अवस्थित है। ग्राम सादुल्लाहपुर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय आदमपुर संचालित है। सम्प्रति 01 कि0मी0 एवं 300 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की नीति है। उक्त मानक के आधार पर ग्राम सादुल्लाहपुर प्राथमिक विद्यालय आदमपुर से सेवित है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के विभिन्न गांवों एवं प्राइमरी विद्यालय बेनबधिया, बारहकोनी आदि में लगे खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराना

126–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के विभिन्न गांवों एवं प्रा0 विद्यालय बेनबधिया, बारहकोनी, भझौआ राम प्रसाद, पटवरिया यमवा, भिरैलागरीन, चिरैया बुर्जुग आदि में लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प

खराब पड़े हैं एवं कुछ दूषित पानी दे रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी/गैर सरकारी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं में डिसलेक्सिया एवं आउटिज्म के आंकलन हेतु टीचर्स नियुक्ति करने विषयक

127–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में डिसलेक्सिया एवं आउटिज्म के आंकलन हेतु सरकार द्वारा कोई नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संदर्भ में किसी नीति को निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के सन्दर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा में केवल श्रवण अक्षम (एच0आई0), दृष्टि अक्षम (वी0आई0) तथा मानसिक मंद (एम0आर0) के ही विशेषज्ञता प्राप्त रिर्सोस पर्सन (इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स) रखने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं। सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में डिसलेक्सिया एवं आटिज्म के आंकलन हेतु कोई भी विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन (इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स) कार्यरत नहीं हैं, जो डिसलेक्सिया एवं आटिज्म के विषय में जानकारी रखते हों।

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर के परिसर में निर्माणाधीन दुग्ध संग्रह केन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

128–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र रामनगर के परिसर में निर्माणाधीन दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति वर्मा–

जी हां।

ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अवस्थापना मद से वर्ष 2000–01 में निर्माणाधीन विकास खण्ड रामनगर, जनपद बस्ती के

दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण तत्समय शिकायत के कारण उच्चाधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था। कालान्तर में आगणित धनराशि में वृद्धि हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना बन्द कर दिये जाने के कारण निर्माण अपूर्ण है। जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वे अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त कर इस अधूरे कार्य को पूर्ण कर लें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में जे0ई0 से प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना

129–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर के जे0ई0 प्रभावित गांवों में शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन पेयजल योजना के निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सादुल्लाहपुर में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने विषयक

130–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर अन्तर्गत ग्राम–सादुल्लाहपुर में प्रा0 पाठशाला न होने के कारण बच्चों को दूर दराज स्थित विद्यालयों में विद्याध्यन के लिए जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सादुल्लाहपुर में प्रा0 पाठशाला स्थापित किए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती की आख्यानुसार राजस्व ग्राम सादुल्लाहपुर, ग्राम पंचायत आदमपुर में अवस्थित है। ग्राम सादुल्लाहपुर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय आदमपुर संचालित है। सम्प्रति 01 कि0मी0 एवं 300 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की नीति है। उक्त मानक के आधार पर ग्राम सादुल्लाहपुर प्राथमिक विद्यालय आदमपुर से सेवित है।

प्रदेश में इण्टर पास छात्रों को लैपटाप दिये जाने की योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा खरीदे गये लैपटापों की संख्या तथा योजना को समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त बचे लैपटापों की संख्या की जानकारी

131–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टर पास छात्रों को लैपटाप दिये जाने की योजना के अन्तर्गत कितने लैपटाप शासन के द्वारा खरीदे गये तथा कितने वितरित हुए एवं योजना समाप्त कर दिए जाने के बाद कितने लैपटाप शेष बचे हैं जो वितरित नहीं किए गये हैं ? क्या सरकार यह भी अवगत करायेगी कि शेष बचे लैपटापों का उपयोग क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

निःशुल्क लैपटाप वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2012 में 12वीं पास कर उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लैपटाप दिये जाने हेतु कुल 1481118 लैपटाप खरीदे गये, जिसमें से अब तक 1442440 लैपटाप वितरित किये जा चुके हैं तथा 38678 लैपटाप जनपदों में वितरण हेतु अवशेष उपलब्ध हैं।

शेष लैपटाप दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

होमगार्ड विभाग में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के स्थायीकरण कर उनके मानदेय को बढ़ाया जाना

132–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड विभाग में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के स्थायीकरण तथा उनके मानदेय में वृद्धि कर 500/– रु0 प्रति दिन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वयंसेवी संगठन होने के कारण इन्हें नियमित किये जाने की वर्तमान में कोई नीति नहीं है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत समय–समय पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाया जाता है। शासनादेश दिनांक 16–09–2014 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु0 200/– से बढ़ाकर रु0 225/– प्रतिदिन प्रति होमगार्ड किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा पहली जुलाई 2014 को कर्मचारियों को दी गयी मंहगाई भत्ते की किश्त की भांति प्रदेश सरकार उक्त किश्त को राज्य कर्मचारियों को देने विषयक प्रकरण

133–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई, 2014 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की भांति उक्त महंगाई भत्ते की किश्त स्वीकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम शीतलपुर में श्री दिलीप कुम्हार के डेरा तथा रामरुचि पटेल के डेरा के पास लगे हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना

134–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र ग्राम शीतलपुर क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में श्री दिपाली कुम्हार के डेरा के पास तथा रामरुचि पटेल के डेरा के पास लगे हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर के माघवपुरवा लालता रोड क्षेत्र पंचायत के मानिकपुर में श्री रज्जू के घर के पास तथा शिवनारायण मिश्र के घर के पास लगे खराब हैण्डपम्प को ठीक कराना

135–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के माधवपुरवा लालता रोड क्षेत्र पंचायत के मानिकपुर मऊ में श्री रज्जू के घर खाच पुरवा सेमरदहा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में शिवनरायण मिश्र के घर के पास लगे हैण्डपम्प खराब हो जाने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है।

जनपद सन्त कबीर नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती का प्रकरण

136–डा0 मो0 अयूब–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर में मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है तथा वर्तमान समय में कितने कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद सन्त कबीर नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 2141 शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 712 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 1429 शिक्षकों की कमी है।

जी हां।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का पद मुख्यतः पदोन्नति का पद है, जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सीधी भर्ती के माध्यम से जनपद संत कबीर नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 128 गणित व 128 विज्ञान शिक्षकों के पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में प्रेरक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित कराया जाना

137–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं जू0 विद्यालय में प्रेरक के पदों पर कार्य कर रहे कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनको वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्राथमिक एवं जू0 विद्यालय में प्रेरकों के कोई पद सृजित नहीं हैं। इस कारण उनके वेतन का भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

उक्तवत्।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरक के रिक्त पदो पर तैनाती का प्रकरण

138–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखीमपुर खीरी के विधान क्षेत्र धौरहरा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरक के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त प्रेरक के पदों पर नियुक्तियाँ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरकों का कोई पद सृजित नहीं है। अतः रिक्त पदों की संख्या शून्य है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के शारदा सहायक परियोजना इण्टर कालेज गिरिजापुरी का प्रान्तीयकरण का लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु दिया गया पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

139–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के शारदा सहायक परियोजना इण्टर कालेज गिरिजापुरी का प्रान्तीयकरण का लम्बित प्रकरण निस्तारित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10499691/2014 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–रगियाबेहड़ के ग्राम सोठियाना में प्राथमिक स्कूल के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना

140–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–रमियाबेहड़ के ग्राम सोठियाना में प्राथमिक स्कूल के भवन का निर्माण हो

चुका है, किन्तु शिक्षकों की तैनाती अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्राथमिक विद्यालय सोठियाना के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जुलाई, 2014 में शिक्षक की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जिला लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया जाना

141–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

तहसील–धौरहरा के अन्तर्गत तीन विकास खण्डों नामतः धौरहरा, रमियाबेहड़ एवं ईशानगर में वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रति विकास खण्ड 100–100 नग हैण्डपम्प रि–बोर कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 में कम्प्यूटर, शारीरिक कला, गृह विज्ञान, कृषि आदि विषय के अनुदेशकों की संविदा आधार पर तैनाती को देखते हुए स्थाई नियुक्ति प्रदान करने विषयक

142–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 में कम्प्यूटर, शारीरिक, कला, गृह विज्ञान, कृषि आदि विषय के अनुदेशकों की संविदा के आधार पर तैनाती दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की तरह प्रशिक्षित कर स्थाई शिक्षक पद पर समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 की अनुसूची ''विद्यालय के मान और मानक'' के प्रस्तर 1 (ख) (3) (।।) के आलोक में, 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु0 7000/– प्रतिमाह की दर से कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती शासनादेश संख्या 3371/79–5–2013–5/2010, दिनांक 31–01–2013 के अनुसार संविदा पर की गयी है।

अतः अंशकालिक अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

143–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

ख1ले बुद्धवार के अता0प्र0सं0–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के गांव मैनी के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत बाबूराम पुत्र श्री कल्याण की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति का प्रकरण

144–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के गांव मैनी के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत श्री बाबूराम पुत्र श्री कल्याण की मृत्यु सेवा अवधि में ही दिनांक 21 अप्रैल, 2011 को हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके उत्तराधिकारी श्री राजीव कुमार की दिनांक 17 जुलाई, 2012 के आवेदन पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

जी नहीं।

मृतक आश्रित श्री राजीव कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विशेष अपील संख्या–53454/2013 राजीव बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी है, जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन है।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प अनुमोदित सूची से भिन्न स्थलों पर स्थापित करने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

145–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130–बीसलपुर अंतर्गत इण्डिया मार्क–ए हैण्डपम्प अनुमोदित सूची से भिन्न

स्थलों पर अधिष्ठापित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130–बीसलपुर में अनुमोदित सूची से भिन्न स्थलों पर 04 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प भूमि विवाद, स्थल की अनुपलब्धता, पूर्व से अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के मध्य निर्धारित 75 मीटर से कम दूरी होने एवं एक स्थल पर माननीय सदस्य के पत्र के अनुपालन में स्थानीय आवश्यकता एवं 150 की आबादी के दृष्टिगत उपयुक्त स्थल पर अधिष्ठापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला अफोप तथा ग्राम नगला करभना में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने विषयक

146–श्री काली चरन सुमन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला अफोप (नैनाना ब्राह्मण) तथा ग्राम नगला करभना में प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आख्यानुसार ग्राम नगला अफोप (नैनाना ब्राह्मण) 700 मीटर की दूरी पर स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय चावली (नगर क्षेत्र) आगरा से मानक के अनुसार सेवित है। ग्राम पंचायत करभना में नगला करभना नाम का कोई नगला आबादी नहीं है। ग्राम करभना में प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में स्वीकृत टी0टी0एस0पी0 टंकियों को लगाया जाना

147–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत टी0टी0एस0पी0 की टंकियां में से वर्ष 2012–13 व 2013–14 में किन–किन स्थानों पर कितनी टंकियां लगायी गयी हैं और कितनी टंकियां लगना शेष है ? क्या सरकार अवशेष टी0टी0एस0पी0 टंकियों को लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1202 स्वीकृत टी0टी0एस0पी0 की टंकियों में से वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में भिन्न–भिन्न

स्थानों पर 1065 टी0टी0एस0पी0 (टंकियां) लगायी गयी हैं तथा 137 टी0टी0एस0पी0 (टंकियां) लगाना अवशेष है।

जी हां।

जून, 2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु मनरेगा लोकपालों की नियुक्ति तथा कार्य निष्पादन हेतु स्टाफ आदि की व्यवस्था किया जाना

148–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए मनरेगा लोकपालों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो मनरेगा लोकपालों के क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए प्रशासनिक, विशेषज्ञों, कार्यालय, स्टाफ (कम्प्यूटर आपरेटर) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं पूर्व कालिक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के बारे में जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों को लिखित रूप से निर्देश जारी किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन बिन्दुओं पर क्या–क्या व्यवस्था मनरेगा लोकपालों को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या–914/मनरेगा सेल/लो0पा0/2014, दिनांक 13.06.2014 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सुविधाएं दिये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं :–

(1) लोकपाल को विकास भवन में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाय और शिकायतों की जांच रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य विवरण प्रेषित करने हेतु यथावश्यक कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था की जाय।

(2) प्राप्त शिकायतों की जांच लोकपाल द्वारा की जायेगी। इस हेतु उनको आवंटित जिस जनपद से शिकायत प्राप्त होती है उस जनपद में जाकर स्थलीय भ्रमण कर शिकायत की जांच आख्या तैयार करनी होगी।

(3) लोकपाल प्राप्त शिकायतों के अनुसार भ्रमण कार्यक्रम बनायेंगे।

(4) लोकपाल जिस भी शिकायत की जांच में स्थलीय भ्रमण हेतु वाहन की मांग करते हैं ऐसी दशा में उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यदि एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए वाहन सुविधा दिया जाना संभव नहीं होता है तो लोकपाल को नियमानुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(6) लोकपाल को उनके मानदेय और अन्य देयकों का भुगतान जनपद के मनरेगा के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2014–15 में सरकार द्वारा नये हैण्डपम्प स्थापित कराने के सम्बन्ध में

149–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2014–15 में सरकार द्वारा नये हैण्डपम्प की स्थापना को बंद कर दिया है, जिससे जनपद के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए उक्त क्षेत्र में किसी योजना के अन्तर्गत नये हैण्डपम्प की स्थापना करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र निर्धारित मानकानुसार इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्पों से पूर्णतया संतृप्त हैं। पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रति विकास खण्ड 100–100 इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का लक्ष्य स्वीकृत है।

जनपद–इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र निर्धारित मानकानुसार इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों से पूर्णतया संतृप्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित करने विषयक

150–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों के बेहतर विकास के लिए संचालित मीना मंच योजना को प्रदेश के किन किन जिलों में लागू किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना बस्ती में कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में जहां पर बालिकाओं का नामांकन 20 से अधिक है, उन विद्यालयों में मीना मंच गठित है।

जनपद बस्ती में वर्ष 2004 से मीना मंच संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में चलायी जा रही कौशल विकास योजना के तहत युवाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रारम्भ न होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

151–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में चलायी जा रही कौशल विकास योजना के तहत युवाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों का दिया जाने वाला प्रशिक्षण अब तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में जनपद बस्ती में चलायी जा रही कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आबद्ध 03 निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं क्रमशः मे0 श्रीराम न्यू हॉरीजन प्रा0 लि0, मे0 प्रागमैटिक एजूकेशनल सोसाइटी एवं मे0 सहज ई0 विलेज लि0 द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

152–श्री काली चरन सुमन–

खदिनांक 14–11–2014 को अता0प्र0सं0–128 द्वारा उत्तरित,

जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

153–श्री अली यूसूफ अली–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड–स्वार में 20 हजार की आबादी है, लेकिन क्षेत्र में कोई राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु स्वार में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड स्वार में मुख्यालय पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्वार (रामपुर), विकास खण्ड मुख्यालय से 04 किमी0 की दूरी पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज नरपत नगर (रामपुर), विकास खण्ड स्वार से 06 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजानगर (सहशिक्षा) तथा विकास खण्ड स्वार में राजकीय बालिका इण्टर कालेज टाडा बादली रामपुर एम0एस0डी0 योजनान्तर्गत संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र विकास निधि से इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड श्री रामकुंज पार्क फरीदीनगर का सौन्दर्यीकरण एवं पांच क्षेत्रों में कार्य कराये जाने विषयक तत्कालीन कलराज मिश्र स0वि0स0 का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

154–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कलराज मिश्र तत्कालीन सदस्य विधान सभा का पत्र सं0–क्षे0वि0नि0/48/0114 दिनांक 13–01–2014 जो क्षेत्र विकास निधि से इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड श्री राम कुंज पार्क फरीदीनगर का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य पांच क्षेत्रों में कार्य कराये जाने विषयक था, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री कलराज मिश्र का संस्तुति पत्र दिनांक 13.01.2014 प्राप्त होने पर संदर्भित कार्यों का आगणन, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद से मांगा गया। पुनः मा0 सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 03.02.2014 के द्वारा उक्त पत्र दिनांक 13.01.2014 में वर्णित कार्यों में से क्रमांक–3 को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की तथा शेष 05 कार्य अभी स्वीकृत न किये जाय, इसके लिए अलग से संस्तुति पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाय, प्रेषित किया गया।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री कलराज मिश्र के संस्तुति पत्र दिनांक 13.01.2014 में वर्णित 06 कार्यों में से क्रमांक–3 पर अंकित कार्य श्रीमती ऊषा त्रिपाठी, 13/84 इन्दिरा नगर के सामने पार्क सौन्दर्यीकरण कार्य स्वीकृत कर दिया गया, शेष पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इसके सम्बन्ध में मा0 सदस्य का कोई पुनः संस्तुति पत्र ही प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में वर्तमान वर्ष 2014 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण तालाबों में, पोखरों में जल भरवाकर जल संचयन का प्रबन्धन करके मवेशी आदि की जल की व्यवस्था कराने विषयक

155–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में वर्तमान वर्ष 2014 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण तालाबों में जल संचय नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाबों में मवेशी आदि को पीने हेतु जल संचयन का प्रबन्धन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद–शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में वर्तमान वर्ष 2014 में गत वर्ष की अपेक्षा कम वर्षा होने के कारण विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों से तालाब/पोखर भरवाकर जल संचयन किया गया है, जिसमें मवेशी आदि के पानी पीने की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती मानक के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में

156–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती मानक के अनुसार विकास खण्डों में बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में सृजित 15 खण्ड विकास अधिकारी के पदों के सापेक्ष 06 खण्ड विकास अधिकारी तैनात हैं तथा 01 अन्य खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की गयी है। इस प्रकार जनपद शाहजहांपुर मे कुल 07 खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती है। सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे के रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित है। संस्तुति प्राप्त होने पर यथास्थिति रिक्त पदों पर तैनाती की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड रफियाबाद कलान के ग्राम कलान में स्थित पानी की टंकी की सप्लाई न होने से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने विषयक

157–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड रफियाबाद कलान के ग्राम कलान में स्थित पानी की टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से जलापूर्ति सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है।

जी हां।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजना में प्रस्तावित दूसरे नलकूप का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर दूसरे नलकूप का निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ग्रामवासियों को पूर्ण जलापूर्ति सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के 132–जलालाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्पों को स्थापित कराया जाना

158–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र 132 जलालाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2014–15 हेतु सितम्बर 2014 तक कितने हैण्डपम्पों की स्थापना जल निगम द्वारा करायी गयी है एवं कितने लगने हेतु शेष हैं ? शेष हैण्डपम्पों को सरकार कब तक स्थापित कराने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र–जलालाबाद में वित्तीय वर्ष 2013–14 के अवशेष 32 हैण्डपम्प तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में मल्टी सेक्टोरल कार्यक्रम के अन्तर्गत 58 हैण्डपम्प कुल 90 इण्डिया मार्क–ब हैण्डपम्प अधिष्ठापन का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष माह सितम्बर, 2014 तक कुल 54 नग इण्डिया मार्क–ब हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं एवं 36 इण्डिया मार्क–ब हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अवशेष हैं।

अवशेष हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिसम्बर, 2014 तक अधिष्ठापित कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित चारों तहसीलों में ई–स्टांपिंग प्रणाली लागू कराये जाने की मांग

159–श्री मनीष असीजा–

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित चार तहसीलों फिरोजाबाद सदर, टुण्डला, शिकोहाबाद एवं जसराना में ई–स्टांपिंग प्रणाली लागू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन तहसीलों में ई–स्टांपिंग प्रणाली लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी हां। जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद सदर तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में ई–स्टांपिंग प्रणाली लागू है। जनपद के अन्य तहसीलों में कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों तथा इन्टरनेट आदि की उपलब्धता न होने के कारण ई–स्टाम्पिंग प्रणाली प्रभावी नहीं हुई है।

वर्तमान में निबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा ऐसे साफ्टवेयर का निर्माण प्रगतिमान है, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भी ट्रेजरी के खाते में सीधे जमा कराया जा सकेगा। ऐसी दशा में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली की उपयोगिता, प्रासंगिकता अत्यन्त अल्प रह जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा अध्यापकों से स्कूल में शिक्षा देने के अतिरिक्त (देवीय आपदा को छोड़कर) अन्य कार्यों में न लगाने की सरकार से मांग

160–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा अध्यापकों से स्कूलों में शिक्षा देने के अतिरिक्त (दैवीय आपदा को छोड़कर) अन्य कार्यों में न लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को दसकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कार्य अथवा संसद/राज्य विधान मण्डल या स्थनीय निकाय संबंधी कर्तव्यों से इतर कार्यों में न लगाये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 03.09.2012 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश में विकास हेतु चल रही विधान मंडल विकास निधि योजना की धनराशि प्रत्येक क्षेत्रवार पांच करोड़ या इससे अधिक करने की सरकार से मांग

161–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश में विकास हेतु चल रही विधान मंडल विकास निधि योजना की धनराशि प्रत्येक क्षेत्रवार पांच करोड़ या इससे अधिक करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए वर्ष 2007 से रु0 125.00 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष अवमुक्त की जा रही थी।

विकास कार्यों से सम्बन्धित सामग्री, मजदूरी तथा मुद्रा स्फीति में वृद्धि होने के आधार पर शासनादेश दिनांक 29.11.2012 द्वारा उपरोक्त धनराशि में वृद्धि करते हुए रु0 150.00 लाख की धनराशि प्रति सदस्य, प्रतिवर्ष अनुमन्य की गयी है।

अतः वर्तमान में रु0 150.00 लाख को बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ किये जाने का फिलहाल औचित्य नहीं है।

देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25–06–1975 से 21–03–1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने की योजना

162–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25–06–1975 से 21–03–1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी–

आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुविधा प्रदान करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत लखन गोण्डा के मजरा रतनपुर में अमर के घर के पीछे से भगौती के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी की पटाई कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत लखन गोण्डा के मजरा रतनपुर में अमर के घर के पीछे से भगौती के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी पटाई कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ ज0हि0/12–13/क–5नं0–323465/4072, दिनांक 23–04–2013 खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ग्राम पंचायत–लखन गोण्डा में रतनपुर ग्राम नाम से कोई मजरा नहीं है। संदर्भित ग्राम, ग्राम पंचायत चन्दईपुर में स्थित है। उक्त कार्य विवादित एवं निजी स्वामित्व की भूमि पर होने के कारण नियमानुसार कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद तहसील रूदौली के अमराई गांव में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु धन आवंटन किया जाना तथा समय सीमा में आई0टी0आई0 का संचालन कराये जाने विषयक

164–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील रूदौली के अमराई गांव में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आई0टी0आई0 के संचालन की समय–सीमा क्या है ? क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में छात्रों के प्रवेश शुरू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के अमराई गांव में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु भवन निर्माण की मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 23–01–2014 द्वारा रु0 487.89 लाख के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को आवंटित किया गया है। अब तक निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 300.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित की गयी है तथा निर्माण कार्य प्रगतिमान है।

सामान्यतया भवन निर्माण कार्य स्वीकृति जारी होने के 02 वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाता है। भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर संस्थान में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

संस्थान को वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2016 से प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम धुनुवां में शारदा प्रसाद पुत्र श्री साधु के घर के पास तथा अन्य खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

165–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम धुनुवां में शारदा प्रसाद पुत्र श्री साधु के घर के पास लगा हैण्डपम्प व ग्राम रामनगर में विशम्भर प्रसाद पुत्र वंशीलाल के घर के पास लगा हैण्डपम्प खराब होने के कारण क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर लगे खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दोनों हैण्डपम्प क्रियाशील हैं।

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र मानिकपुर में ग्राम नांदिन कुर्मियान में तथा अन्य स्थानों पर लगे हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक

166–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के 237–मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नांदिन कुर्मियान में जयसिंह पुत्र छेदीलाल सिंह के घर के पास व ग्राम सरबदा पुरवा मजरा सरहट क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में राममिलन कोल के घर के पास लगा हैण्डपम्प खराब हो गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को पीने के

पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर लगे खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्प क्रियाशील है। पेयजल की समस्या नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्रामों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

167–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्रामों में 296 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–5 नं0–196962/245/13, दिनांक 01–05–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच/श्रावस्ती के बर्खास्त प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच/श्रावस्ती के 263 बर्खास्त प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उ0प्र0 लखनऊ बेंच के आदेश तथा समय–समय पर शासन के अधिकारियों द्वारा तथा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा सं0–जी0एच0–110000362 ए0वाई0 38/2012 दिनांक 05–11–2012 के बाद भी उक्त शिक्षकों की बहाली नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–कठौरी वि0ख0–नियमताबाद में गरीब असहायों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

169–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–कठौरी वि0ख0–नियमताबाद में गरीबों असहायों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 एन0–140107 दिनांक 25–03–2014 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम सभा कठौरी, वित्तीय वर्ष 2014–15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत चयनित है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 सर्वे सूची 2002/स्थायी पात्रता सूची के अनुसार अनुसूचित जाति के 05, अल्पसंख्यक समुदाय के 10 एवं सामान्य वर्ग के 78 अर्थात् कुल 93 पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर आवास आवंटित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त लोहिया ग्रामीण आवास योजना में 54 लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए अनुसूचित जाति के 29 लाभार्थियों तथा सामान्य वर्ग के 25 लाभार्थियों को भी आवास आवंटित कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों आवासी योजनाओं में ग्राम सभा कठौरी में कुल 147 पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है।

जनपद–बागपत के बढ़ौत के अन्तर्गत यमुनोत्तरी हाई–वे मार्ग पर तालाब का पानी सड़ जाने से फैल रही बीमारी तथा अनेक जानवरों के मरने के कारण तालाब की सफाई कराने की मांग

170–श्री लोकेश दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बढ़ौत, जनपद–बागपत के अन्तर्गत यमुनोत्तरी हाई–वे मार्ग पर तालाब है जिसका पानी सड़ जाने के कारण पानी का रंग काला हो गया है जिसे पीने से अनेकों जानवर मर गये हैं तथा गांवों में अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की सफाई करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

तालाब के पानी का रंग साफ नहीं है, किन्तु जानवरों के मरने एवं किसी प्रकार की बीमारी फैलने की कोई सूचना नहीं है।

उक्त तालाब में पानी भरे होने व कीचड़ के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों द्वारा सफाई कार्य संभव नहीं है। राज्य वित्त आयोग/13वें वित्त आयोग से प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को परामर्श दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत ग्राम मलिकपुर के तालाब की वर्षों से सफाई न होने से सफाई कराये जाने की मांग

171–श्री लोकेश दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत ग्राम मलिकपुर के तालाब की वर्षों से सफाई न होने के कारण से पानी का रंग काला हो गया है जिसे पीने से अनेकों जानवर मर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

तालाब के पानी का रंग साफ नहीं है, किन्तु जानवरों के मरने की कोई सूचना नहीं है।

उक्त तालाब में पानी भरे होने व कीचड़ के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों द्वारा सफाई कार्य संभव नहीं है। राज्य वित्त आयोग/13वें वित्त आयोग से प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत–मलिकपुर को परामर्श दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 सचिवालय के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न राजकीय विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष 10–15 वर्ष कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समायोजित करने का सरकार का विचार

172–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय के विभिन्न विभागों तथा प्रदेश में विभिन्न राजकीय विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष विगत 10–15 वर्षों से संविदा पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समायोजित किये जाने हेतु वित्त वेतन समिति 2008 (रिजवी कमेटी) द्वारा परामर्श दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों को समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकार द्वारा संदर्भगत विषय पर समिति की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के विकास खण्ड नियामताबाद के विभिन्न स्थानों पर लगे हैण्डपम्पों की रि–बोर करने की सूची के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

173–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चन्दौली व वि0ख0 नियामताबाद में विभिन्न स्थानों पर लगे हैण्डपम्पों को रि–बोर करने की सूची कुल 68 प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–नं0–321311, दिनांक 25–8–2014 अधिशासी अभियन्ता जल निगम चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मा0 सदस्य द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में से 13 नग हैण्डपम्पों की रिबोरिंग करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत स्थापित की गयी 6 पानी की बड़ी टंकियों को चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

174–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत स्थापित की गयी 6 पानी की बड़ी टंकियों को अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिससे नागरिकों को पेयजल सुविधा प्राप्त होने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों को चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाएं। अब बहुत हो गया। अब हम मद संख्या–02, निधन के निर्देश ले रहे हैं, इसमें तो चले जाओ वापस, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 सदस्यगण, मेरा भी अनुरोध है, भूतपूर्व मा0 विधायकों के निधन के निर्देश हैं, आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल, श्रीमती प्रभा रावत, श्री मण्डलेश्वर सिंह, श्री मधुकर दिघे, श्री राजपाल, श्री हरीश चन्द्र गंगवार, श्री कमाल अहमद रिजवी, महंत अवैद्य नाथ, श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री राम शंकर पाल, श्री संजय सिंह, श्री राम सेवक, श्री नेतराम, श्री सैय्यद जकीउद्दीन, श्री मारकण्डेय चन्द्र, श्री डी0पी0 बोरा तथा श्री अनार सिंह दिवाकर के निधन पर शोकोद्गार

निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल का 07 मई, 1998 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री छोटे लाल का जन्म 10 जुलाई, 1943 को ग्राम एकधरा, जिला खीरी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री छोटे लाल वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदी (अ0जा0), जिला खीरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री छोटे लाल दुर्बल वर्ग कानूनी सलाहकार समिति के सदस्य रहे थे। सामाजिक कार्य तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री छोटे लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती प्रभा रावत का 01 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। श्रीमती प्रभा रावत वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र सहजनवां, जिला गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती प्रभा रावत एक कर्मठ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ती थीं। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहती थीं। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती प्रभा रावत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मण्डलेश्वर सिंह का 09 फरवरी, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री मण्डलेश्वर सिंह का जन्म 08 मार्च, 1937 को ग्राम सैंया, जिला आगरा में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मण्डलेश्वर सिंह वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0), वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1993 एवं 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र खैरागढ़, जिला

आगरा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मण्डलेश्वर सिंह जिला सहकारी बैंक, आगरा के अध्यक्ष व संचालक, सैया के ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के उपाध्यक्ष, जिला सहकारी संघ के संचालक तथा आगरा मेडिकल कालेज के ट्रस्टी रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि–मण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रि–मण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रि–मण्डल में मंत्री भी रहे थे। जनसेवा, कृषि एवं वृक्षारोपण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मण्डलेश्वर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मधुकर दिघे का 27 जुलाई, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे। श्री मधुकर दिघे का जन्म वर्ष 1923 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मधुकर दिघे निर्वाचन क्षेत्र पिपराइच, जिला गोरखपुर से वर्ष 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1974 में भारतीय क्रांति दल तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मधुकर दिघे ने डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लेबर कमेटी के सदस्य, पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व महामंत्री, हिन्द मजदूर पंचायत की राष्ट्रीय समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री तथा संयुक्त विधायक दल के विधान सभा में सचेतक रहे थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रि–मण्डल तथा श्री बनारसी दास मंत्रि–मण्डल में मंत्री रहे थे। वे मेघालय के राज्यपाल भी रहे थे। मजदूर संगठनों एवं उनके कल्याण कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मधुकर दिघे के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजपाल का 10 अगस्त, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री राजपाल का जन्म वर्ष 1938 में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजपाल वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद (पश्चिम), तत्कालीन जिला मुरादाबाद से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राजपाल ग्राम सभा प्रधान रहे थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री राजपाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरीश चन्द्र गंगवार का 12 अगस्त, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री हरीश चन्द्र गंगवार का जन्म 6 दिसम्बर, 1938 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरीश चन्द्र गंगवार वर्ष 1991 तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र बहेड़ी, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री हरीश चन्द्र गंगवार गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी के कोषाध्यक्ष, ग्राम सभा के प्रधान, जिला परिषद् के सदस्य तथा गन्ना समिति के संचालक मण्डल के उपाध्यक्ष रहे थे। वे कई शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े रहे तथा पार्टी के प्रदेश परिषद् के सदस्य भी रहे थे। जनसेवा में

उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसम्पर्क उन्हें प्रिय था। श्री हरीश चन्द्र गंगवार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कमाल अहमद रिजवी का 24 अगस्त, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कमाल अहमद रिजवी का जन्म वर्ष 24 दिसम्बर, 1924 को सीतापुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कमाल अहमद रिजवी सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदी पूर्व, जिला लखीमपुर खीरी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर, जिला लखीमपुर खीरी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री कमाल अहमद रिजवी राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वर्ष 1978 में जिला जेल, लखीमपुर में बन्दी रहे थे। वे जिला परिषद्, खीरी के अध्यक्ष तथा जिला सहकारी बैंक के प्रशासक एवं संचालक रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। उन्हें दिनांक 25 अगस्त, 2006 तथा 6 जनवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। शिक्षा और खेल में उनकी विशेष रुचि थी तथा टेनिस खेलना व पुस्तकें पढ़ना उन्हें प्रिय था। श्री कमाल अहमद रिजवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य महंत अवैद्यनाथ का 12 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 93 वर्ष के थे। महंत अवैद्यनाथ का जन्म 28 मई, 1921 को ग्राम कांडी, लैन्स डाउन (उत्तराखण्ड) में हुआ था। वे संस्कृत से शास्त्री थे। महंत अवैद्यनाथ वर्ष 1962, 1967, 1969 तथा 1974 में हिन्दू महासभा के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मानीराम, जिला गोरखपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे चौथी, नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। महंत अवैद्यनाथ अखिल भारतीय हिन्दू महासभा तथा श्रीराम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष रहे थे। वे गोरक्षापीठ से जुड़ी चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही कई संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रबन्धक भी थे। वे समाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक एकजुटता के लिये कार्य करते रहे। अध्यात्म दर्शन का उन्हें विशिष्ट ज्ञान था तथा योग, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक साहित्य के अध्ययन में उनकी रुचि थी। वे पत्रिका 'योगवाणी' के सम्पादक रहे तथा योग और दर्शन पर उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए। महंत अवैद्यनाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जर्नादन प्रसाद ओझा का 14 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का जन्म 20 फरवरी, 1933 को ग्राम पटखौली, जिला महराजगंज में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जर्नादन प्रसाद ओझा वर्ष 1974 में सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1980 में जनता (जे0पी0) तथा वर्ष 1985 में जनता पार्टी

के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र श्यामदेउरवा, जिला गोरखपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र श्यामदेउरवा, जिला महराजगंज से पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित आंदोलनों और सत्याग्रहों में भाग लिया और कई बार जिला जेल गोरखपुर, गोण्डा, देवरिया एवं लखनऊ में बन्दी रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि–मण्डल में मंत्री रहे थे। श्री ओझा जिला परिषद्, गोरखपुर के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री व अध्यक्ष रहे थे। वे कई शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। श्रमिक आंदोलन और गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान में उनकी विशेष रूचि थी। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम शंकर पाल का 30 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री राम शंकर पाल का जन्म 6 जून, 1945 को ग्राम देवारा कला, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम शंकर पाल वर्ष 1996 तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम शंकर पाल राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप कई बार जेल गये थे। वे सुश्री मायावती मंत्रि–मंडल में मंत्री रहे थे। वे नगरपालिका गंगाघाट, उन्नाव के अध्यक्ष भी रहे थे। जनसेवा एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी तथा अध्ययन एवं लेखन कार्य उन्हें प्रिय था। श्री राम शंकर पाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री संजय सिंह का 02 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 53 वर्ष के थे। श्री संजय सिंह का जन्म 10 अक्टूबर, 1961 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री संजय सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र मोरना, जिला मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री संजय सिंह समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे। वे किसानों तथा गरीबों के उत्थान के कार्यों में सदैव लगे रहते थे। जन सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री संजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम सेवक का 6 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री राम सेवक का जन्म 15 अगस्त, 1922 को मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्री राम सेवक सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1969 में जनसंघ, वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1980 एवं

1985 में कांग्रेस(आई0) तथा वर्ष 1989, 1991, 2002 व 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र जनदीशपुर (अ0जा0), तत्कालीन जिला सुल्तानपुर से नवीं बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम सेवक जन–आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप जिला कारागार, सुल्तानपुर में बन्दी रहे थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा एवं कृषि कार्य में उनकी विशेष रूचि थी। श्री राम सेवक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नेतराम का 19 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री नेतराम का जन्म 15 अप्रैल, 1957 को ग्राम समस्तपुर बुजुर्ग, जिला शाहजहॉपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नेतराम वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र पुवायां (अ0जा0) जिला शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नेतराम राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बरेली कारागार में बन्दी रहे थे। राजनीति, समाज सुधार एवं अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री नेतराम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

निधन :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सैय्यद जकीउद्दीन का 23 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे।

जन्म एवं शिक्षा–

श्री सैय्यद जकीउद्दीन का जन्म 1 जुलाई, 1945 को हुआ था। उन्होंने बी0यू0एम0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

सदस्यता–

श्री सैय्यद जकीउद्दीन वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र सरधना, जिला मेरठ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

राजनीतिक एवं सामजिक जीवन–

श्री सैय्यद जकीउद्दीन आर्म अकादमी के अध्यक्ष तथा टाउन एरिया के चेयरमैन रहे थे। जनहित के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री सैय्यद जकीउद्दीन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

निधन :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मारकण्डेय चन्द्र का 11 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे।

जन्म एवं शिक्षा–

श्री मारकण्डेय चन्द्र का जन्म 11 मई, 1934 को ग्राम चिलवा, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी।

सदस्यता–

श्री मारकण्डेय चन्द्र वर्ष 1980 में कांग्रेस (अर्स0), वर्ष 1989 तथा 1991 में जनता दल एवं वर्ष 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित क्षेत्र धुरियापार, जिला गोरखपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

राजनीतिक एवं सामजिक जीवन–

श्री मारकण्डेय चन्द्र जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के संचालक एवं अध्यक्ष, गोला ब्लाक, गोरखपुर के प्रमुख तथा सहकारी चीनी मिल, धुरियापार, गोरखपुर के अध्यक्ष रहे थे। वे सुश्री मायावती मंत्रि–मण्डल, श्री कल्याण सिंह मंत्रि–मण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रि–मण्डल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रि–मण्डल में मंत्री रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री मारकण्डेय चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

निधन :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री डी0पी0 बोरा का 13 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे।

जन्म एवं शिक्षा–

श्री डी0पी0 बोरा का जन्म 05 जून, 1941 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0बी0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

सदस्यता–

श्री डी0पी0 बोरा वर्ष 1969 में भारतीय क्रान्ति दल तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित क्षेत्र लखनऊ (पश्चिम), जिला लखनऊ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

राजनीतिक एवं सामजिक जीवन–

श्री डी0पी0 बोरा राजनैतिक कार्य–कलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कई बार जेल गये थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे।

श्री डी0पी0 बोरा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

निधन :–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री अनार सिंह दिवाकर का जन्म 16 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे।

जन्म एवं शिक्षा–

श्री अनार सिंह दिवाकर का जन्म 20 अगस्त, 1957 को ग्राम रानामऊ, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

सदस्यता–

श्री अनार सिंह दिवाकर वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र जलेसर (अ0जा0), जिला एटा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

राजनीतिक एवं सामजिक जीवन–

श्री अनार सिंह दिवाकर श्री ईश्वरी प्रसाद शिक्षा समिति, रानामऊ, एटा के संस्थापक–अध्यक्ष थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी।

श्री अनार सिंह दिवाकर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक–संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचवा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

(डॉ0 धर्मपाल सिंह, श्री उपेन्द्र तिवारी आदि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप पहले इनको व्यवस्थित कराइये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पशुधन विकास मंत्री जी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाये हैं, मान्यवर हम चाहते हैं कि सदन चले हम उसमें पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाया है वह सहन कर पाना कैसे संभव है। आप कार्यवाही दिखवा लें। माननीय पशुधन विकास मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर इस प्रकार नहीं देना चाहिये था। हम पर उन्होंने आरोप लगाया है। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वे अपने शब्द वापस ले लें ताकि सदन की कार्यवाही चले।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही को देखकर उस शब्द को निकाल दूॅगा। आपकी बात आ गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो उन्होंने हम पर आरोप लगाये हैं वह उन शब्दों को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

किसी मंत्री के शब्द को कार्यवाही से निकालना उससे बड़ी बात और कैसी हो सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने हम पर लांछन लगाये हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

वाजपेयी जी, आपका प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसका मान्यवर, निस्तारण कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न–2 के चर्चा के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया यह उनका अधिकार है हम उसको चुनौती नहीं देते। लेकिन उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगों की चर्चा की जोकि प्रांसगिक नहीं था प्रश्न के साथ और उसमें उन्होंने जो बाते कहीं हैं मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

यह कौन व्यवस्था है आप बैठ जायें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये)

अब आप चलिये, यह कोई कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा। आप चलिये। अब हो गयी आपकी बात, आप बैठिये। (घोर व्यवधान)

ख12.40, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

मैं 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–11–2014 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है (श्री अगयश राम सरन वर्मा का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर) वह उपस्थित नहीं है, दूसरी सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की है, लोकेन्द्र सिंह जी आप वेल में हैं

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वह नहीं माना जायेगा, आप अपने स्थान पर चलें। आप नहीं जा रहे हैं इसलिए आपका नहीं माना जायेगा, वह अव्यवस्थित हैं, तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की, वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद शामली स्थित सहारनपुर दिल्ली मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे चिकन सेन्टरों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री राजीव गुम्बर की, राजीव गुम्बर जी आप अपने स्थान पर चलें, वेल में रहने पर नहीं माना जायेगा आप नहीं जा रहे हैं इसलिए आपका नहीं माना जायेगा, पांचवीं सूचना श्री रवि शर्मा की है, रवि शर्मा जी आप अपने स्थान पर चलिये तब माना जायेगा। आप अपने स्थान पर आ गये हैं, अब ठीक है आपकी सूचना झांसी विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की है (श्री कमाल यूसुफ मलिक का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर) वह उपस्थित नहीं हैं, सातवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की है, आप अपने स्थान पर चलें, ठीक है आप अपने स्थान पर आ गये हैं आपकी सूचना कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड संख्या–54 में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की, वह उपस्थित हैं, उनकी सूचना उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री राजबली जैसल की वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना डा0 धर्म पाल सिंह की वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में महान धनर्धारी एकलव्य की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की है (श्रीमती लालमुन्नी सिंह का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर) वह उपस्थित नहीं है, बारहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत विकास खण्ड रूदौली व मवई की सभी ग्राम पंचायतों के वृद्धा पेंशन व रानी लक्ष्मीबाई पेंशन के लाभार्थियों को विगत छः माह से पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना सुश्री रजनी तिवारी की, वह उपस्थित हैं उनकी सूचना जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत ग्राम खरगपुर, अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ा गांव में पैंटून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी, वह उपस्थित हैं उनकी जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है और सोलहवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी की है, टण्डन जी, आप अपने आसन पर चले जायें नहीं तो नहीं माना जायेगा, ठीक है आप अपने आसन पर आ गये हैं आपकी सूचना लखनऊ महानगर में रिंग रोड खुर्रमनगर चौराहे से पिकनिक स्पाट तक के मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद शामली स्थित सहारनपुर–दिल्ली मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे चिकन सेन्टरों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली में नगर पंचायत थानाभवन के मुख्य मार्ग सहारनपुर–दिल्ली रोड से ग्राम मुल्लापुर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है जिससे प्रतिदिन हजारों छात्र–छात्रायें लगभग सैकड़ों गांव से पढ़ने के लिए थानाभवन आते हैं। महोदय, उसी मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने हमजा चिकन सेंटर, गुलफाम चिकन सेंटर, दिलबहार चिकन सेंटर जिनमें खुलेआम मांस बेचा जा रहा है, खोल लिये हैं। जिसके कारण जहां मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानदारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर वहां से गुजर रहे छात्र–छात्राओं को भी भारी दिक्कत का सामना करने के साथ–साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इन्हें हटाने के लिए कई बार छात्र–छात्रायें एवं ग्रामीण आन्दोलन कर चुके हैं और अब भी आन्दोलनरत हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अलिवम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहारनपुर दिल्ली रोड पर स्थित उपरोक्त चिकत सेंटर हटाये जाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

झांसी विकास प्राधिकरण में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा–

ख्महोदय,

झांसी विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से पूरा झांसी शहर त्रस्त है। अधिकारियों द्वारा की जारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार का प्रकरण मेरे द्वारा विधान सभा में उठाये जाने के बाद 10–15 वर्षों से अधिक समय से तैनात जे0ई0, ए0ई0 एवं अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी किया गया परन्तु धनबल एवं राजनैतिक दबाब बनाकर सभी ने अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया गया जिससे पुनः यह सभी कर्मचारी धन उगाही एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गये। इन अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से धन लेकर मकानों के नक्शे पास करना ही प्रमुख कार्य है जो पैसा नहीं देता उसका कोई कार्य नहीं होता। मेरे द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण में नक्शे एवं ले–आउट रिवीजन हेतु आवेदन–पत्रों की जानकारी मांगी गयी तो अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा जिलाधिकारी से भी मौखिक रूप से शिकायत की गयी परन्तु कोई

नोटः– रू , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही नहीं हुई। झांसी विकास प्राधिकरण वर्षो से जमे अधिकारियों का स्थानान्तरण करके उच्च स्तरीय जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए झांसी प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।,

कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड संख्या–54 में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय,

कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबू पुरवा के श्रमिक कालोनियों के पीछे स्थित सभी गली पिछले वर्षों से सीवर भराव एवं कूड़े के अम्भर लगे हैं। क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी की वजह से इन क्षेत्रों में प्रायः संक्रामक महामारियों का प्रकोप बना रहता है जिससे व्यापक जान–माल की क्षति होती है। विगत माह इन गलियों को साफ करने का अभियान नगर निगम द्वारा चलाया गया परन्तु फिर उसे ठप कर दिया गया है तथा कोई भी गली पूर्ण रूप से साफ नहीं की गई है, इन क्षेत्रों की व्यापक सफाई कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छावनी विधान सभा कानपुर के वार्ड 54 बाबूपुरवा श्रमिक कालोनियों के पीछे गलियों में गत महा चलाये सफाई अभियान की जांच कराकर व्यापक सफाई कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदा लाल चौधरी–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम–2000 के अधीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) विनियमावली, 2009 के अन्तर्गत वर्ष–2011 में प्रदेश के समस्त मण्डलों में मण्डलीय चयन समिति द्वारा संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों की चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की गई थी जिसमें प्रदेश के पांच मण्डलों यथा आजमगढ़, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में साक्षात्कार सम्पन्न कराकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी किन्तु शेष बचे मण्डलों मे चयन/नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने के बाद भी आज तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसी

नोटः– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भेद–भाव पूर्ण प्रक्रिया के कारण सैंकड़ों योग्य अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य करने से वंचित रखा जा रहा है एवं शेष मण्डलों में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है तथा पठन–पाठन भी प्रभावित हो रहा है।

अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) विनियमावली, 2009 के अन्तर्गत वर्ष–2011 में प्रदेश के समस्त मण्डलों में मण्डलीय चयन समिति द्वारा संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों की चयन/नियुक्ति हेतु की गई चयन प्रक्रिया के आजमगढ़, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की भांति सम्पूर्ण प्रदेश के अन्य मण्डलों के परिणाम तत्काल घोषित किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 265, कोंराव जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा कोरांव एवं मेजा जो पूर्णरूप से पहाड़ी क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में अधिकतर कोल जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े जाति के लोग निवास करते हैं। जहां पर अधिकांश बस्तियों में आज भी इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के अभाव में लोगों को पानी पीने का बहुत बड़ा अभाव है जो लोग आज भी नदी एवं नालों का पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। हैण्डपम्पों के अलावा पानी पीने का अन्य कोई सुविधा न होने के कारण लोगों को और अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में कोहड़ार पेयजल योजना, धनाबल पेयजल योजना, एवं देवघाट पेयजल योजना संचालित हो रही है। परन्तु पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त एवं पुराना पाइप होने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। इस प्रकार हैण्डपम्पों की कमी के कारण गरीब जनता में काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर शासन से कार्यवाही/मानकों के अनुरूप इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराने की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में महान धनर्धारी एकलव्य की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय,

नोटः– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा स्थित सदर बाजार स्टेडियम एक बहुत ख्याति प्राप्त स्टेडियम है जहां विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन प्रतिदिन होता रहता है। युवाओं को खेल से जोड़ने के साथ कई प्रसिद्ध खिलाड़ी इसी स्टेडियम की देन है। मुख्यतः क्रिकेट के लिए तो इस स्टेडियम कई घरेलू मैचों की मेजबानी की है तथा वर्ष 1997 में हीरो होण्डा विश्व कम में वेस्टइण्डीज वर्सेस नीदरलैण्ड की महिला क्रिकेट टीम का मैच होना था किन्तु किन्हीं कारणों से यह मैच खेला नहीं जा सका। युवाओं के प्रेरणास्रोत इस स्टेडियम का नामकरण कई वर्ष पूर्ण महाभारत के धनुर्धारी एकलव्य के नाम पर एकलव्य स्टेडियम रखा गया किन्तु अभी तक स्टेडियम में एकलव्य की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी है। एकलव्य जोकि महाभारत में एक विशिष्ट पात्र होने के साथ महान ऐतिहासिक धनुर्धारी हैं जिन्होंने तर्जनी व मध्यमा उंगली का प्रयोग का तीरन्दाजी की नई कला ईजाद की। इस तकनीक का उपयोग आज भी युवा अपनी तीरंदाजी की कला को दिखाने में प्रयोग कर रहे हैं।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय जर्जर मार्गो की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत कुछ सड़कें जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिन पर आवागमन बाधित है। उस पर तत्काल नवीनीकरण का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

1–मुख्य मार्ग से बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी तक नवीनीकरण कार्य।

2–जहांगीरगंज चिरैया मुख्या मार्ग से मोहम्मदपुर से एनेवा तक मरम्मत कार्य।

3–बसखारी–जहांगीरगंज मुख्य मार्ग से लखनडीह से आगे तक नवीनीकरण का कार्य।

4–जहांगीरगंज बाजार से रामबाग तक नवीनीकरण का कार्य।

5–इन्दईपुर बाजार से मकरही तक नवीनीकरण का कार्य।

6–सहजना हमजापुर से शिवतारा तक नवीनीकरण का कार्य।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराकर इन सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत विकास खण्ड–रूदौली व मवई की सभी ग्राम पंचायतों के वृद्धा पेंशन व रानी लक्ष्मीबाई पेंशन के लाभार्थियों को विगत

नोटः– रू , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छः माह से पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

ख्महोदय,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वि0ख0 रूदौली व मवई की सभी ग्राम पंचायतों के वृद्धा पेंशन व रानी लक्ष्मीबाई पेंशन के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष के छः माह बीत जाने के बाद भी पेंशन राशि खातों को नहीं भेजी गई। जिसके कारण लगभग 15000 असहाय वृद्ध लाभार्थियों के सामने भरण–पोषण का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जनपद स्तरीय अधिकारियों को कई बार इस गम्भीर संकट से अवगत कराया गया परन्तु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिले के अधिकारियों द्वारा प्रदेश सरकार के स्तर पर ही धनराशि न भेजने की जानकारियां दी जा रही हैं। इसी तरह की समस्या जनपद की मिल्कीपुर, बीकापुर व सोहावल, सदर तहसीलों की सभी ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों के सामने खड़ी हैं। इस प्रकार जनपद के लगभग 62,000 हजार लाभार्थियों के सामने भरण–पोषण का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय इस विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत ग्राम खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ागांव में पैंटून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनी तिवारी–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम खरगपुर अर्जुनपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर बड़ागांव अर्जुनपुर के मध्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा पैटून पुल लगभग 25 वर्षों से बनाया जा रहा है। परन्तु वर्षा के दिनों में लगभग 4 माह सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में बंटकर अव्यवस्थित हो जाता है। रामगंगा नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रवासियों के जनपद मुख्यालय हरदोई तक लगभग 100 किमी0 तक का सफर बाया फर्रुखाबाद मार्ग से तय करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पैंटून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों और प्रशासन से अनुरोध किया गया परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

नोटः– रू , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पैंटून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी–

ख्महोदय,

मान्यवर, संज्ञान में लाना है कि जनपद गोरखपुर के हमारे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत आने वाली मामखोर–बेलसडा मार्ग, सांउखोर सेमरा मार्ग से टाडा गांव तक जाने वाला मार्ग, जमीन शुक्ल से समय स्थान भीटी मार्ग, रामजानकी मार्ग से लखनौरी मोहन पौहरिया मार्ग राम जानकी मार्ग (मदरिया) से बरहजे गांव मार्ग, चिलवा (गोला) पुल से धौरहरा परसिया मार्ग, धुरियापार पहाड़पुर–मोरारपुर–बढया पकवा नहर मार्ग, डेईडीहा–बेलपार पाठक नहर मार्ग, कौड़ीराम–जानीपुर मार्ग, रामजानकी मार्ग झुमिला से महुलिया कोयल मार्ग, नेवादा से सरया महुनिया होते खखाइजखोर मार्ग, गोला कौड़ीराम पर पहाड़पुर से कोंहरी कोंहरा–पकड़ी मार्ग, हरपुर–बाथबुजुर्ग मार्ग, गोपालपुर–झरकटा–बारानगर मार्ग, पिडहनी–बैरियाखास मार्ग, पिडहनी–बेलवादाखिली कोडर नीलकंठ मार्ग, सेमरा रोड से ददरी मार्ग, रामजानकी मार्ग से छपिया उमराव मार्ग, बडगों से रामपुर गडरी महेशपुर पकड़ी मार्ग, गोला कौड़ीराम पर बरीह चौराहे से पकड़ी मार्ग, डाडी सिधरी भूपगढ़ मार्ग, राम जानकी मार्ग बरडीहा से कोटियानिरंजन मार्ग, पटना पौहरिया मार्ग, बड़हलगंज भैसवली मार्ग, ओझौली मार्ग, जैसी सड़कें पूरी तरह जर्जर होकर टूट गयी हैं। इन सड़कों पर चलना अब सम्भव नहीं है। इन सड़कों के पुननिर्माण के लिए कई बार अधिकारियों से कहा गया, फिर भी सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत नहीं हो सका। जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।,

लखनऊ महानगर में रिंग रोड खुर्रमनगर चौराहे से पिकनिट स्पॉट तक के मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष जी गोपाल टण्डन–

ख्महोदय,

लखनऊ महानगर में रिंग रोड खुर्रमनगर चौराहे से पिकनिक स्पॉट तथा फरीदीनगर जाने वाले मार्ग पर कुकरैल नाले पर बनी पुलिया/पुल अत्याधिक संकरा है। मार्ग की चौड़ाई तो ठीक है परन्तु पुल के संकरा होने के कारण उस पुलिया से केवल एक ही वाहन निकल सकता है जिससे जाम एवं दुर्घटनायें भी होती हैं। यह पुल/पुलिया कमजोर भी हो गयी है। जनहित में इस पुल का चौड़ीकरण करके निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है क्यों इस मार्ग पर पिकनिक स्पॉट दार्शनिक स्थल

नोटः– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के कारण आवागमन का अत्याधिक दबाव रहता है। जनहित में पिकनिक स्पॉट रोड के कुकरैल नाले पर बने पुल का चौड़ीकरण करके निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पुल के चौड़ीकरण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः–

1–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

2–श्री सुरेश कुमार खन्ना,

3–श्री सतीश महाना,

4–श्री संगीत सिंह सोम,

5–श्री धर्मपाल सिंह,

6–श्री बिमला सिंह सोलंकी,

7–श्रीमती कृष्णा पासवान,

9–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव,

10–श्री मनीष असीजा,

11–श्री रविन्द्र भड़ाना,

12–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

13–श्री रविदास मेहरोत्रा,

14–श्री उमाशंकर,

15–श्री सन्तराम कुशवाहा,

16–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,

17–श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

18–श्री राजेन्द्र उर्फ ब्रजेश सिंह,

19–श्री सुशील सिंह,

20–श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,

21–श्री सिनोद कुमार शाक्य,

22–श्री बब्बन सिंह चौहान,

23–श्री राधेश्याम जायसवाल,

24–श्री जय प्रकाश अंचल,

25–श्री गोरख पासवान,

26–श्री राधेश्याम सिंह,

27–श्री राम मगन रावत,

28–श्री पूरन प्रकाश,

29–श्री दलवीर सिंह,

30–श्री त्रिलोकी राम,

31–श्री प्रदीप माथुर,

32–डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

33–श्री उमेश पाण्डेय,

34–श्री रोशन लाल वर्मा,

35–श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,

36–श्री रामहेत भारती,

37–श्री लोकेश दीक्षित,

38–श्री देव नरायन सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह तथा

39–श्री अनीसुर्रहमान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने कहा कि मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा और मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया जबकि मैंने अपने स्थान पर खड़े होकर बोला था ।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, अब हो गया, बात आ गयी।

पंडित जी, आप आते हैं तो पढ़वढ़कर आते हैं हमारा भी ज्ञानवर्धन करते हैं।

ख्12.43, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 07 सूचनायें प्राप्त हुयीं :–

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, आपने जो मामला उठाया था वह महत्वपूर्ण था। जिला योजना समिति के प्रस्तावों में शासन द्वारा काट–छॉट करके मनमाने तरीके से धन आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तो मैंने इसमें व्यवस्था सुरक्षित कर लिया है, इसी में सुना दे वह आइटम में आयेगा तो क्या फायदा।

मैंने इसमें व्यवस्था दे दी है, सुन लीजिए।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार से आरोप आज एक माननीय मंत्री जी ने हमारे ऊपर लगाया मान्यवर, हम उसमें अवैध रूप से शामिल हैं, ये शब्द माननीय मंत्री जी को वापस लेना चाहिए। हमारी कोई ऐसी शर्त नहीं है जो पूरी न

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सके। हम विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हम हाउस को चलाना चाहते हैं। हम व्यवधान नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन इस आरोप को सहकर हम हाउस नहीं चलाना चाहते। किसी भी हालत में इस आरोप को सहकर हम हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम उसमें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब विधान सभा की कार्यवाही से अलग कर दिया गया तो आपको क्या आपत्ति है, बात खत्म हो गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो कुछ भी उन्होंने कहा मान्यवर, हम विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि वह यह कह दें कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नहीं मान्यवर, आप निर्देश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरे अधिकार में जो था मैंने कर दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पूरे प्रदेश को मालूम है कि पूरे प्रदेश में गोवंश का अवैध कटान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इस अवैध कटान को कब तक चलाएंगे खन्ना जी, इसे सुबह से शुरू किया गया। दो–तीन दिन चलेगा। हो गया अब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शासनादेश इसे रोकने का है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप निर्णय तो सुन लीजिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

प्रदेश के गठित जिला योजना समितियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिये जिला योजनाओं में की गई संस्तुतियों को काट–छांट कर मनमाने तरीके से धन आवंटन कर संवैधानिक मान्यताओं एवं नियमावली की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 के अन्तर्गत विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 में दिनांक 27 जून, 2014 को श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर मैं अपनी व्यवस्था देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 के अन्तर्गत विधान सभा के दिनांक 27 जून, 2014 के उपवेशन में श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा यह कहा गया है कि पूरे प्रदेश में गठित जिला योजना समितियां, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए परिव्यय की अधिकतम सीमा के अनुरूप विभिन्न विभागों के प्रस्ताव मंगाकर तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर विचार करके प्रस्तावों को संस्तुति के साथ राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जाने के बाद राज्य सरकार, विभिन्न विभागों के लिए जिला योजनाओं में की गई संस्तुतियों में काट–छांट करके मनमाने तरीके से धन आवंटित करती हैं जबकि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम–1999 की धारा 12 में यह व्यवस्था है कि समिति जिले के विकास योजना प्रारूप को अन्तिम रूप देगी। इस प्रकार विभागों की योजनाओं में काट–छांट करने, संवैधानिक मान्यताओं एवं नियमावली की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अभिसूचित की गई थी।

मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उठायी गई आपत्तियों पर बल देते हुए कहा गया है कि जिला योजना समितियों का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत किया गया है। इस समिति की बैठकों में जो प्रस्ताव पारित होते हैं वह शासन को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। मा0 सदस्य ने यह भी कहा है कि वर्ष 1999 में बनाये गए अधिनियम की धारा 12 में समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी। उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 13(3) का उल्लेख किया है कि ''राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए समिति योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।''

औचित्य के इस प्रश्न पर मैंने अपनी व्यवस्था तत्समय सुरक्षित कर ली थी। इस सम्बन्ध में जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 एवं उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमवली, 2008 तथा अन्य प्रासंगिक सन्दर्भों का सम्यक अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा 13(2) में उल्लिखित प्राविधानों के आधार पर राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी योजना में प्राप्त प्रस्तावों पर धन का आवंटन राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर करे। इसी क्रम में जिला योजना समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त परिव्ययों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः औचित्य के इस प्रश्न को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन यह आरोप सह कर नहीं चलाना चाहते। मान्यवर, जिस प्रकार से हमको लांछित किया गया। उत्तर देना तो दूर, समस्या का निराकरण करना तो दूर, ऊपर से हमें लांछित किया जा रहा है। हम विधान सभा में इसलिये आते हैं कि समस्या का समाधान हो। हम बिना वजह हाऊस में व्यवधान नहीं करना चाहते मान्यवर।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठे थे–व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले इस पर व्यवस्था दे दें । हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाउस चले लेकिन जिस प्रकार हमको आरोपित किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आपने कह दिया और मैनें अपनी व्यवस्था दे दी । जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, मैनें उसे कर दिया, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते।

अब आगे प्रदीप माथुर जी का है, आप अपनी बात कहेंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें और माननीय मंत्री जी को बुलवा लें और उनसे अपनी बात वापस करवा दें। माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्यवाही देख लें और उसके बाद हाउस चलायें।

श्री अध्यक्ष–

अब जब वह प्रोसीडिंग का अंग नहीं रहा तो अब आप काहे को जिद कर रहे हो ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम हाउस चलाना चाहते हैं। आप माननीय मंत्री जी को बुलवा लें । उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न के उत्तर में हम लोगों को लांछित किया, अब केवल माननीय मंत्री जी यह कह दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रदीप माथुर जी, आपका नियम–300 में है, आप बोलिये ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, आप पहले सदन को व्यवस्थित तो कराइये ।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलते रहिये।

विधान सभा के मा0 सदस्यों को प्रोटोकाल सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के बावजूद शासन, जनपद एवं मण्डल पर तैनात अधिकारियों द्वारा समुचित सम्मान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान के मध्य)

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत विधान सभा का गठन होता है। आपकी सम्मानित पीठ से विधायिका की गरिमा के अनुकूल मा0 विधायकों के सम्मान हेतु प्रोटोकाल संबंधी निर्देश समय–समय पर शासन को दिये गये हैं तथा इस संबंध में शासन के संसदीय कार्य विभाग द्वारा भी प्रोटोकाल संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

किन्तु, वर्तमान में आपकी पीठ से जारी किये गये उक्त दिशा–निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं । मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात मण्डलायुक्त, मण्डलीय अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य अभियन्ता आदि तथा शासन स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, आयुक्त आदि द्वारा प्रोटोकाल का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा इनके द्वारा टेलीफोन नहीं उठाये जा रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न विकास के कार्य में लगने वाली उद्घाटन एवं शिलान्यास हेतु शिलापट्टिकाओं का उद्घाटन एवं अध्यक्षता प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय विधायकों को न तो बुलाया जाता है और न ही उनका नाम नहीं अंकित कराने की विगत बसपा सरकार द्वारा डाली गयी परम्परा, जिसमें कि पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन कराये जाने की परम्परा डाली गयी थी, को वर्तमान स0पा0 सरकार के पदाधिकारी एवं चुनाव लड़े प्रत्याशी कर रहे हैं तो स्थानीय विधायक क्या करें । वर्तमान में जनपद एवं शासन स्तर पर तैनात अधिकारियों के सापेक्ष मा0 विधायकों का वेतन/भत्ता कम रखा जाना उनका अपमान है। जनपद स्तर पर तैनात एस0डी0एम0, तहसीलदार तथा थानेदार नीली बत्ती लगाकर अपना रोब गांठते हैं, वहीं मा0 विधायकों को लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं दिया जाना उनका अपमान है, जबकि मा0 विधायकों को लाल बत्ती लगाये जाने का अधिकार प्रदान कर एक स्वस्थ परम्परा डाली जा सकती है।

इस संबंध में प्रोटोकाल संबंधी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के संबंध में सम्मानित पीठ से अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रोटोकाल का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित किया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, पहले इस प्रकरण का निस्तारण करा दें । इस समय हाउस अव्यवस्थित है।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–300 खत्म हो जाने दें ।

(इस पर वेल में बैठे हुये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के स्थगित कर दी।

1 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।

1 बजकर 10 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये पुनः बढ़ा दिया है।

(1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

सभापति, प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

ख01.21, उपचुनाव वर्ष 2014 में निर्वाचित सदस्य श्री नाहिद हसन का शपथ ग्रहण

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि एक माननीय सदस्य की शपथ होनी है, पहले वह हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(श्री नाहिद हसन (कैराना) ने सदन में शपथ ग्रहण की)

(इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, मैंने कह तो दिया है कि जो बातें कहीं गई हैं और जिनमें आपके ऊपर आरोप लगाये गये हैं तथा जिन पर आपको आपत्ति हैं, वह प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेंगी।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

ख1.22, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2013–2014) का दशम् प्रतिवेदन[४]

श्री अध्यक्ष–

सभापति, प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013–2014) का दशम् प्रतिवेदन, जो नियोजन एवं राज्य योजना आयोग विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2013–2014) का ग्यारहवां प्रतिवेदन४

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013–2014) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो पर्यटन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

जनपद लखनऊ स्थित गोमती नगर के अन्तर्गत ग्राम खरगापुर, रामासरे पुरवा, छोटा भरवारा, बड़ा भरवारा में नवनिर्मित कालोनियों को नगर निगम में सम्मिलित कराये जाने विषयक श्री एस0के0 मिश्रा आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष–

श्री रविन्द्र भड़ाना जी, अपनी याचिका प्रस्तुत करिये।

(श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा अपनी याचिका प्रस्तुत नहीं की गई)

श्री अध्यक्ष–

भड़ाना जी, आप अपनी याचिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो मैं अब अगली मद ले रहा हूं। विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

---

४ छापा नहीं गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ख ग ग ग , के नारे लगाते रहे)

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य आसन की ओर बढ़ने का भी प्रयास करते रहे)

ख01.25, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 नवम्बर, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 नवम्बर, 2014 से दिनांक 21 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 14 व 17 नवम्बर, 2014 को विधान सभा में पुरःस्थापित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को ले ली जायं,

2–संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन सम्बन्धी संकल्प का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को ले ली जायं,

3–नियम–103 के अन्तर्गत आधे–आधे घण्टे की चर्चा हेतु चर्चाधीन प्रस्तावों पर दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को चर्चा सम्बन्धी मदें रख ली जायं,

4–नियम–103 के अन्तर्गत प्राप्त एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं आधे–आधे घण्टे चर्चा सम्बन्धी मदें दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को रख ली जायं,

5–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक घण्टे की अग्रेतर चर्चा दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को रख ली जाय,

6–श्री मोख्तार अंसारी व अन्य मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर अग्रेतर चर्चा दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को रख ली जाय,

तद्नुसार दिनांक 18 नवम्बर, 2014 से दिनांक 21 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

नवम्बर, 2014

18 मंगलवार 1–निधन के निर्देश।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014,

नवम्बर, 2014

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014,

(ग) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014,

19 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2–विधायी कार्य।

3–संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन सम्बन्धी निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं उसका पारण :–

''यह कि यह सदन अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है का अनुसमर्थन इस शर्त के अधीन करता है कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हेतु केन्द्र द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद–124 क के खण्ड–(1) के खण्ड–(घ) में 'प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां लोक सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति' के स्थान पर 'सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य विधान सभा के विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां विधान सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति' प्रतिस्थापित किया जाय।''

20 गुरुवार विधायी कार्य।

21 शुक्रवार 1–असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के स्थान पर)।

2–नियम–103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्तावों पर आधे–आधे घण्टे की अग्रेतर चर्चा :–

(1) डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :–

(क) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू–गर्भ जल–स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(ख) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(ग) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(घ) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(ङ) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(च) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस–पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

(3) श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :–

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

(4) श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

<u>नवम्बर, 2014</u>

3–मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं आधे–आधे घण्टे की चर्चा :–

(1) श्री अगयश रामसरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं आधे–आधे घण्टे की चर्चा :–

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनप्रतिनिधियों की दिन–प्रतिदिन अवमानना एवं उपेक्षा को देखते हुए प्रोटोकाल विषयक विधिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उ0प्र0 पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने, विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय।''

(2) श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं आधे–आधे घण्टे की चर्चा :–

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के जनपद उन्नाव की ग्राम सभा ओरहर, पड़रीकला, निबईगैर एहतमाली, कोरारीकला, तारगांव एवं कुलहाबगहा में चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अनियमित रूप से स्थगित की गई चकबन्दी प्रक्रिया को किसानों के हित में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।''

(ख) ''प्रदेश के मेडिकल कालेजों में गरीबों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से मेडिकल कालेजों के आस–पास निजी नर्सिंग होम संचालन हेतु दूरी का मानक तय किया

जाय।''

(ग) ''प्रदेश की विकास खण्ड विहीन तहसीलों में मानक के अनुरूप विकास खण्ड सृजित किये जायं।''

(3) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं आधे–आधे घण्टे की चर्चा :–

(क) ''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में किसानों को उनके कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु एक निश्चित एवं समयबद्ध योजना बनाई जाय।''

(ख) ''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक ठोस एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय।''

नवम्बर, 2014

(ग) ''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिये सरकार द्वारा एक समयबद्ध एवं निश्चित कार्यक्रम बनाया जाय।''

(4) श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं आधे घण्टे की चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्राचीनतम् नगरी वाराणसी के गंगा तट के मोहल्लों की जर्जर पेयजल एवं सीवर लाइनों के आपस में जुड़ने से प्रदूषित पेयजल एवं ओवरफ्लो सीवर की गम्भीर समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु पेयजल व सीवर लाइनों को शीघ्र बदल दिया जाये।''

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर ख ग ग ग, नारे लगाये जाते रहे)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इसे सर्वसम्मत मान लिया जाय ? (नहीं की आवाज) ठीक है, सर्वसम्मत नहीं तो ठीक है जो इसके पक्ष में हो कृपया हां कहें और जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों, कृपया नहीं कहें।

(कुछ सदस्यों द्वारा नहीं बोला गया)

श्री अध्यक्ष–

हां, की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब आप इसका भी विरोध करने लगे कार्य–मंत्रणा समिति का।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

माननीय अध्यक्ष जी, शायद यह सदन के इतिहास का सबसे काला दिन होगा जब कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश पर भी नहीं हुआ है, हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय तथा इसे आज पारण करने के लिये कार्य समिति में बात हुई थी, उसका भी प्रस्ताव है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख01.34, कार्य–स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–11–2014 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो

---

४ दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री फेरन लाल, श्री सुल्तान वेग, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री काली चरन सुमन, श्री अली यूसुफ अली, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री ओम कुमार, श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री राधे लाल रावत, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री उमाशंकर, श्री वहाब चौधरी, श्री बब्बन सिंह, श्री अमर पाल, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल की प्रदेश में चीनी मिलों की बन्दी से बिगड़ती व्यवस्था एवं पडरौना चीनी मिल की संचालन व्यवस्था न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आज सदन व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इस सूचना को कल के लिए स्थानान्तरित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, कल फिर से आप सूचना लगा दीजियेगा।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के आवास विभाग द्वारा सभी महानगरों एवं नगरों में प्राधिकरणों द्वारा वसूले जा रहे विकास शुल्क में 14 गुना वृद्धि करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना (1) श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री गजराज सिंह, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, मो0 मुस्लिम, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधे श्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' (2) श्री पूरन प्रकाश की–जनपद मथुरा में गोकुल बैराज के निर्माण में अधिग्रहित की गयी जमीनों का मुआवजा न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री सुरेश राणा की उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के सृजित पद पर काउंसिलिंग द्वारा की गयी संविदा के आधार पर नियुक्तियों के स्थायीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय राय, श्री प्रदीप चौधरी, श्री ललितेश पति त्रिपाठी, कु0 कौशल सिंह, श्री विजय कुमार दुबे की–जनपद कुशीनगर के ग्राम बासगांव टोला खैरवा गांव जो आजादी की लड़ाई में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया था, में रह रहे भूमि हीन निवासियों को कब्जा न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

शेष निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं :–

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्म पाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री सुरेश राणा, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीमती सीमा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, डा0 अरूण कुमार, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती विमला

बाथम, श्री आशुतोश 'गोपाल टंडन', श्री संगीत सिंह सोम, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री राजीव गुम्बर।

2. श्री सतीश महाना
3. श्री अमर पाल शर्मा
4. श्री अगयश राम सरन वर्मा
5. श्री सन्त प्रसाद
6. श्री लोकेन्द्र सिंह
7. श्री राजीव गुम्बर
8. श्री मनीष असीजा
9. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
10. डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
11. श्री कमाल यूसुफ मलिक
12. श्री गेंदा लाल चौधरी
13. श्री मुकुट बिहारी वर्मा (नियम–51 में स्थानान्तरित)
14. श्री चन्द्र भान सिंह पटेल
15. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
16. श्री दीपक पटेल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्रीमती पूजा पाल, श्री बृजेश कुमार
17. श्री दलवीर सिंह, श्री त्रिलोकी राम, श्री भगवती प्रसाद
18. श्री उमाशंकर
19. डा0 धर्मपाल सिंह
20. श्री सिनोद कुमार शाक्य
21. श्री बब्बन सिंह चौहान
22. श्री रामचन्द्र यादव
23. श्री सुदेश शर्मा
24. श्री जय प्रकाश निषाद
25. डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
26. श्री विजय कुमार दुबे
27. श्री उमेश पाण्डेय
28. श्री रोशन लाल वर्मा
29. श्री रामहेत भारती
30. श्री अवस्थी बाला प्रसाद
31. श्री वीरपाल राठी, श्री तेजपाल सिंह

32. श्री अनीसुर्रहमान

ख01.36, नियम–56 की सूचनाओं को कल के लिये स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर चूंकि सदन अव्यवस्थित है इसलिए आज के नियम–56 की सारी सूचनाओं को कल के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाये। यह हमारा आपसे अनुरोध है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

नहीं, मान्यवर, यह इंसाफ नहीं होगा। इस पूरे सत्र में एक मिजाज बना रखा है कि यह जनता के धन का दुरूपयोग करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे जिससे प्रदेश का अहित होता है। कल की क्या समस्याएं होंगी वह कल ली जायेंगी। इनके पास मांस और मन्दिर के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। प्रदेश के माहौल को खराब करना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिली भगत के फलस्वरूप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि अब कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए अब हम अगली मद ले रहे हैं।

ख01.37, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी तथा श्री सतीश महाना जी क्या आप संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ? नहीं रखेंगे।

चूंकि इन्होनें संशोधन प्रस्ताव रखा नहीं इसलिए इस प्रश्न को रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अब हम प्रश्न उपस्थित करा रहे हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1951 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

2–एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 168–क, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2004) के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, के अधीन शून्य हो गया था और जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, निर्निहित समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यह विशेष उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख01.38, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री सतीश महाना जी, आप संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ?

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और श्री सतीश महाना के संशोधन प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और श्री सतीश महाना जी ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए संशोधन का प्रश्न रखने का कोई मतलब नहीं है।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 20 अगस्त, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक ''धारा 12, 18, 21–ख, 21–ग, 21–घ, 21–ङ, 21–च'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 12, 18, 21–ख, 21–ग, 21–घ, 21–ङ, 21–च, 21–छ'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा 21–छ का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 21–च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''21–छ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के

कतिपय मामलों में विषय विशेषज्ञ के रूप में की गयी

रूप में की गयी सेवाओं को प्रशासकीय हित के लिये प्रकल्पित रूप में (किसी वित्तीय लाभ के बिना) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली मौलिक रिक्ति पर समायोजन के पश्चात् सेवाओं में जोड़ा जायेगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर की गई

सेवाओं की गणना किसी भी दशा में सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा में नहीं की जायेगी।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2014

4–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.40, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी मा0 सदस्य के संशोधन प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 की धारा 2 का संशोधन

2–डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में, खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ठ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से है।''

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द ''उत्तर

प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ)'' के स्थान पर शब्द ''डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 3–क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 3–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''3–डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवृत्त होने के प्रभाव से, इस अधिनियम अथवा किसी नियमावली, परिनियम, अध्यादेशों, कानूनी लिखतों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) अथवा उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) के लिए किया गया कोई भी संदर्भ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए किया गया संदर्भ समझा जायेगा।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2014

5–(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.42, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप लोग संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ?

(किसी सदस्य के संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–25 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014

अधीनस्थ सेवा की कतिपय श्रेणियों के लिए राज्य में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 जून, 2014 को प्रवृत्त होगा।

लागू होना

2–इस अधिनियम के उपबन्ध समूह 'ख' से निम्न समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होंगे :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य.क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है।

अपवाद

3–इस अधिनियम की कोई बात–

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में;

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन;

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन;

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप.लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन;

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें

4–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' का तात्पर्य, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से हैय

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हैय

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से हैय

(घ) ''समूह 'ग' के पद'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय. समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

(ङ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैय

(च) ''अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों से हैय

(छ) ''सचिव'' का तात्पर्य आयोग के सचिव से हैय

(ज) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है, जिसमें भर्ती की जानी है।

अध्याय –दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5–(1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006) के उपबन्धों के अधीन स्थापित आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं, जो उस आयोग में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को उसकी स्थापना के दिनांक को और दिनांक से अन्तरित हो जायेंगी।

आयोग की

6–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य

संरचना

सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय.समय पर नियुक्त करेः

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात् सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

7–अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगेः

परन्तु यह कि जहां तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी.अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8–(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगीः–

(क) एक या अधिक गैर.सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप.समितियों का गठन करनाय

(ख) सदस्यों, समितियों और उप.समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया होय

(ग) आयोग एवं उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करनाय

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करनाय

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायँ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9–(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पदधारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा–10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गयी जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10–अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोषसिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11–आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि –

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव

13–(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14–आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15–(1) आयोग की शक्तियां और कर्तव्य होंगे –

(क) भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जाय।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जाएं, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16–आयोग, अपना कार्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपांतरित रूप में अपना अनुमोदन दे।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17–(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेंगी जैसी विहित की जायं।

आयोग द्वारा चयन

18–(1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, एक सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी और नियुक्त प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें

उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय–पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19–आयोग की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

20–आयोग की किसी बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी :

परन्तु यह कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

21–आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्य कलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

22–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

23–(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के संबंध में जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

24–किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014

25–(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.43, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–11–2014 को नियम–51 की कुल 75 सूचनायें प्राप्त हुईं।

इसमें पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की (नियम–56 में प्राप्त)–जनपद बहराइच थाना कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम ढपरापुर में दिनांक 08–09–2013 को मूर्ति स्थापना को लेकर प्रशासन से हुए गतिरोध के सम्बन्ध में। (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

दूसरी सूचना श्री उमाशंकर की–जनपद बलिया के शहीद रूदल यादव के परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता न दिलाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की– प्रदेश की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दिखाये जा रहे कटियाबाज डाक्यूमेंट्री फिल्म पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में। (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

चौथी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की–जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्र में नील गायों के आतंक को रोके जाने के सम्बन्ध में। (वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पांचवी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की–जनपद वाराणसी में भू–माफियाओं द्वारा जलाशय, पोखरे, झील पाटकर भू–खण्ड के रूप में बेचे जाने के सम्बन्ध में। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)।

छठी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की–जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द में श्री राजपाल सिंह पुत्र अजब सिंह ग्राम कुरलकी के मकान एवं घर पर दबंगों द्वारा जबरदस्ती रास्ता निकालने एवं कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत) । सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की–विधान सभा क्षेत्र मेरठ के मेरठ पूरे महानगर के जल निकासी एवं जल भराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है, (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत) । आठवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की–जनपद चित्रकूट के थाना मरकुन्डी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। नवीं सूचना श्री राजबली जैसल की–जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा मड़थापला निवासी प्रेम चन्द्र पुत्र श्री मुरली के पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं:– डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राधे लाल रावत, श्री सतीश महाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राम चन्द्र यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री अगयस राम सरन वर्मा, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सन्त प्रसाद, श्री राजिव गुम्बर, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री प्रदीप माथुर, श्री जय प्रकाश निषाद, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री बृजेश कुमार, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री काली चरन सुमन, श्री जितेन्द्र कुमार ऊर्फ नन्दू चौधरी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री विजय कुमार पासवान, श्री कमाल युसुफ मलिक, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रामहेत भारती, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री रवि शर्मा, श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह, श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री मनीष असीजा, श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री सुशील सिंह, श्री गेंदालाल चौधरी, डा0 अरूण कुमार, श्री अनीसुर्रहमान, श्री लोकेश दीक्षित, श्री शहजिल इस्लाम, श्री संजय कपूर, श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री राजकुमार रावत, श्री दलवीर सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री ममतेश शाक्य, श्री पूरन प्रकाश, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री विजय कुमार दुबे, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री सुरेश बंसल, श्री अमरपाल शर्मा, श्री गोरख पासवान।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11:00 बजे पूर्वाह्न मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 नवम्बर, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये ता0 प्र0 सं0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ–21 पर)

प्रेषक,

नीतीश्वर कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
बेसिक,
उ0 प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2014

विषय : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र सं0–बे0शि0प0/606–07/2014–15, दिनांक 13–06–2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एवं दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2–उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की अनुमति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

1–अर्हता– ऐसे शिक्षा मित्र, जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रारम्भ होने के पूर्व से, शासनादेशों के अधीन इस रूप में कार्यरत हों।

2–आयु– शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षा मित्रों की अधिकतम आयु सीमा, 60 वर्ष हो।

3–शैक्षिक योग्यता– ऐसे शिक्षामित्र, जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि हो और उसने अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू), विशिष्ट बी0टी0सी0 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।

4–चयन प्रक्रिया–

(क) शिक्षा मित्र द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दूरस्त शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू), विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र

प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के मौलिक पद पर नियुक्त किया जायेगा। इनको जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के मौलिक पद पर नियुक्त करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 अद्यतन संशोधित के नियम–9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली संख्या भी अवधारित करेगा।

(ख) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे शिक्षा मित्रों की, जो नियम–8 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) में उपबन्धित अर्हतायें रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र हों, एक सूची तैयार करेगा।

(ग) जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु बनायी गयी सूची में शिक्षामित्रों के नाम उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उनके जन्म तिथि के बढ़ते क्रम में रखे जायेंगे, अर्थात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर रखा जायेगा।

यदि दो शिक्षामित्रों की जम्नतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में उनका नाम रखा जायेगा।

(घ) शिक्षामित्र जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के मौलिक पद पर नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होंगे, जब तक उनके नाम उपरोक्तानुसार तैयार सूची में सम्मिलित न हो।

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गयी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 अद्यतन संशोधित नियम–16 के अन्तर्गत गठित चयन समिति को अग्रसारित करेगा, जो निम्नवत् हैः–

(क)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–	अध्यक्ष
(ख)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–	सदस्य/सचिव
(ग)	जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की प्रधानाचार्या या प्रधानाचार्य जो वरिष्ठ हो–	सदस्य
(घ)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट यथास्थिति हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा में एक विशेषज्ञ	सदस्य

टिप्पणीः– यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं तो जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसी जाति या जनजाति या वर्गों जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करेगा।

(च) चयन समिति खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गयी सूची एवं शिक्षामित्र के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति सहित सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(छ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 अद्यतन संशोधित नियम–20 के अनुरूप आदेश निर्गत किया जायेगा।

अर्थात् इस नियमावली के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) (नियमावली, 2008 यथा संशोधित) के अनुसार लिखित आदेशों द्वारा की जायेगी।

(5) प्रथम चक्र में प्रशिक्षण प्राप्त अर्ह शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजन हेतु समय–सारिणी

1– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	30 जून, 2014 तक
2– बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूची में सम्मिलित शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने हेतु काउन्सिलिंग में आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन– नाम, काउन्सिलिंग हेतु तिथि एवं स्थान का विवरण भी प्रसारित किया जाय।	सूची प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर
3– शिक्षामित्रों का शैक्षिक/प्रशिक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों तथा निवास/जाति प्रमाण–पत्रों के साथ काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराया जाना।	10 जुलाई से 22 जुलाई, 2014 तक
4– चयन समिति द्वारा चयन सूची को अनुमोदित किये जाने की कार्यवाही	दिनांक 25 जुलाई, 2014 तक
5– नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही–	दिनांक 31 जुलाई, 2014 तक

3–अतः अनुरोध है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति उक्त निर्धारित प्रतिबन्धों एवं समय–सारिणी के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

नीतीश्वर कुमार,

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता–एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
5. अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विवेक वार्ष्णेय,

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–5

संख्याः 2254 / 79–5–2014–282 / 98

लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2014

विज्ञप्ति / संशोधन

शासनदेश संख्या–2253 / 79–5–2014–282 / 98, दिनांक 19 जून, 2014 द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अर्हता, आयु, शैक्षिक योग्यता, चयल प्रक्रिया तथा समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

2–उक्त शासनदेश के प्रस्तर–3 में शैक्षिक योग्यता में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू) व विशिष्ट बी0टी0सी0 का उल्लेख किया गया है, के स्थान पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0, बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू) व विशिष्ट बी0टी0सी0 किया जाता है।

3–इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5(1) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची अग्रेतर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 30 जून, 2014 तक उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है, के स्थान पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा विधि से द्विवर्षीय बी0टी0सी प्रशिक्षण, बी0टी0सी0, बी0टी0सी0 (उर्दू) व विशिष्ट बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 30 जून, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना, किया जाता है।

4–उपरोक्त शासनादेश संख्या–2253 / 79–5–2014–282 / 98, दिनांक 19 जून, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

एच0एल0
गुप्ता,
सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–20 का उत्तर पीछे पृष्ठ–37 पर।)

वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 141 बालिका छात्रावासों की सूची

क्र0सं0	जनपद	ब्लाक का नाम	स्कूल नाम
1	आगरा	पिनहत	के0जी0बी0वी0 पिनहत
2	आगरा	फतेहपुर सीकरी	के0जी0बी0वी0 फतेहपुर सीकरी
3	अलीगढ़	अतरौली	जी0जी0आई0सी0 विधीपुर शाहनौल
4	अलीगढ़	बिजौली	जी0जी0आई0सी0 दत्तचोली
5	अलीगढ़	धानीपुर	जी0जी0आई0सी0 कलाई
6	अलीगढ़	जवान सिकन्दरपुर	जी0जी0आई0सी0 गोधा
7	अलीगढ़	चंदौस	जी0जी0आई0सी0 दौरूमूड
8	अम्बेडकर नगर	रामनगर	जी0जी0आई0सी0 अलपुर
9	अम्बेडकर नगर	जहागीरा	जी0जी0आई0सी0 टेण्डूवाई कला
10	अम्बेडकर नगर	भिटी	जी0जी0आई0सी0 भिटी
11	आजमगढ़	बिलरियागंज	जी0जी0आई0सी0 बगवर
12	आजमगढ़	अजमतगढ़	जी0जी0आई0सी0 अजमतगढ़
13	आजमगढ़	पवाई	जी0जी0आई0सी0 अमबारी
14	आजमगढ़	लालगंज	जी0जी0आई0सी0 कटघर लालगंज
15	बागपत	छपरौली	जी0जी0आई0सी0 तुगना
16	बलरामपुर	रहेरा बाजार	के0जी0बी0वी0 रेहरा बाजार
17	बांदा	नरैनी	जी0जी0आई0सी0 अतररा
18	बांदा	बबेरू	जी0जी0आई0सी0 बबेरू
19	बांदा	कामसीन	जी0जी0आई0सी0 कामसीन
20	बांदा	बिसण्डा	जी0जी0आई0सी0 कोराही
21	बाराबंकी	मसौली	जी0जी0आई0सी0 सफदरगंज, कैम्पस
22	बाराबंकी	निंदौरा	जी0आई0सी0 नीनदूरा
23	बाराबंकी	सिरौली गौसपुर	के0जी0बी0वी0 सिरौली गौसपुर
24	बाराबंकी	दारियाबाद	के0जी0बी0वी0 धारियाबाद

क्र0सं0	जनपद	ब्लाक का नाम	स्कूल नाम
25	बिजनौर	हल्दौर	के0जी0बी0वी0 हल्दौर
26	बिजनौर	नूरपुर	के0जी0बी0वी0 रहनौगली रोड नूरपुर
27	बिजनौर	किरातपुर	के0जी0बी0वी0 भानेरा
28	बिजनौर	मोहम्मदपुर	के0जी0बी0वी0 धर्म नगरी
29	बिजनौर	कोटवाली	के0जी0बी0वी0 पुरैनी
30	बिजनौर	बुधानपुर	के0जी0बी0वी0 गोवर्धनपुर
31	बिजनौर	अफजलगढ़	के0जी0बी0वी0 काल्लुवाला
32	बुलंदशहर	बुलंदशहर	जी0जी0आई0सी0 बुलन्दशहर
33	बुलंदशहर	दानपुर	जी0जी0आई0सी0 छूनगनपुर
34	बुलंदशहर	डिबाई	जी0जी0आई0सी0 जैरामपुर
35	बुलंदशहर	शिकारपुर	जी0जी0आई0सी0 शिकारपुर
36	बुलंदशहर	पहसू	जी0जी0आई0सी0 पहसू
37	फर्रूखाबाद	शमसाबाद	के0जी0बी0वी0 समसाबाद
38	फतेहपुर	मलवान	जी0जी0आई0सी0 मलवन
39	फतेहपुर	तेलियानी	जी0जी0आई0सी0 कैम्पस
40	फतेहपुर	भितौरा	जी0जी0आई0सी0 हुसैनगंज
41	फिरोजाबाद	एका	के0जी0बी0वी0 ऐका
42	गौतमबुद्ध नगर	धनकौरा	के0जी0बी0वी0 धनकौरा
43	गोण्डा	झनझरी	के0जी0बी0वी0 झनझरी
44	गोण्डा	रूपाई डीह	के0जी0बी0वी0 रूपैडीह
45	गोण्डा	इटिया थोक	के0जी0बी0वी0 ठोक
46	गोण्डा	पनदरी कृपाल	के0जी0बी0वी0 पंदरी कृपाल
47	गोण्डा	मुझाना	के0जी0बी0वी0 मुझाना
48	गोण्डा	कटरा बाजार	के0जी0बी0वी0 कटरा बाजार
49	गोण्डा	हलदरमऊ	के0जी0बी0वी0 हलधरमऊ
50	गोण्डा	करनैलगंज	के0जी0बी0वी0 करनैलगंज
51	गोण्डा	परसपुर	के0जी0बी0वी0 परसपुर
52	गोण्डा	बेलसर	के0जी0बी0वी0 बेलसर
53	गोण्डा	तरबगंज	के0जी0बी0वी0 तरबगंज
54	गोण्डा	वजीरगंज	के0जी0बी0वी0 वजीरगंज

क्र0सं0	जनपद	ब्लाक का नाम	स्कूल नाम
55	गोण्डा	नवाबगंज	के0जी0बी0वी0 नवाबगंज
56	गोण्डा	मनकापुर	के0जी0बी0वी0 मनकापुर
57	गोण्डा	बभनजोत	के0जी0बी0वी0 बभनजोत
58	हमीरपुर	मऊदहा	जी0जी0आई0सी0 मऊदहा
59	हरदोई	टोण्डरपुर	जी0जी0आई0सी0 टोण्डरपुर
60	हरदोई	अहोरी	के0जी0बी0वी0 अहोरी
61	हरदोई	सण्डीला	जी0जी0आई0सी0 सण्डीला
62	झांसी	बंगरा	जी0जी0आई0सी0 रसोई
63	झांसी	बबिना	जी0जी0आई0सी0 बरूआसागर
64	झांसी	बड़ागांव	जी0जी0आई0सी0 गुरसरैन
65	झांसी	मऊरानीपुर	जी0जी0आई0सी0 रानीपुर
66	झांसी	गुरुसरांय	जी0जी0आई0सी0 मरौनीपुर
67	अमरोहा	अमरोहा	के0जी0बी0वी0 अमरोहा
68	अमरोहा	धनौरा	के0जी0बी0वी0 धनौरा
69	अमरोहा	जोया	के0जी0बी0वी0 जोया
70	अमरोहा	गजरौला	के0जी0बी0वी0 गजरौला
71	अमरोहा	हसनपुर	के0जी0बी0वी0 हसनपुर
72	अमरोहा	गणेशवारी	के0जी0बी0वी0 गणेशवारी
73	कासगंज	सहवार	के0जी0बी0वी0 सहवार
74	कासगंज	गंजधुध वार	के0जी0बी0वी0 गंजधुंध वार
75	कौशाम्बी	कारा	जी0जी0आई0सी0 कारा
76	कौशाम्बी	सिराथू	जी0जी0आई0सी0 सिराथू
77	लखीमपुर	निघासन	जी0जी0आई0सी0 निघासन
78	लखीमपुर	मोहम्मदी	जी0जी0आई0सी0 मोहम्मदी
79	लखीमपुर	धौरेहरा	जी0जी0आई0सी0 धौरेहरा
80	ललितपुर	महरोनी	जी0जी0आई0सी0 महरोनी
81	ललितपुर	तलबेहटा	जी0जी0आई0सी0 तलबेहटा
82	ललितपुर	जखोरा	जी0जी0आई0सी0 जखोरा
83	हाथरस	सिकन्दर राव	के0जी0बी0वी सिकन्दर राव
84	हाथरस	हसायन	के0जी0बी0वी0 हसायन

क्र0सं0	जनपद	ब्लाक का नाम	स्कूल नाम
85	हाथरस	शाहपऊ	के0जी0बी0वी0 शाहपऊ
86	हाथरस	कबराई	के0जी0बी0वी0 कबराई
87	महोबा	चरखारी	के0जी0बी0वी0 चरखारी
88	महोबा	पनवारी	के0जी0बी0वी0 पनवारी
89	मैनपुरी	करहल	के0जी0बी0वी0 करहल
90	मऊ	बदरौन	जी0जी0आई0सी0 बदरौन
91	मिर्जापुर	हालिया	जी0जी0आई0सी0 हालिया
92	मिर्जापुर	पहाड़ी	के0जी0बी0वी0 पहाड़ी
93	मुरादाबाद	दिलारी	के0जी0बी0वी0 दिलारी
94	मुरादाबाद	छजलेट	के0जी0बी0वी0 छजलेट
95	मुरादाबाद	भगतपुर तण्डा	के0जी0बी0वी0 भगतपुर तण्डा
96	मुरादाबाद	मुरादाबाद	के0जी0बी0वी0 मुरादाबाद
97	मुरादाबाद	मुण्डा पाण्डेय	के0जी0बी0वी0 मुण्डा पाण्डेय
98	मुरादाबाद	दिनगरपुर	के0जी0बी0वी0 दिनगरपुर
99	मुरादाबाद	बिलारी	के0जी0बी0वी0 बिलारी
100	सम्भल	बनियाखेड़ा	के0जी0बी0वी0 बनियाखेड़ा
101	सम्भल	असमौली	के0जी0बी0वी0 असमौली
102	सम्भल	पनवासा	के0जी0बी0वी0 पनवासा
103	सम्भल	सम्भल	के0जी0बी0वी0 सम्भल
104	सम्भल	बहजोई	के0जी0बी0वी0 बहजोई
105	मुजफ्फरनगर	बुधाना	के0जी0बी0वी0 बुधाना
106	मुजफ्फरनगर	जनसथ	के0जी0बी0वी0 जनसथ
107	मुजफ्फरनगर	मोराना	के0जी0बी0वी0 मोराना
108	मुजफ्फरनगर	पुरकाजी	के0जी0बी0वी0 पुरकाजी
109	शामली	ऊन	के0जी0बी0वी0 ऊन
110	शामली	कैराना	के0जी0बी0वी0 कैराना
111	शामली	कांधला	के0जी0बी0वी0 कांधला
112	पीलीभीत	मरौरी	जी0जी0आई0सी0 मरौरी
113	पीलीभीत	बरखेडा	जी0जी0आई0सी0 बरखेडा
114	पीलीभीत	बिलसण्डा	जी0जी0आई0सी0 बिलसण्डा

क्र0सं0	जनपद	ब्लाक का नाम	स्कूल नाम
115	प्रतापगढ़	संगीपुर	जी0जी0आई0सी0 संगीपुर
116	प्रतापगढ़	लालगंज जहां	जी0जी0आई0सी0 लालगंज जहां
117	प्रतापगढ़	विहार	जी0जी0आई0सी0 विहार
118	प्रतापगढ़	मन्धाता	जी0जी0आई0सी0 मन्धाता
119	प्रतापगढ़	पट्टी	जी0जी0आई0सी0 पट्टी
120	प्रतापगढ़	असपुर देवसारा	जी0जी0आई0सी0 असपुर देवसारा
121	प्रतापगढ़	गौरा	जी0जी0आई0सी0 गौरा
122	रायबरेली	अमवन	जी0जी0आई0सी0 देवन्दपुर
123	रायबरेली	महराजगंज	जी0जी0आई0सी0 महराजगंज
124	रायबरेली	खेरौन	जी0जी0आई0सी0 अजीतपुर
125	रायबरेली	डीह	के0जी0बी0वी0 डीह
126	रामपुर	बिलासपुर	जी0जी0आई0सी0 बिलासपुर
127	रामपुर	मिलका	के0जी0बी0वी0 मिलका
128	सहारनपुर	गंगोह	के0जी0बी0वी0 गंगोह
129	सहारनपुर	सिधौली कादीम	के0जी0बी0वी0 सिधौली कादीम
130	सहारनपुर	मुजफ्फरबाद	के0जी0बी0वी0 मुजफ्फरबाद
131	सहारनपुर	पुवरका	जी0जी0आई0सी0 पुवरका
132	सीतापुर	मिश्रिख	जी0जी0आई0सी0 मिश्रिख
133	सीतापुर	महमुदाबाद	के0जी0बी0वी0 महमुदाबाद
134	सीतापुर	कसमण्डा	जी0जी0आई0सी0 कसमण्डा
135	सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	जी0जी0आई0सी0 राबर्ट्सगंज
136	श्रावस्ती	जमुनहां	के0जी0बी0वी0 जमुनहां
137	उन्नाव	नवाबगंज	जी0जी0आई0सी0 नवाबगंज
138	उन्नाव	पुरवा	जी0जी0आई0सी0 पुरवा
139	वाराणसी	अराईज लाईन	जी0जी0आई0सी0 अराईज लाईन
140	वाराणसी	चिरई गांव	के0जी0बी0वी0 चिरई गांव
141	वाराणसी	चोलापुर	जी0जी0आई0सी0 चोलापुर

पी0एस0यू0पी0–एल0 284 विधान सभा (526)–16–2–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।